खण्ड-266, अंक-5
गुरूवार, 15 वैशाख, शक संवत् 1888
(5 मई, 1966 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 266 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
1969
DESH

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

वृहस्पतिवार, ५ मई, १९६६

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरधरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री

बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्ममत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (बाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह युसूफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, राजस्व मंत्री श्री हुकुमसिंह विसेन तथा गृह-उपमंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

---

# प्रश्नोत्तर

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बृहस्पतिवार, ५ मई, १९६६

### पंचायत मन्त्री प्रशिक्षण व्यवस्था की समाप्ति

**१--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर), श्री खेम चन्द (जिला आगरा), श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला फतेहपुर), श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती), श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर), श्री खयालीराम (जिला लखनऊ), श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर),--

क्या यह सच है कि उपनिदेशक पंचायत राज के विभागीय आदेश संख्या ४/२०२३/६६-४/२४१-६३, दिनांक २६ मार्च, १९६६ द्वारा प्रसार प्रशिक्षण अधिकारियों व वरिष्ठ प्रशिक्षकों (पंचायत) से कहा गया है कि वह ३१ मार्च, १९६६ से अवकाश ग्रहण कर लें ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि मेज पर रखते हुए सरकार बताएगी कि इसका मूल आधार क्या है ?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

जी हां, निदेशक पंचायत राज की ओर से भेजे पत्र संख्या ४/२०२३/६६-४/२४१-६३, दिनांक २६ मार्च, १९६६, जो स्वतः स्पष्ट है, की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

**२--श्री रामकिशोर वर्मा, श्री खेमचन्द, श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री चन्द्रपाल, श्री खयाली राम, श्री कैलाश तथा श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह भी सच है कि उक्त व्यक्तियों को अवकाश ग्रहण करने का आदेश देते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि वर्ष १९६२ में आयोग द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति सन् १९६३ में सूची बनाते समय अस्वीकृत कर दिए गए थे, और वह व्यक्ति अवकाश ग्रहण कराए जाने वाले उक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ भी हैं फिर भी इस समय सहायक जिला पंचायत अधिकारी के पदों पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और उनके नाम क्या हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी नहीं।

श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उस पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र में वरिष्ठ अधिकारी काम कर रहे थे, तो क्यों ३१ मार्च से उनको समाप्त करने का आदेश निकाल कर उनको बाध्य किया गया कि वे छुट्टी ले लें? उनको अन्यत्र जगह न दे कर छुट्टी लेने के लिए विवश करने का आपके पास आधार क्या था?

श्री बंशीधर पांडेय---

८ आदमी जो पंचायत राज के अधिकारी थे वे हमारी जो ट्रेनिंग सेन्टर हैं उस में सीनियर इन्स्पेक्टर थे। यह उन की सुविधा की दृष्टि से किया गया है चूंकि वहां उनके लड़के पढ़ रहे थे। हमारे पास सूचना थी कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए उनको यह सुविधा प्रदान की गयी कि वे एक महीना और वहां ठहर जायं। वैसे उन की पोस्टिंग हो रही है और जो सीनियारिटी में हैं उनमें से कोई सफर नहीं करेगा।

श्री कमलासिंह यादव----

१९६२ की लिस्ट में पांच नाम हैं, सर्वश्री उमानाथसिंह, ओम प्रकाश शर्मा, चारासिंह, आदि। इनका नाम ६२ की लिस्ट म था लेकिन ६३ की लिस्ट में इन का नाम नहीं था और फिर भी उनकी नियुक्ति की गयी। तो यह किस आधार पर किया गया?

श्री बंशीधर पांडेय---

पंचायत राज अधिकारियों की पोस्ट पहले अस्थायी थी, बाद में, ६२ में २१ आदमियों की एक लिस्ट बनी जो परमानेन्ट लोग वैकेन्सी में आफिशियेट करने वाले थे। फिर ३४ आदमियों की लिस्ट बनी और फिर कमीशन ने ४९ पोस्टों पर परमानेन्ट नियुक्ति कर दी और १५ आदमियों की एक रिजर्व लिस्ट बना दी और यह कहा कि अगर दो वर्ष में कोई स्थान होगा तो वे आटोमेटिकली एब्जार्ब कर लिए जायेंगे। उसमें से ११ आदमी बचे। उस के अलावा भी आफिशिएटिंग जगहों के लिए हम को जरूरत पड़ी तो बी लिस्ट जो बनी थी ६२ की, उसमें से हमने कुछ आदमियों को ले लिया। अब जब ८ सेन्टर टूट जायेंगे तो ६३ की रिजर्व लिस्ट कंसीडर होगी और उसके बाद ६२ की रिजर्व लिस्ट से नियुक्ति की जायेगी।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या यह सही नहीं है कि ६३ की जो रिजर्व्ड लिस्ट थी उस के पहले ६२ की लिस्ट खत्म हो गयी थी। यदि ६३ की लिस्ट फाइनल थी तो ६२ की लिस्ट के आदमियों को क्यों रखा गया?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)---

प्रश्नकर्ता और अनुपूरक प्रश्न करने वालों के दिमाग में यह बात है कि जो लोग हट गए हैं उन की वरिष्ठता समाप्त हो जायगी और उनको नौकरी से निकाल दिया जायगा। मैं आश्वासन देता हूं कि उन की सीनियारिटी बनी रहेगी और वे नौकरी से भी नहीं हटाए जायेंगे।

श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के बारे में हम कह रहे हैं वह ज्येष्ठ थे, उस वक्त उनकी वरिष्ठता थी। तो उसका आधार क्या है?

श्री राममूर्ति---

जहां तक कि उसूल की बात है, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि २८ मार्च की बात है, वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन था तो ज्यादा अपसेटिंग न हो इसलिए टेम्पोरेरी अरेंजमेंट कर दिया गया था।

श्री रामकिशोर वर्मा---

मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षण केन्द्र में हमारे पंचायत निरीक्षक थे जिनको अवकाश लेने के लिए विवश किया गया, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनसे लघु श्रेणी के लोगों को हटा कर उनको जिला पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त करेंगे ?

श्री राममूर्ति---

उनकी नियुक्ति कर दी।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पंचायत मन्त्रियों का प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया था, बहुत से पंचायत मन्त्री अब भी बाकी हैं जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उनका भाग्य क्या होगा भविष्य में और उनके साथ क्या बर्ताव होगा ? वह निकाल दिए जायेंगे या कंटीन्यू करेंगे सर्विसेज में ?

श्री राममूर्ति---

पंचायत सेक्रेटरियों का खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया वहन करती है। वह बन्द कर दिया और ६६-६७ के बजट में भी उन्होंने प्राविधान नहीं किया है। हमारे यहां यह रिपोर्ट है कि सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है, इसलिए अब उसको अगाड़ी चलाने का इरादा नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

जो पंचायत मन्त्री हैं उनकी पदोन्नति का, पंचायत राज्य निरीक्षक के लिए कोटा क्या निर्धारित है ?

श्री राममूर्ति---

इसका कोई कोटा नहीं है।

श्री उग्रसेन---

कुछ न कुछ कोटा तो जरूर होगा, मन्त्री जी जरा देख लें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न]

### शाहजहांपुर जिले में हथियारों के लाइसेन्स सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*१---श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित), श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा) (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

प्रथम सत्र १९६६ के पांचवें गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री जी को पता है कि ७५ प्रार्थना-पत्र परगनों को डिसपोजल के लिए ट्रान्सफर कर दिए हैं और उनका डिसपोजल हाकिम परगना नहीं कर रहे हैं, और उन पर चन्दा मांगा जा रहा है जिसमें ग्रामीण सुरक्षा योजना सफल नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या गृह मन्त्री जी तुरन्त आदेश डिसपोजल के लिए देंगे ?

गृह उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

जी हां, ७५ प्रार्थना-पत्र जिला मैजिस्ट्रेट शाहजहांपुर ने परगना मैजिस्ट्रेटों को निस्तारण हेतु भेज दिए हैं और यह भी आदेश दिए हैं कि इन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण जल्दी किया जाय।

*२—श्री रणबहादुर सिंह (अनुपस्थित), श्री गंगाप्रसाद वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बेश्वर-प्रसाद—

क्या गृह मन्त्री को यह भी पता है कि प्रार्थना-पत्र जो कि ग्रामीण सुरक्षा योजना से अलग थे और कप्तान पुलिस द्वारा रिकमेन्डेड थे उनका डिसपोजल भी जिलाधीश नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ग्रामीण सुरक्षा योजना से इतर प्रार्थना-पत्र जिन पर पुलिस कप्तान की संस्तुति प्राप्त हो गयी है जिला मैजिस्ट्रेट के विचाराधीन हैं। जिला मैजिस्ट्रेट इन प्रार्थना-पत्रों पर कुछ और छानबीन कर रहे हैं जिनकी पूर्ति हो जाने पर उचित आदेश देंगे।

*३—श्री रणबहादुर सिंह (अनुपस्थित), श्री गंगाप्रसाद वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बेश्वर-प्रसाद—

क्या गृह मन्त्री यह बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर में कितने इस्लहा ६ महीने से अधिक से ससपेन्ड हैं और क्यों?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिला शाहजहांपुर में ५० लाइसेन्स ६ मास से अधिक समय से निलम्बित हैं। कारण यह है कि ४५ व्यक्तियों के विरुद्ध या तो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं या उनकी ओर से शान्ति भंग होने की सम्भावना है। तीन व्यक्तियों की तरफ से उनके अस्त्रों के दुरुपयोग होने की आशंका है। शेष दो व्यक्तियों के अस्त्र चोरी चले गए हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

इस बात को देखते हुये कि अन्य जिलों से लाइसेंस देने में देरी का कारण अक्सर डकैतियां और इसी प्रकार की घटनायें होती हैं। तो इन लाइसेंसों पर जिन पर अभी विचार अभी नहीं हो सका है, एक मास के अन्दर विचार संभव हो सके ऐसे आदेश मंत्री जी देंगे?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसमें बहुत जल्दी की जा रही है। डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट ने एस० डी० एम्स० की मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि इनका डिस्पोजल कर दो। १ अप्रैल, १९६६ को रिमाइंडर भेजा था और १९ अप्रैल, १९६६ को कुछ केसेज डिस्पोज आफ भी कर दिये गये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अभी कुछ दिन पहले बताया गया है कि प्रान्त भर में केवल इसी जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऐसा रवैया है कि जो लोग लाइसेंस रिन्यु कराते हैं बन्दूक के उनकी भी जांच कराते हैं। तो इन प्रार्थना-पत्रों में कितने ऐसे सम्मिलित हैं जिन्होंने बन्दूक की तबदीली के कारण दरख्वास्त दी और उनके लाइसेन्स विचाराधीन हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कितनी दरख्वास्तें बन्दूकों की तबदीली की हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत पूरी अर्जी एक निर्धारित अवधि के अन्दर डिस्पोज आफ हो जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इन लाइसेन्सों को देने का अधिकार जिलाधीशों को है और जो भी वे छानबीन उचित समझते हैं, उसके लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार ने लाइसेंस देने की नीति में कोई परिवर्तन कर दिया है और अब चोरी तथा डकैती में सजा याफ्ता लोगों को भी लाइसेंस दिये जा रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही इस तरह के केस हमारी नोटिस में आये हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह ७५ प्रार्थना-पत्र परगनों को डिस्पोजल के लिये किस तारीख को भेजे गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सबकी तारीखें अलग-अलग हैं, बहुत लम्बी लिस्ट है, आप कहें तो बता दूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

औसत यह बतला दें कि उनको कब भेजा गया था।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एक आध को छोड़ कर, सभी को सन् ६५ में भेजा है। कोई चौथे महीने की है, कोई छठे की है, कोई आठवें की है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कितने केसेज ऐसे हैं जिनमें कप्तान पुलिस ने रिकमन्ड किया है वह उनके सुरक्षा आदि के ख्याल से, जिलाधीश उनको रोके हुये हैं ? उनमें ऐसे भी केसेज हैं कि जिनके परिवार में एक से अधिक मर्डरें तक हो चुके हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर दिया कि लाइसेंसिंग अथारिटी जिलाधीश है। अगर कप्तान ने रिकमंड किया है, फिर भी जिलाधीश जांच करने के लिये अधिकृत है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैंने निश्चित प्रश्न पूछा था। मैंने यह पूछा था कि जिनके परिवार में एक दो मर्डर हो गये हैं और उनकी सुरक्षा के खयाल से कप्तान पुलिस ने भी लाइसेंस देने के लिये रिकमन्ड किया है और फिर भी उनको जिलाधीश ने लाइसेंस नहीं दिये हैं, ऐसे कितने केसेज हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जो जरूरी छानबीन है उसको जिलाधीश कर रहे हैं।

## बस परमिट जांच आयोग से श्री जे० के० टण्डन का इस्तीफा

*४—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस परमिट कांड की जांच करने वाले जांच आयोग के सदस्य श्री जे० के० टंडन ने इस्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो उनके स्थान पर कौन व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्री जे० के० टन्डन ने बस परमिट की जांच से अपने को अलग कर लिया है और इस जांच के बारे में आगे की जाने वाली कार्यवाही पर विचार हो रहा है ।

श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जे० के० टंडन ने इस्तीफा किस तारीख को दिया और वह कब मंजूर हुआ तथा उनकी जगह पर अब तक दूसरी नियुक्ति क्यों नहीं हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

टंडन जी का इस्तीफा २८ सितम्बर को आया था (व्यवधान) सन् ६५ है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आप इन्हें डांटिये कि इस तरह का जवाब दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

वे समझते हैं कि आप सब बुद्धिमान हैं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

२८ तारीख को दिया था । किस तारीख को मंजूर हुआ इसकी तिथि तो मेरे पास है पर समय लगेगा .....(शोर होने पर) ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बीच में बोलियेगा तो वे जितना बताना चाहते हैं वह भी नहीं बता सकेंगे । उनका कहना है कि उन्होंने २८ सितम्बर को इस्तीफा दिया था और उसके कुछ दिन बाद स्वीकृत हुआ ।

श्री गयाप्रसाद—

उनके इस्तीफे को स्वीकार होने में एक महीने का समय लगा लीजिये । फिर भी, अक्तूबर से लेकर अप्रैल तक दूसरी नियुक्ति न होने का कारण क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

टंडन साहब ने इस्तीफा इसलिये दिया था कि उन पर पर्सनल एस्पर्शन्स किये गये थे अखबारों में । दिसम्बर में हमने कहा था कि श्री मिट्ठन लाल काम करें । उस पर उन्होंने भी यही कहा कि टंडन साहब पर अटैक होने लगे हैं तो हो सकता है कि मुझ पर भी होने लगें । इस बात पर उन्होंने भी यह काम करने से इंकार कर दिया ।

श्री गयाप्रसाद—

मैंने माननीय मंत्री जी से अनेक बार प्रार्थना की थी कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, को लिखिये कि वे अप्वाइंट कर दें । जब आप अप्वाइंट करेंगे तो इस तरह के मामले जरूर होंगे । आपने उस रिक्वेस्ट पर गौर क्यों नहीं किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गौर क्यों नहीं किया, यह तो हमारा अपना डिस्क्रिशन है।

श्री गयाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० के० टंडन पर क्या आरोप लगाये गये थे जिनके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आरोप तो आप ही ने लगाये थे। मैं ठीक नहीं समझता कि उन पर चर्चा हो।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इस प्रकार की नियुक्ति जो मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हो, का इस्तीफा केवल इस कारण स्वीकार करना कि उस पर अखबारों में आरोप लगाये गये थे, क्या उचित मालूम पड़ता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसलिये नहीं कि अखबारों में निकला। इस बात को एक भले आदमी ने अच्छा नहीं समझा इसलिये उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद हमारे पास और चारा ही क्या है कि हम उसे स्वीकार करें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या माननीय मंत्री जो इस बात को देखते हुये कि इसकी जांच माननीय मुख्य मंत्री ने कर ली है सलिये अब जांच करना अनावश्यक है इसलिये इस जांच के प्रश्न को समाप्त करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन दिनों टंडन साहब जांच के लिये नियुक्त किये गये थे उन्हीं दिनों फीयट का परमिट, पैट्रोल का पम्प और मकान का प्लाट उनको दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

फीयट बहुत पहले दी गयी थी, और बातें सही नहीं हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या यह सही है कि श्री टंडन ने इस्तीफा इसलिये दिया है कि सरकार की ओर से उनकी कार्यवाही में रोजाना हस्तक्षेप होता था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एसी बात नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

यह कांड २ साल से विधान सभा में चला है और क्या सरकार ६७ के आम चुनाव के पहले, गया प्रसाद जी के विधान सभा में रहते हुये, इस कांड की जांच पूरी करावेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

दिक्कत यह हो रही है कि जिनसे जांच के लिये कहते हैं वे तैयार नहीं होते हैं चूंकि आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

किन लोगों ने टंडन जी को टेलीफोन किये और उनको इत्तला गवर्नमेंट को कब हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैंने तो यह कहा कि आगे जो बनने वाले थे, मिट्ठनलाल जी, उनके पास फोन गये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

विधान सभा के सदस्यों को आरोप लगाने का हक है और वह चलता रहेगा । तो सरकार के पास कौन सी प्रक्रिया रह जाती है कि सन् ६७ के चुनाव के पहले इस जांच को खत्म करा दे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं । टंडन साहब ने इस्तीफा नहीं दिया । चूंकि उनके ऊपर अटक होने लगे, उन्होंने अपने को विदड्रा कर लिया । तब गवर्नमेंट के पास कोई आप्शन नहीं था । इसलिये कार्यवाही रुक गई ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

यदि इस प्रदेश के स्टाउंड जज इतने बुजदिल हो गये हैं कि थोड़ी-सी धमकियों से डर जाते हैं तो क्या सरकार ऐसे जज को नियुक्त करने पर विचार करेगी जो इस काम को करने से इंकार न कर सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

बुजदिल की बात नहीं है । अखबारों में उनके ऊपर निकाला गया और कोई भी भला आदमी गलत बातें अखबारों में निकलने पर झगड़े में पड़ना नहीं चाहता है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

टंडन जी ने कितने दिन तक जांच की । कितने गवाहों के बयान लिये और उस अवधि में कितना रुपया सरकार का खर्च हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

नोटिस चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जैसे ईस्ट बंगाल में मुल्ला साहब को इंक्वायरी के लिये दिया है तो दूसरे प्रदेश के किसी जज से जांच करावेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

चीफ मिनिस्टर सोच रही हैं यह जो हर शख्श के ऊपर मिट्टी उछालने की बात है और जल्दी कोई फैसला हो जायगा ।

श्री गयाप्रसाद---

क्या यह सही है कि खास आरोप टंडन जी पर ये थे कि उनके लड़के के नाम २ पेट्रोल के पम्प हैं, नजूल की जमीन उन्हें सरकार से मिली है और उनके सगे साले यहां ए० आर० टी० ओ० पोस्टेड थे जिनकी परमानेन्सी का मामला विचाराधीन है ? मैंने सुचेता जी से प्रार्थना की कि इन सब बातों के होते हुये टंडन जी को नियुक्ति न करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

एक पेट्रोल पम्प तो उनका बहुत पहले से है, १०-१२ साल पहले से । दूसरा उनकी अपनी जमीन में है । उससे सरकार से कोई मतलब नहीं है ।

## थाना रामसनेही घाट में अध्यापक सन्तबख्शसिंह की ट्रक से मृत्यु

*५--श्री राम किशोर त्रिपाठी, श्री द्विजेन्द्र नारायण तथा श्री मुकुट बिहारी लाल--(जिला बाराबंकी)--

क्या गृह मंत्री बताने की करेंगे कि ४ अप्रैल, १९६६ को श्री सन्तबख्श सिंह, अध्यापक ग्राम मिडुवा, जिला बाराबंकी जो भिटरिया के निकट स्कूल से पढ़ाकर साइकिल द्वारा घर वापस आते समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रक से ६ फर्लांग (मौजा बड़ैला एवं भिटरिया के बीच) तक पीछा करके कुचल डाला ? फलस्वरूप अध्यापक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई तथा लाश कुछ दूर तक घसीटते ले गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये परची 'ख' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

*६--श्री राम किशोर त्रिपाठी, श्री द्विजेन्द्र नारायण तथा श्री मुकुट विहारी लाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त घटना स्थल पर किन-किन अधिकारियों ने जांच की तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ? क्या सरकार घटना का पूर्ण विवरण देगी और बतायेगी कि दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो, क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

घटनास्थल पर जांच थानाध्यक्ष, रामसनेही घाट ने की । ट्रक ड्राइवर जो मौके पर ही पकड़ लिया गया था हिरासत में ले लिया गया था । मामले में जांच हो रही है । ट्रक ड्राइवर जमानत पर है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घटना की रिपोर्ट थाने पर किसके द्वारा दी गई, किनको नामजद किया गया और कितने गिरफ्तार हुये और कितने बाकी हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

रिपोर्ट उनके भाई के द्वारा १ बजे थाने पर लिखाई गई । अभियुक्त छोटे लाल वल्द लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ड्राइवर, लिखाया गया ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इस ट्रक पर ड्राइवर के अलावा ५, ६ व्यक्ति और थे जिनकी संतबख्शसिंह से दुश्मनी थी और वे ५, ६ आदमी भी मौके पर पकड़े गये लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि उसमें ५-६ आदमी थे । मोटर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की जिसको वहीं आदमियों ने पकड़ लिया और मौके पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया ।

श्री मुकुटबिहारी लाल--

क्या यह सही है कि उनको जानबूझ कर हत्या कर दी गयी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

अभी जांच हो रही है और अभी तक जांच में यह नहीं निकला कि जानबूझ कर हत्या कर दी गयी थी। रिपोर्ट में तो यह लिखा है कि ऐक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, सिर फट गया और मृत्यु हो गई। अब यह ट्रक ड्राइवर ने जान कर किया या ऐक्सीडेन्ट हुआ, इसकी तो जांच हो रही है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह दुर्घटना आपसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण से हुई ? इससे और उनके परिवार वालों को खतरा है तथा इसके बारे में क्या मंत्री जी उनके परिवार वालों को मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जांच हो रही है। जांच में ही ये सब बातें आयेंगी कि जानबूझ कर मारा गया या धोखे में मरा। घर वालों को अगर खतरा है तो उसका भी इन्तजाम किया जायगा।

## राजकीय बालिका विद्यालय, बरेली में छात्रवृत्ति वितरण

*७---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय बालिका विद्यालय, बरेली में कक्षा ८, ९, १० की पिछड़ी जाति की छात्राओं को इस वर्ष छात्रवृत्ति तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

केवल कक्षा १० की एक छात्रा को छोड़कर शेष सब को छात्रवृत्ति बांट दी गयी है। यह छात्रा कक्षा १० की परीक्षा दे रही थी तथा प्रधानाचार्य द्वारा सूचना देने पर भी छात्रवृत्ति लेने नहीं आई।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह छात्रवृत्ति किस तारीख को बांटी गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

२९ मार्च, १९६६ को बांटी गयी।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वास्तव में छात्रवृत्ति १४, १५ अप्रैल को बांटी गयी और दस्तखत २९ मार्च, १९६६ के लिये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

माननीय सदस्य का आग्रह छात्रवृत्ति वितरण का था, वह वितरित हो गयी है। जांच की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप कह रहे हैं कि छात्रवृत्ति समय पर वितरित नहीं होती और जब होती है तो गलत तारीख डालकर वितरित की जाती है, वे चाहते हैं कि इसकी जांच करा ली जाय।

श्रीमती तारा अग्रवाल---

हमारे पास तो यही सूचना आयी है कि २९ मार्च, १९६६ को वितरित की गयी।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

कक्षा १० की जिस छात्रा को सूचना दी गयी बताया गया है उसको लिखित सूचना दी गयी या मौखिक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

सूचना मौखिक रूप से दी गयी। श्रीमन्, एक बात और है कक्षा १० तक की उन्हीं छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके संरक्षकों की आमदनी २५० रुपये माहवार तक होती है ये एक सम्मानित विधायक की पुत्री हैं जिनकी ३०० रुपया सर्टिफाइड आय है अतः छात्रवृत्ति देने में कठिनाई भी हो सकती है।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जो विधान सभा में दिया गया है वह क्या उस विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा मंगवाया गया है या शिक्षा विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा कोई जांच कराई गई है या वहां की सम्बन्धित छात्राओं से पूछा गया था कि उन्हें छात्रवृत्ति कब दी गई थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिलाधीश को लिखा जाता है और समाज कल्याण अधिकारी सम्बन्धित विद्यालय में जाकर जांच करते हैं और लिखित उत्तर देते हैं और फिर जिलाधीश के द्वारा उत्तर आता है। जिन छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गयी उनकी सूची मेरे पास मौजूद है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

यह जांच कराने की मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी गई वह क्यों देर से दी गयी और किस तारीख को दी गई और जिसका जिक्र उन्होंने किया वह किसी विधायक की पुत्री नहीं है बल्कि वह एक आश्रिता है तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक समिति बिठाकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

## विकास खण्ड, हरगांव में जुझार तालाब से ड्रेन निकालने का विरोध

*८---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर के विकास खंड हरगांव में केन डेवलपमेंट कौंसिल हरगांव, जुझार तालाब से कोई ड्रेन खुदवा रही है जो ग्राम सभा खदरापुर, बबादा गड़सारी, फीरोजपुर के मध्य में स्थित है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी हां, गन्ना विकास परिषद् हरगांव द्वारा ऐसी एक ड्रेन बनवाई जा रही है।

*९---श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या केन डेवलपमेंट कौंसिल ने ड्रेन खुदवाने के लिये वह सारी भूमि जो ड्रेन के लिये आवश्यक उसका अधिग्रहण ढंग से करा लिया है ? यदि हां, तो वह भूमि कितनी है और इस अधिग्रहण से कितने किसान प्रभावित होंगे तथा उस भूमि का मुआवजा कितना होगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी नहीं। चूंकि यह कार्य सम्बन्धित किसानों के प्रार्थना-पत्र पर एवं ग्राम सभाओं के प्रस्तावों के आधार पर क्षेत्रीय किसानों के हितार्थ कराया जा रहा था इसलिये भूमि अधिग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सम्बन्धित कृषकों को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी।

*१०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मंत्री जी के पास इस बात का कोई प्रार्थना-पत्र एवं तार आया है जिसमें प्रार्थना की गई है कि इस ड्रेन की खुदाई बन्द कर दी जाय क्योंकि जुझार तालाब ही वहां की भूमि की सिंचाई का एक मात्र साधन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। उस पर आवश्यक जांच विभागीय अधिकारियों से कराई गई तथा जिलाधीश सीतापुर के माध्यम से भी जांच कराई जा रही है। एस० डी० एम० सीतापुर ने जांच पूरी होने तक ड्रेन की खुदाई का कार्य रोक दिया है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, यह ड्रेन जो खोदी जा रही है यह हरगांव जिला सीतापुर के विकास खंड में है और यही तालाब वहां पर सिंचाई का एक साधन है और गन्ना विकास परिषद् ने इस ड्रेन को बनवाना शुरू कर दिया है। अब केन आयुक्त ने उसकी जांच की, जिलाधीश के माध्यम से जब कार्यवाही हुई तो एस० डी० एम०, सीतापुर ने उसको रोक दिया है। तो यह जो केन आयुक्त और एस० डी० एम०, सीतापुर की रिपोर्ट में यह अन्तर है और मतभेद है तो मंत्री जी किसकी रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय लेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि वहां के किसानों की फसल पानी भर जाने से नष्ट हो जाती थी और इसी पर वहां के किसानों ने यह प्रार्थना-पत्र दिया कि २ झीलों व २ तालाबों का पानी भरने से गन्ने एवं धान्य फसलें खराब हो जाती हैं और इसका ड्रेन खोदा जाय ताकि पानी की निकासी हो जाय और फसलें लाभदायक हो सकें। उन्हीं के कहने से नाला बनाया जा रही है जब शिकायत हुई तो आयुक्त ने जाकर वहां निरीक्षण किया और उन्होंने देखा कि एक डेढ़ फर्लांग की नाली खुद चुकी है। फिर जिलाधीश से कहा गया कि पुनः वह इसकी जांच करा लें। अगर जिलाधीश ने यह रिपोर्ट दी कि इस नाले से हानि होगी तो खुदाई अवश्य रोक दी जायगी।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या १० केवल यह था कि क्या मंत्री जी के पास इस बात का कोई प्रार्थना-पत्र एवं तार आया है जिसमें प्रार्थना की गयी है कि इस ड्रेन की खुदाई बन्द कर दी जाये क्योंकि जुझार तालाब की वहां की भूमि की सिंचाई का एक मात्र साधन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? उसका उत्तर दिया है कि "जी हां"। उत्तर में आपने यह भी स्वीकार किया है कि इसमें करीब ६ फर्लांग से अधिक ड्रेन बाग तथा चक रोड जो कि लगभग चार फर्लांग लम्बी है के किनारे-किनारे निकलती है उसकी भूमि इसमें ली जायेगी और केवल ३ आदमियों ने स्वीकृति दी है जिनके नाम श्री उजागिर लाल, श्री राधेश्याम तथा श्री रघुनन्दन प्रसाद सिंह। इस ड्रेन के खुदने से हजारों आदमी चिन्तित हैं।....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ग्राम समाओं खेररापुर, नैनदा, गुड़धारी, फिरोजपुर ने कोई इस आशय के प्रस्ताव किये हैं ? यदि हां, तो उनके क्या प्रस्ताव हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य हजारों व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसमें लगभग ३० व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनमें से २५ व्यक्तियों का रजामन्दी लिखित रूप से प्राप्त हो गयी है। केवल ५ शेष रह गये हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ग्राम सभाओं में जिनके अन्तर्गत ये जमीनें पड़ती हैं, उसको लेने के लिये गन्ना विकास परिषद् ने क्या प्रबन्ध किया है ? और क्या ग्राम सभाओं ने इस ड्रेन को खोदने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो किन-किन ग्राम सभाओं ने किया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह ड्रेन कुल १ मील १ फर्लांग की होगी जब यह खुद जायगी। डेढ़ फर्लांग ड्रेन पहले से खुदी है। इस प्रकार केवल लगभग एक फर्लांग नाली खेतों की मेड़ों पर से, चकरोड और बागों के किनारे से निकलती है। इसके अतिरिक्त ३ ग्राम सभाओं ने लिखित प्रस्तावों में अपनी रजामन्दी भी दे दी है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--

क्या सरकार यह जानती है कि डेवलपमेंट कौंसिल के सदस्य किसानों द्वारा ही चुने जाते हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जी हां।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस नाले की खुदाई की योजना आरम्भ की गयी थी तो उसका विधिवत् वृहद् सर्वेक्षण हुआ था ? यदि हुआ था तो क्या वे इस नाले की खुदाई के पक्ष में थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

वहां के किसानों ने जिला परिषद् से सिफारिश की कि इस प्रकार की कोई नाली बनवादी जाय ताकि उनकी फसलें सुरक्षित रहें और वहां की विकास परिषद् ने अपनी बैठक....

श्री उग्रसेन--

मेरा प्रश्न केवल यह है कि क्या इस नाले का कोई तकनीकी सर्वेक्षण हुआ या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

मेरे पास इसकी सूचना नहीं है लेकिन ऐसा अवश्य हुआ होगा ?

*११-१२--श्रीमती गेंदा देवी--

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिये गये।]

## मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की नजरबन्दी

*१३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बहराइच के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नजरबन्द जो इस समय नैनीजेल (इलाहाबाद) में रक्खे गये हैं, स्वरूपरानी मेडिकल कालेज में मरणासन्न अवस्था में मृत्यु शैय्या पर पड़े हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

बहराइच जिले का कोई भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट इस समय इस प्रदेश में नजरबन्द नहीं है।

*१४—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उनकी अवस्था का पूरा विवरण सदन को अवगत करायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता ।

*१५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार वर्तमान अवस्था को ध्यान में रखकर उनकी तत्काल रिहाई पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता ।

## लखनऊ में लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार

*१६—श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित) तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार का ध्यान, दिनांक ८ अप्रैल, १९६६ के (पायनियर) पृष्ठ संख्या ३, कालम ३ में प्रकाशित समाचार (गर्ल स्टूडेंट मोलेसटेड) की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें लड़कियों ने उनके प्रति विद्यार्थियों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार की शिकायत की है जो पराकाष्ठा को पहुंच गया था तथा नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों से संरक्षण की प्रार्थना की है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक ८-४-६६ के पायनियर में प्रश्न में उल्लिखित आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था परन्तु समाचार में उल्लिखित दिनांक ७-४-६६ की घटना के संबंध में कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली है ।

*१७—श्री माधोनारायण मुद्गल (अनुपस्थित) तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

विश्व विद्यालय मार्ग पर स्पोर्टस स्टेडियम से आई० टी० कालेज तक तथा फैजाबाद रोड पर आई० टी० कालेज चौराहे पर से आई ० टी० कालेज के मुख्य द्वार तक पर्याप्त संख्या में पुलिस परीक्षा के दिनों में, परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्त होने के एक घंटा बाद तक अवांछनीय घटनाओं की रोकथाम व यातायात के प्रबन्ध के लिये तैनात रहती है । अधिकारियों की देख रेख में यह पुलिस पूर्णरूप से सतर्कता बरत रही है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या १७ के उत्तर में स्वीकार किया है कि वहां पर पुलिस तैनात रहती है रक्षा के लिये । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ७ तारीख को जब लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और वह चिल्लायीं जिसका विवरण पायनियर में छपा है उस वक्त पुलिस ने उस चीज को नोटिस किया या नहीं, पुलिस वहां मौजूद थी कि नहीं ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

अखबार में यह छपा है कि "ए वीपिंग गर्ल नैरेटेड टु दिस करस्पोडेंट हाउ दि बायज इनसल्टेड हर" लेकिन न उन्होंने, न उनके गार्जियन्स ने कोई शिकायत पुलिस को और यूनीवर्सिटी में नहीं की । तो इस की सूचना हमारे पास नहीं है कि किसी लड़की को तंग किया गया ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

आज इम्तहान हो रहा है, मैं वहां गया था, मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, फाटक के ऊपर कितने पुलिस वाले हैं और कितने साइकिल वाले और कितने दूसरे लोग खड़े हैं क्या यह मंत्री जी बतायेंगे ? मैं वहां आज गया था लड़की को लेने के लिये, मैंने देखा कि वहां कम से कम ५० साइकिल वाले आई० टी० कालेज के दरवाजे पर खड़े हुये हैं और लड़कियां निकल रही थीं लेकिन पुलिस वाले केवल दो थे । मंत्री जी वहां पुलिस का सही इन्तजाम करायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । इस वक्त क्या हो रहा है मुझको बिल्कुल नहीं मालूम । जिस चीज की जानकारी माननीय सदस्य ने चाही थी वह मैंने दे दी । अब इस समय कितनी पुलिस वहां पर है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मैं श्रीमन् अभी वहां गया था और जब यह सूचित किया गया था तो मंत्री जी ने क्यों नहीं इन्तजाम कराया, जब वह जानते थे [कि पहले ऐसी घटना हो चुकी थी तो क्यों इन्तजाम नहीं हुआ ?]

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने निवेदन किया कि पुलिस का इन्तजाम रहता है परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले से और समाप्त होने के एक घंटा बाद तक और पर्याप्त मात्रा में पुलिस वहां रहती है ।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय मुद्गल और माननीय बद्री प्रसाद पालीवाल ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के संबंध में किस व्यक्ति द्वारा जांच कराई गई थी और किस नतीजे पर सरकार पहुंची ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसकी जांच क्या कराते । मैंने निवेदन किया कि कोई शिकायत न लड़की की तरफ से, न गार्जियन्स की तरफ से पुलिस में की गई और न यूनिवर्सिटी में शिकायत की गई । तो फिर किस बात की हम जांच कराते ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अखबार में करस्पाडेंट ने आई विटनेस के तौर पर एक इंसीडेंट देखा और वह रिपोर्ट किया । तो सरकार ने उस इंसीडेंट के मुत्ताल्लिक जांच क्यों नहीं की ? अगर की तो उसकी कार्यवाही क्या हुई ?]

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अखबार में हर बात छपने की तो जांच होना संभव नहीं । लेकिन जब कोई शिकायत नहीं की गई तो जांच किस बात की होती । वैसे पुलिस का इन्तजाम है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

सरकार आंख मूंद कर बैठी रहे यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं श्रीमन्, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने जो पहले प्रश्न किया था वह यह था कि जब पुलिस नियुक्त कर दी है देख भाल के लिये तो यह जो ७ की घटना हुई थी इसकी नोटिस पुलिस में आयी कि नहीं ? इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया । मैं चाहूंगा कि आप कृपा कर बाध्य करें कि

मेरे प्रश्न का ठीक निश्चयात्मक उत्तर दें। मेरा प्रश्न यह है कि जिस दिन यह घटना हुई है तो आपके कथनानुसार जो पुलिस वहां पर नियुक्त थी उसकी नोटिस में यह बात आयी कि नहीं, और पुलिस यूनीवर्सिटी प्रांगण के बाहर थी या अन्दर थी। इसमें लिखा हुआ है कि दरवाजे पर लड़कियां रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, राह चलते लोग देखते रहे लेकिन कोई उनकी रक्षा के लिये नहीं आया, तो उस समय आप की पुलिस कहां थी ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

पुलिस यूनीवर्सिटी के बाहर है। यह बात सही है कि यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर पुलिस नहीं जाती। वहां यूनिवर्सिटी वाले अपने प्राक्टर द्वारा जांच करा रहे हैं। हमारे पास इंसीडेंट के मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं आयी। यूनिवर्सिटी कैम्पस के अन्दर पुलिस नहीं तैनात है। यूनिर्सिसिटी के फाटक के बाहर से पुलिस तैनात है।उस सड़क पर जहां पर लड़कियां गुजरती हैं आई० टी० कालेज से यूनिवर्सिटी तक पुलिस रहती है पर्चे शुरू होने से एक घंटे पहले और पर्चे समाप्त होने के एक घंटा बाद तक और ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली और न किसी ऐसी घटना की सूचना है कि किसी लड़की को छेड़ा गया।

श्री कमला सिंह यादव—

अखबार में अगर गलत सूचना छापी गयी है तो सरकार उस रिपोर्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री रघुनाथ सिंह—

सामाजिक मान्यताओं और परेशानियों के कारण लड़कियां इस प्रकार की छेड़ छाड़ और अभद्र आचरण की शिकायत नहीं करती हैं तो अन्य सूत्रों से शिकायतें आयें और आये दिन ऐसी घटनायें होती रहती हैं उसको मद्देनजर रख कर क्या पुलिस को ऐसी हिदायत दी जायंगी कि अगर ऐसी खबर उसके कान में आती हैं तो वह उनकी जांच करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कोई जरूरत भी नहीं है कि लड़कियां शिकायत करें लेकिन अगर ऐसी कोई घटना होगी तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यूनिवर्सिटी प्रांगण के अन्दर पुलिस नहीं जाती है, गेट पर रहती है लेकिन जैसा कि अखबार से विदित होता है

A weeping girl has narrated to this correspondent how the boys encircled her and other girl examinees on the main university road just near the gate and resorted to undescribable indecent acts.

इसको देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि उस वक्त पुलिस गेट पर मौजूद थी या नहीं थी और नहीं थी तो कहां थी और उसने क्या काम किया ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

जब वह घटना हो नहीं हुई तो उसका समय निश्चित नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

इसमें भ्रम यह है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस कहां थी और माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसी घटना हुई नहीं, पुलिस कहीं भी रही हो।

श्री ए० सी० जाइस—

यूनिवर्सिटी के गेट के सामने आज १०, २० सिपाही थे, मेरा सुझाव है कि उनको आगे बढ़ा कर आई० टी० कालेज के कोने पर रख दिया जाय तो ऐसी बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इसका प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मेरे प्रश्नों के आने के बाद और इस समाचार पत्र के संवाद के आधार पर क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का कोई प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि कोई घटना हो या कोई आदमी शिकायत करे तो जांच की जा सकती है । केवल न्यूजपेपर में छप जाने से कहां और किस प्रकार उस संबंध में अन्वेषण हो, यह कठिन हो जाता है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

लड़कियां आम तौर से लज्जाशील होती हैं, उनको कहने में संकोच होता है लिहाजा जब पुलिस की नोटिस में ऐसी घटना आ जाय तो उसका कर्तव्य है कि वह उसकी जांच करे और उसको रोकने की कार्यवाही करे क्योंकि नोटिस में आना ही पर्याप्त है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## बड़रांव ब्लाक में टीलों की खुदाई

*१—श्री झारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत घोसी तहसील में बड़रांव—ब्लाक स्थित मीरा ग्राम सभा में फर्लांगों तक फैले, कोट, डीह और ऊंचे टीले हैं, जहां खोदने पर बड़ी बड़ी ईंटें, मिट्टी के बर्तन, कभी-कभी सिक्के, नक्कासीदार और चित्रित मिट्टी के टुकड़े मिलते हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

आजमगढ़ जिला-अन्तर्गत घोसी तहसील में बड़रांव (बड़गांव नहीं) ब्लाक स्थित मीर (मीरा नहीं) ग्राम के अन्तर्गत जो कोट, डीह और ऊंचे टीले हैं वे पुरातत्वीय महत्व के हैं, वहां पर केवल ईंटे मिली हैं जो आज से लगभग १००० वर्ष प्राचीन प्रतीत होती हैं ।

*२—श्री झारखण्डे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि अरक्षित होने के कारण गांव वाले इन दुर्लभ ऐतिहासिक टीलों को बुरी तरह खोद रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

यह सही है कि गांव वालों नें ईंटों की तलाश में जहां तहां कुछ गड्ढे खोदे हैं । इस तरह की खोदाई रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*३—झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस पूरे क्षेत्र को रक्षित क्षेत्र घोषित करके, इसकी सम्यक खोदाई की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

इस पूरे क्षेत्र को शासन के संरक्षण में लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और इसके पश्चात् ही सम्यक खुदाई कराने के प्रश्न पर विचार करना संभव होगा ।

## काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी के किन-किन हरिजन छात्रों को उनके विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में चालू वर्ष के लिये स्वीकार की गई है तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्रों को कितनी-कितनी धनराशि जनवरी, सन् १९६६ तक भुगतान की जा चुकी है।

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४९–५५१ पर)

## विरही-गोहना मोटर मार्ग निर्माण

*५—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चमोली जिले (उत्तराखंड) में प्रसिद्ध बिरही-ताल मोटर सड़क के निर्माण कार्य पर तीन वर्ष से भी अधिक समय क्यों लग चुका है ? और इस सड़क का निर्माण कार्य भी अभी तक क्यों पूरा नहीं हो पाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

८/१/२ मील लम्बी विरही गोहना मोटर मार्ग पर कार्य अक्टूबर, १९६३ में आरम्भ किया गया था। कुछ सड़क काटी जा चुकी है व दो पुल भी बन चुके हैं। शेष कार्य की प्रगति में वर्षा के कारण ठेकेदारों को ठीक समय से लेबर न मिलना एवं पहाड़ी क्षेत्र में सख्त चट्टानों की कटाई में कठिनाइयों का सामना इत्यादि है। अब कार्य के मार्च, १९६७ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

*६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि चमोली जिले की उपरोक्त बिरहीताल मोटर सड़क पर काम करने वाले कई ठेकेदार के भुगतान रुके पड़े हैं ? इसके क्या-क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस उड़क पर कार्य करने वाले एक को छोड़ कर सभी ठेकेदारों के बिलों का अन्तिम निस्तारण किया जा चुका है क्योंकि उक्त ठेकेदार ने सरकार के ऊपर सेक्शन ८० पी० सी० का नोटिस दे रक्खा है अतः इस विषय में अधिक सूचना देना उचित न होगा।

## सर्किल इन्स्पेक्टर पुलिस का लखनऊ में चुनाव

*७—श्री केदारी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० आई० डी० पुलिस के चुनाव में जो कानपुर रेंज में हुआ सिलेक्शन के लिये कौन सा फारमूला निर्धारित किया गया था ? बुलाये गये व्यक्तियों की तादाद क्या थी ? और उनमें से कितने लिये गये ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

सी० आई० पुलिस के पद पर तरक्की के लिये कानपुर में कोई चुनाव नहीं हुआ था वरन् लखनऊ में हुआ था। सिलेक्शन योग्यता के आधार पर हुआ था। बुलाये गये व्यक्तियों की संख्या १०४ थी जिसमें से २३ को स्थानापन्न सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर उन्नति के लिये चुना गया।

*८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या यह बात सही है कि २६ जगहों के लिये सेलेक्शन करना था किन्तु २३ ही लिये गये बाकी ३ जगहों के लिये न लेने का क्या कारण है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

यह सही है कि २६ जगहों के लिये सेलेक्शन करना था परन्तु केवल २३ ही चुने गये। इसका कारण यह था कि साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सब इंस्पेक्टरों में से केवल २३ ही पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस चुनाव बोर्ड में कौन-कौन से व्यक्ति थे और चुनाव के लिये कौन-कौन सी अर्हतायें थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उसमें आई जी० थे और डी० आई० जी० इन्टेलीजेन्स भी थे। चुनाव के लिये सबसे पहली चीज सीनियारिटी, अच्छा कैरेक्टर रोल, एफिशैन्सी, यही सब चीजें देखी जाती हैं जब प्रोमोशन किया जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या इस चुनाव के अतिरिक्त कोई वेटिंग लिस्ट भी तैयार की गयी है जिसमें जो बाकी तीन रिक्त स्थान हैं उनको पूरा किया जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा कि कुल २६ जगहें थी लेकिन २३ व्यक्ति ही उपयुक्त पाये गये। तो `टिंग लिस्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री रघुनाथसिंह—

मंत्री जी ने पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चुनाव के लिये सीनियारिटी, ईमानदारी, एफिशियेन्सी, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो सीनियारिटी के हिसाब से तो २६ आदमी लिये जा सकते हैं। अब रह गयी ईमानदारी और कैरेक्टर रोल। तो क्या २३ के अतिरिक्त बाकी सब अयोग्य थे ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

जो चुनाव कमेंटी बैठी उसने उनको उपयुक्त नहीं पाया कि वे सर्किल इंस्पेक्टर का काम कर सकेंगे इसलिये नहीं रखा। उनके कैरेक्टर रोल में दोष भी थे।

श्री कमलासिंह यादव—

जो तीन रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति किस प्रकार होगी ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

और जो लोग बुलाये जायेंगे, उनमें से चुने जायेंगे।

## ऐती ग्राम में अछूतों पर अत्याचार की शिकायत

*९—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) तथा श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम ऐती, थाना सचेंडी, जिला कानपुर की अछूत जाति पर अमानुषिक अत्याचारों तथा जबरन उनकी फसल काटने के सम्बन्ध में जिलाधीश कानपुर का उत्तर प्रदेश पिटीशन विभाग का पत्र संख्या १२४/ए—चौतीस, ६५ दिनांक २९ अप्रैल,

१९६६ तथा १ जनवरी, १९६६ व २२ फरवरी, १९६६ के हरिजन अबलाओं के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जिला मजिस्ट्रेट कानपुर को पिटीशन्स विभाग का पत्र दिनांक २९-४-६५ प्राप्त हुआ था लेकिन प्रश्न में निर्दिष्ट अन्य किसी प्रार्थना पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया गया।

पिटीशन्स विभाग के उक्त पत्र के साथ प्राप्त शिकायती पत्र की जांच की गई किन्तु आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच किससे करायी गयी और जांच के मौके पर प्रार्थना पत्र देने वालों के तफसील के साथ बयान लिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जो शिकायत थी उसे गलत पाया गया। जो मुसम्मात हैं वे जमीन चाहती हैं दूसरी, अपने हिस्से से ज्यादा। उसका मुकदमा चकबन्दी में चल रहा है। उस कारण उन्होंने शिकायत की।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन व्यक्तियों के बयान लिये गये और कितनों ने उन शिकायतों को सपोर्ट किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इतनी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

## श्री अनिरुद्ध पांडेय, जिलाधीश, फतेहपुर के स्थानान्तरण की मांग

*१०--श्री रामकिशोर वर्मा, श्री खयालीराम, श्री रघुबीर राम (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुबीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिरुद्ध पांडेय, जिलाधीश फतेहपुर के विरुद्ध, अध्यक्ष, जिला परिषद, जिले के प्रायः सभी विधायकों के प्रतिष्ठित राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा आप (मुख्य मंत्री) के समक्ष अनेक गम्भीर लिखित तथा जबानी शिकायतें की गई, आपके आदेश पर जब प्रदेशीय सरकार के उप गृह मन्त्री श्री शिव प्रसाद गुप्त ने नवम्बर, १९६५ में फतेहपुर जाकर जिले के हित में यथाशीघ्र तथा कथित जिलाधीश के स्थानान्तरण की रिपोर्ट दी, तब वह कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनके कारण जिले के हित व जिले के जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों की उपेक्षा की गई और स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कुछ शिकायतें सरकार से की गई थीं। उप गृह मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी हासिल करने फतेहपुर गये। उन्होंने कोई रिपोर्ट इस बारे में नहीं दी केवल मुख्य मंत्री को परिस्थिति से अवगत करा दिया।

*११--श्री राकिशोर वर्मा, श्री खयाली राम, श्री रघुबीरराम तथा श्री रघुबीर सहाय कैथवार--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वह जिले के हित में कब तक स्थानान्तरण करने का विचार रखती हैं ? नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह विचाराधीन है ।

श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन परिस्थितियों में मंत्री जी ने माननीया मुख्य मंत्री जी को जिन बातों से अवगत कराया, वे कौन सी बातें थीं ? वे लिखित थीं या जुबानी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वह तो जुबानी बता दिया ।

श्री रामकिशोर वर्मा--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने रिपोर्ट दी तो उनकी निगाह में वे कौन सी बातें थीं कि उनकी निगाह में उनका जिले में रहना अच्छा है या बुरा ? क्या वे उन बातों को बतायंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, यह तो कांफीडेंशियल है । हर चीज बताने की थोड़े ही होती है ।

## यू० पी० का बंटवारा

*१२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंजाबी सूबे के प्रश्न की भांति क्या यू० पी० के भी बंटवाने का प्रश्न उठ गया है जिसके कारण प्रदेश में संघर्षशील स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार ने शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

## कानपुर में फर्जी हस्ताक्षरों से जी० पी० शीट लेने वालों पर मुकदमा

*१३--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १० नवम्बर, १९६५ का कानपुर में २६ टन जी० पी० शीट का फर्जी हस्ताक्षरों से परमिट लेकर टीन ले जाते हुये कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है और उसमें अब तक क्या हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

दिनांक १०-११-६५ को कानपुर में २६ मेट्रिक टन सफेद चादर के परमिट, फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर, आगरे के ६ इकाइयों ने प्राप्त कर लिये थे, इन परमिटों का दिखा कर माल लेने के संबंध में तीन व्यक्ति स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गये थे जो बाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से जमानत पर छोड़ दिये गये । इन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है--

१--श्री एम० बी० लाल ,
२--श्री के० चन्द्र
३--श्री वी० कुमार

बाद में पुलिस ने श्रीमती शकुन्तला देवी को आगरे में पकड़ा और वह भी जमनात पर छोड़ दी गईं । मामले में विस्तृत जांच कराई जा रही है ।

---

नोट--तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

[५ मई, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## मुरादाबाद जिले में रांगे का वितरण

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९६५ के बाद जिलाधीश मुरादाबाद ने कितना-कितना रांगा किस-किस पार्टी (फर्म) को मंजूर किया और (उन लोगों) को कितने-कितने रांगा का परमिट जिला कार्यालय से जारी किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नीति के अनुसार जिलाधीश द्वारा रांगे के वितरण के लिये स्वीकृति नहीं दी जाती है और न ही जिला उद्योग कार्यालय द्वारा इसके लिये परमिट दिया जाता है। अतः जनवरी १, १९६५ के बाद किसी फर्म को उक्त माल का जिलाधीश मुरादाबाद द्वारा स्वीकृत किये जाने एवं जिला उद्योग कार्यालय द्वारा परमिट दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*२—श्री रियासत हुसैन —

[विस्तृत होने के कारण हटा दिया गया।]

## साम्प्रदायिक दंगे

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६५ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक प्रदेश में कहां-कहां साम्प्रदायिक दंगे हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेश में १ जनवरी ६५ से ३१ दिसम्बर ६५ तक मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इलाहाबाद, बरेली तथा गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुये।

## रेणुकोट में मजदूरों पर लाठी प्रहार

*४—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि रेणुकोट (मिर्जापुर) स्थित हिन्दुस्तान अल्युमुनियम कारखाने में मजदूरों पर गत मास दिसम्बर, १९६५ में भयंकर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें दर्जनों मजदूर बुरी तरह घायल हुये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक २४-१२-६५ को सांयकाल श्रमिकों तथा दुकानदारों के एक जुलूस निकाले जाने के संबंध में हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कारपोरेशन के सुरक्षा अधिकारियों तथा जुलूस पक्ष के बीच आपस में मारपीट व लाठी ढेले बाजी हुई जिसके फलस्वरूप जुलूस तथा अल्युमिनियम कारपोरेशन के कुछ व्यक्तियों को चोटें आयीं।

*५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि यह लाठीचार्ज क्यों हुआ और सरकार ने इस में दोषी लोगों के प्रति क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उक्त तिथि को रेणुकोट में राष्ट्रीय श्रमिक संघ तथा दूकानदारों की तरफ से जो जुलूस निकला था वह हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कारपोरेशन के अधिकारियों से बिना

आज्ञा प्राप्त किये लेबर कालोनी से जाने लगा। कारपोरेशन के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रोके जाने पर जुलूस की भीड़ उत्तेजित हो गई। इसी कारण लाठी बाजी और ढेलेबाजी की घटना हुई।

मामले की विवेचना की गई और जो शहादत इकट्ठी हो पाई है उसकी जांच की जा रही है।

## दोहरीघाट विकास खण्ड में ब्रश उद्योग सोसाइटी

*६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपा करके यह बतावेंगे कि आजमगढ़ जिले के दोहरी घाट विकास खंड के अन्तर्गत ब्रुश उद्योग सोसायटी नई बाजार, को जनवरी, सन् १९६५ में जो अनुदान विकास खंड के माध्यम से दिया गया उसमें किस-किस किस्म के ब्रुश तैयार हो रहे हैं और उसका कारखाना किस मुकाम पर है तथा उसके सदस्यों की एक सूची मेज पर रखेंगे ?

*७—क्या यह सच है कि उल्लिखित अनुदान विमुक्त जातियों को सोसाइटी के लिये था और उस सोसाइटी में विमुक्त जाति का कोई सदस्य नहीं है बल्कि एक ही परिवार के कुछ आदमी फर्जी सोसाइटी बनाकर तत्कालीन विकास खण्ड अधिकारी को मिलाकर सरकारी धन को हड़प लिया है ?

*८—क्या उद्योग मंत्री यह बता सकते हैं कि खंड विकास अधिकारी ने बिना क्षेत्र समिति के प्रस्ताव के इतनी बड़ी रकम क्यों दी तथा क्या उक्त रकम वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## राजकीय इन्टर कालेज कर्ण प्रयाग का छात्रावास

*९—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज, कर्ण प्रयाग, जिला चमोली में छात्रावास के लिये एक छोटा सा पुराना भवन मौजूद है, उसकी जीर्ण शीर्ण दशा का ज्ञान है ? और क्या सरकार शीघ्र ही उसके जीर्णोद्धार तथा नई प्रकार से निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पुराने भवन की दशा अच्छी नहीं है। इसके जीर्णोद्धार पर विचार किया जा रहा है।

*१०—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी (अनुपस्थित)—

कर्ण प्रयाग (जिला चमोली) के राजकीय इन्टर कालेज, में छात्रावास के लिये भवनों की अत्यन्त कमी के कारण विद्यार्थियों को जो जो शिकायतें तथा कठिनाइयां हैं, क्या सरकार को उनका ज्ञान है ? और क्या सरकार विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर छात्रावास के लिये शीघ्र भवन का निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रश्न ९ में दे दिया गया है।

*११—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि कर्णप्रयाग (जिला चमोली) के राजकीय इन्टर कालेज में ११ वीं व १२ वीं श्रेणी की पढ़ाई के लिये कमरों की कमी है जो भवन वर्तमान समय में

विद्यमान है वह दसवीं श्रेणी तक के लिये है ? इस स्थिति के अन्तर्गत क्या सरकार उपरोक्त कालेज में ११ वीं तथा १२ वीं श्रेणी की पढ़ाई के लिये शीघ्र ही पर्याप्त स्थान युक्त भवन का निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस कालेज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये मई १९६४ में, १,३२,००० रुपये का नया भवन बनाना स्वीकृत हुआ है। जिस पर कार्य चल रहा है। आशा है कि इसके बन जाने पर स्थान की समस्या काफी हद तक दूर हो जायगी।

## मुख्य मंत्री विवेक निधि से धन वितरण

*१२—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में उनके द्वारा विवेक निधि के रूप में कितना धन निश्चित था, तथा किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

| | रु० |
|---|---|
| १९६४–६५ .. .. .. | ७५,००० |

जहां तक व्यक्तियों के नाम व उनको दिये गये धन की सूची का प्रश्न है यह बहुत विस्तृत है।

## रुद्रपुर में श्री राधेलाल गुप्त की हत्या

*१३—श्री मारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जौनपुर निवासी, सहजनवा षंडयंत्र केस और लखनऊ षड्यंत्र केस के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री राधे लाल गुप्त जिनकी निर्मम हत्या गत वर्ष रुद्रपुर टाउन (नैनीताल) में सोते समय कर दी गयी थी, जिसकी जांच-पड़ताल के लिये एक उच्च सी० आई० डी० अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसकी क्या रिपोर्ट है, और अब तक उस मामले में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्री राधेलाल गुप्त की हत्या की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई गई परन्तु जांच से सफलता नहीं मिली। अतः विवेचना बंद कर दी गई।

*१४–१६—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

[९ वें मंगलवार के लिये प्र० सं० ७६–७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## वाराणसी जिले में हरिजनों को पेय जल कष्ट

*१७—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बतावेगी कि जिला वाराणसी में कितनी हरिजन आबादियां हैं जहां इस समय पानी पीने के कुंयें नहीं हैं ?

डाक्टर सीताराम—

२७६।

*१८—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया। ]

## बाराबंकी जिले में उद्योग ऋण

*१९—श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि १९६४-६५ वर्ष में बाराबंकी जनपद में किन-किन लोगों को एक हजार से अधिक रुपये किस-किस उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण दिया गया ? उनमें से कौन-कौन उद्योग कहां-कहां स्थापित किये गये है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

*२०—श्री गिरजा प्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों ने प्राप्त ऋण का समुचित उपयोग नहीं किया है वे कौन-कौन लोग हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिन लोगों ने प्राप्त ऋण का उपयोग नहीं किया हैं उनके नाम संलग्न सूची के भाग २ में अंकित हैं। उन लोगों को जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय द्वारा शीघ्र कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में अन्तिम नोटिस दिया जा चुका है। इसके पश्चात् भी अगर वे कार्य आरम्भ नहीं करते तो उनसे समस्त ऋणराशि वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

## तिलहर ब्लाक में साइकिल की चोरी

*२१—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र तिलहर, जिला शाहजहांपुर में अगस्त सन् १९६३ में कुल कितनी साइकिलें चोरी हुईं। जिनकी थाने में रिपोर्ट लिखी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

अगस्त, १९६३ में विकास क्षेत्र तिलहर से केवल एक साइकिल चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई थी।

*२२—श्री उग्रसेन—

क्या इस सम्बन्ध में थाना तिलहर में साइकिलों के मौजूद होने की सूचना स्थानीय जनता द्वारा दिसम्बर, १९६५ में दी गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उस चोरी गई साइकिल के मौजूद होने के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दिसम्बर ६५ में प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गई परन्तु जांच से उसमें अंकित आरोपों की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला।

*२३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[८वें बुधवार के लिये प्र० सं० ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२४-२६—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

[९वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ६३-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## थानाध्यक्ष मरदाह के विरुद्ध शिकायतें

*२७—श्री रघुबीर राम—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि दिसम्बर, सन् १९६५ के प्रथम सप्ताह में डेगा राम, शिव नाथ, दुक्खी सिंह, किताबुन निसां और सुक्खू पासी ने जो कि ग्राम व थाना मरदाह जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं क्रमशः १-१२-६५, २-१२-६५, ३-१२-६५ व ४-१२-६५ को एस० पी० गाजीपुर के नाम मरदाह के थानेदार के खिलाफ रिश्वत लेने के बारे में दरख्वास्तें दी थीं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित पांचों व्यक्तियों ने दिसम्बर, १९६५ के प्रथम सप्ताह में थानाध्यक्ष मरदाह के विरुद्ध शिकायती पत्र भेजे जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप थे। इन आरोपों की जांच उप पुलिस अधीक्षक (एन्टी-करप्शन) ने की। ४ शिकायती पत्रों में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं हुए। शेष एक प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप के बारे में अभी जांच हो रही है।

## शाहजहांपुर जिले की ग्राम सभाओं में सिनेमा

*२८—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की कितनी ग्राम सभाओं ने सूचना अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा सिनेमा १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक दिखलाया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

६१ ग्राम सभाओं में।

*२९—श्री रामलखन—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिया गया।]

## विधूना में क़त्ल सहित चोरी

*३०—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के विधूना कस्बे में कोई शस्त्रागार थोड़े समय पूर्व लूटा गया और उसमें एक हत्या भी हुई ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला इटावा के विधूना कस्बे में जनवरी २३/२४, १९६६ रात्रि को एक अस्त्र-शस्त्र की दुकान का ताला तोड़ कर चोरी हुई और उसमें एक हत्या भी हुई। घटना की तफतीश अभी चल रही है।

## सिसवां तालाब पर होमगार्ड शिविर

*३१—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ दिसम्बर, १९६५ से दिनांक १३ जनवरी, १९६६ तक सिसवा तालाब पर होमगार्ड ५वीं बटालियन (ग्रामीण) वाराणसी का शिविर हुआ था ? यदि हां, तो कैम्प के संबंध में शिकायतें जैसे जवानों को कम भोजन, मक्खन निकला हुआ दूध, कर्मचारियों को मजदूरी का कम भुगतान, धोबी को बुरी तरह पीटना आदि

के संबंध में कमांडेंट जनरल उत्तर प्रदेश को दिनांक १५ जनवरी, १९६६ को भेजा गया है जिसमें कैंप कमान्डेंट की शिकायत की गयी है, यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी हां। कमान्डेन्ट जनरल, होम गार्ड्स को वाराणसी होम गोर्ड्स की पांचवीं बटालियन (ग्रामीण) के सिसवा तालाब पर हुये कैम्प के कमान्डेन्ट के विरुद्ध दिनांक १५ जनवरी, १९६६ का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। उक्त शिकायती पत्र में जवानों को कम भोजन, मक्खन निकाला हुआ दूध, कर्मचारियों को मजदूरी का कम भुगतान तथा धोबी को बुरी तरह पीटने आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। शिकायती पत्र में कैंप कमान्डेन्ट द्वारा की गई खाद्य एवं भुगतान तथा व्यवहार संबंधी कार्यों और सरकारी धनराशि के अनियमित ढंग से खर्च करने आदि के आरोप लगाये गये हैं। इस शिकायती पत्र के संबंध में जांच होम गार्ड्स मुख्यालय के सहायक समादेष्टा द्वारा कराई गयी। सहायक समादेष्टा की जांच रिपोर्ट कमान्डेन्ट जनरल के विचाराधीन है।

*३२--श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

## ब्रह्मपुर ग्राम से देवी की मूर्ति की चोरी

*३३--श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि फरवरी, १९६६ के प्रथम पखवारे में नन्दगंज, गाजीपुर के किसी मन्दिर की मूल्यवान मूर्ति की चोरी कर ली गई ? यदि हां, तो घटना क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

१२/१३ फरवरी १९६६ की रात्रि में ग्राम ब्रह्मपुर, थाना नन्दगंज, जिला गाजीपुर में स्थित देवी जी के मन्दिर से देवी जी की मूर्ति चोरी हो गई। थाने पर सूचना मिलने पर धारा ४५७/३८० भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया और जांच प्रारम्भ की गई। जांच से कुछ पता नहीं चला अतः अंतिम रिपोर्ट लगा कर जांच समाप्त की गई।

## भ्रष्टाचार विरोध समितियां

*३४--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हर जिले में भ्रष्टाचार विरोध समिति की रचना किस प्रकार होती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रत्येक जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं :

१--अध्यक्ष (गैर-सरकारी व्यक्ति)।

२--राज्य विधान मंडल के सदस्य जो जिले में निवास करते हों (पदेन),

३--अध्यक्ष, जिला परिषद् (पदेन),

४--सरकार द्वारा मनोनीत पांच सदस्य (गैर-सरकारी)।

सरकार द्वारा पांच सदस्यों के मनोनीत किये जाने पर समिति द्वारा अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। समिति के अध्यक्ष तथा पांच मनोनीत सदस्यों की पदावधि केवल २ वर्ष होती है। तद्पश्चात् सरकार द्वारा नये सदस्य मनोनीत किये जाते हैं और समिति द्वारा नया अध्यक्ष।

*३५---श्री द्विजेन्द्रनारायण---

उसमें कौन-कौन सदस्य होते हैं और इस भ्रष्टाचार विरोध समिति के क्या-क्या अधिकार हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

१---जैसा कि उक्त प्रश्न के उत्तर में क्रम संख्या २,३ व ४ पर व्यक्त है।

२---यह समिति अपत्रित कर्मचारिवर्ग के विरुद्ध प्राप्त परिवादों के संबंध में, जिनमें विशिष्ट आरोप लगाये गये हों, अथवा जो सुप्रमाणित प्रतीत हों, कार्यवाही कर सकती है और उन्हें वैभागिक अधिकारियों के पास जांच हेतु भेजकर रिपोर्ट मांग सकती है। यदि समिति का इस रिपोर्ट से समाधान न हो तो वह ऐसे मामले को अपनी टिप्पणी के साथ प्रभाग के आयुक्त के पास भेज सकती है।

*३६---श्री द्विजेन्द्र नारायण---

बाराबंकी जिले में इसकी मीटिंग अप्रैल, १९६४ से अब तक किन-किन तारीखों में हुई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

१---१९-९-१९६४

२---२३-१२-१९६४

३---५-७-१९६५

४-२०-७-१९६५

५---२८-८-१९६५

६---१५-२-१९६६

७---११-३-१९६६

क्रमसंख्या ४,५ व ७ की बैठकें इस समिति की कार्यकारिणी समिति की थीं।

*३७---श्री हिम्मतसिंह---

[प्रश्न कर्त्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

## बुलन्दशहर जिले में लाइसेंसों की बदली

*३८---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में मई, १९६४ से जनवरी, १९६६ तक की अवधि में बन्दूकों के लाइसेंसों को राइफल अथवा रिवाल्वर के लाइसेंसों में बदला गया है ? यदि हां, तो ऐसे लाइसेंन्स होल्डर्स के नाम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मई, १९६४ से जनवरी, १९६६ तक जिला बुलन्दशहर में दो व्यक्तियों के बंदूक के लाइसेंसों को राइफल के लाइसेंसों में बदला गया है उनके नाम इस प्रकार है :

१---श्री मौ० अजमल खां

२---श्री वदीउल जमा खां।

कोई बन्दूक का लाइसेंस रिवाल्वर के लाइसेंस में नहीं बदला गया।

## कासगंज तहसील में उद्योग ऋण

*३९—श्री गिरवर प्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले की तहसील कासगंज में उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से १९६५-६६ तक किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना रुपया ग्रान्ट, सबसिडी और लोन के रूप में दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लोन संबंधी वांछित †सूचना संलग्न सूची में सदन की मेज पर रख दी गई है।

सम्बद्ध अवधि में किसी को कोई ग्रान्ट या सबसिडी नहीं दी गयी।

## एटा जिले में बन्दूक के लाइसेन्स सम्बन्धी पत्र

*४०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६५ के कुल वर्ष में जिला एटा में कितने ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिलाधीश महोदय को इस आशय के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये कि उनके बन्दूकों के लाइसेंसों में जिला सीमा की ही स्वीकृति है उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश की स्वीकृति दे दी जाये और उनके नाम पते तथा पेश करने की क्या-क्या तारीखें हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९६५ में जिला एटा में ८४ व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए गए थे। उनके नाम, पते तथा प्रार्थना-पत्र के पेश करने की तारीखें संलग्न तालिका में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५३-५५५ पर)

## कोंच में श्री श्रीधर आजाद द्वारा कन्नी का रुपया सुरक्षा कोष में जमा करना

*४१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ नवम्बर, १९६५ को उन्होंने शास्त्रिसराम पाठक विद्यालय कोंच के एक कक्ष का चांदी की जिस कन्नी से शिलान्यास किया था क्या उसे वहीं पर आयोजित समारोह में सुरक्षा कोष के लिये नीलाम कर दिया गया था ? यदि हां, तो नीलाम की बोली किस के नाम और कितने की छूटी थी और क्या जिसके नाम बोली छूटी थी उसने बोली की राशि सुरक्षा कोष में जमा कर दी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । नीलाम की बोली श्री श्रीधर आजाद, अध्यक्ष, नगर पालिका, कोंच के नाम २५१ रुपया में छूटी। उक्त धनराशि सुरक्षा कोष में जमा कर दी गई है।

## तेंदवारी ब्लाक से सुरक्षा कोष में धन

*४२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा की तहसील के तेंदवारी ब्लाक से जो धन सुरक्षा कोष में ब्लाक प्रमुख द्वारा दिनांक ८ नवम्बर, १९६६ ई० को मलरा की मीटिंग में दस हजार एक रुपया श्री राममूर्ति जी मंत्री को दिया गया वह धन कहां जमा है और उसकी तफसील क्या है ?

---

†सूचना छापी नहीं गयी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह धन स्टेट बैंक आफ इन्डिया की बांदा शाखा में जमा किया गया है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

| चालान नं० दिनांक | | | | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० |
| ३२।८-११-६५ | .. | .. | .. | २,६८८.०० |
| १६।१०-११-६५ | .. | .. | .. | ५,३५०.०० |
| ३१।२७-११-६५ | .. | .. | .. | १,७००.०० |
| | | | योग .. | १०,०३८.०० |

*४३—श्री मनोलसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा के तेंदवारी ब्लाक से बी० डी० ओ० द्वारा तारीख ९ दिसम्बर, १९६५ को मुकाम तेंदवारी में जो पांच हजार रुपया जूनियर हाई स्कूल में एस० डी० ओ० की मौजूदगी मे श्री बृजमोहन लाल गुप्ता, एम० एल० ए०, बांदा को सुरक्षा कोष के वास्ते दिया गया था वह धन जिस रसीद द्वारा सरकारी कोष में जमा हुआ उस रसीद की तारीख नम्बर क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री ब्रज मोहन लाल गुप्ता, सदस्य विधान सभा को कोई नकद रकम सुरक्षा कोष हेतु नहीं दी गई थी, परन्तु केवल एक दान दाताओं की सूची दी गई थी, जिसमें से कुछ वसूली पहले ही हो गई थी और शेष धन की वसूली बाद में हुई थी ।

## सहारनपुर जिले में डकैतियां तथा चोरियां

*४४—श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले तथा नगर में दिनांक १ जनवरी, १९६६ से १७ फरवरी, १९६६ तक कितनी डकैती तथा चोरी की वारदात किस-किस दिन हुई ? और उनमें से कितने मामलों में पुलिस कार्यवाही हुई और क्या ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## कानपुर जिले में पुराने पुलिस सब-इन्सपेक्टर

*४५—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत कितने ऐसे पुलिस सब-इन्सपेक्टर हैं जिनकी तैनाती कानपुर जिले में ५ वर्ष से अधिक से है तथा इतनी लम्बी तैनाती का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

कानपुर जिले में २० सब-इंस्पेक्टर ऐसे हैं जिन्हें ५ वर्ष उस जिले में तैनात हुये हो चुके हैं। एक जिले में सब-इंस्पेक्टर के तैनाती की अवधि ६ वर्ष तक है।

कानपुर जिले में ३ सब-इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो ६ वर्ष पूरे कर चुके हैं इनके तबादले के आदेश दिये जा चुके हैं ।

## चौबेपुर थाना के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*४६—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला के अन्तर्गत चौबेपुर थाना के किन-किन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध गत ६ माह के अन्दर ताजीरात हिन्द की दफा ७ की विभागीय कार्यवाही की गई और किस अपराध में ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत गत ६ माह में सर्वश्री लोकनाथ राय सब-इंस्पेक्टर, तेजबहादुर सिंह कांस्टेबिल, रामशंकर भारती कांस्टेबिल के विरुद्ध यह आरोप था कि इन्होंने एक बस के मालिक के लड़के को बस के बाहर खींचकर मारा तथा थाने पर ले गये।

*४७—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या गृह मंत्री को पता है कि उपरोक्त थाने के उन्हीं पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधीश न्यायिक वाराणसी की अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस जुर्म में और अभियोगकर्ता कौन हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उपरोक्त लोगों में से केवल श्री लोकनाथ राय के विरुद्ध श्री गिरीशचन्द्र सिंह द्वारा धारा ३४२।३४५।२२०।५००।१०९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दायर किया गया इस्तगासा अदालत में चल रहा है ।

## नगला हाजीपुर निवासी नारायण के कत्ल की जांच

*४८—श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री नारायण, निवासी नगला हाजीपुर, थाना कोतवाली, जिला अलीगढ़ का कत्ल दिनांक १/२ सितम्बर, १९६५ को हुआ था उसके बारे में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है, अब तक मुल्जिमों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

नरायन पुत्र पृथ्वी की लाश दोलताबाद की तलैया में पड़ी होने की सूचना थाना कोतवाली पर दिनांक २-९-६५ को मिली थी जिस पर जांच प्रारम्भ की गई। अब तक की जांच से किसी मुलजिम का पता नहीं चला जिसके कारण इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी जांच जारी है ।

*४९—श्री भूपसिंह—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त कत्ल की दरख्वास्त संबंधित अधिकारियों तथा माननीय गृह मंत्री को दिनांक १६ अक्तूबर, १९६५ को दी गई, यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १६-१०-६५ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ तथा उसकी जांच सर्किल अफसर ने की। जांच से प्रार्थना-पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

*५०—श्री भूपसिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कत्ल की लापरवाही की शिकायत तारीख २७ दिसम्बर, १९६५ के प्रार्थना-पत्र में किसी थानेदार की, की गई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त केस तथा थानेदार की शिकायत की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिनांक २७-१२-६५ को प्राप्त हुआ। सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध जांच में कोई बात ऐसी नहीं मालूम हुई कि उन्होंने मामले में समुचित कार्यवाही नहीं की। सी० आई० डी० से जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

## लखनऊ में चिकन कढ़ाई योजना की समाप्ति

*५१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजकीय चिकन कढ़ाई योजना लखनऊ को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो जो कर्मचारी एवं कारीगर इस योजना में काम कर रहे हैं उन्हें अन्यत्र क्या काम देने का विचार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकार ने बचत योजना के अन्तर्गत चिकन बढ़ाई योजना लखनऊ को मार्च, १९६७ तक समाप्त कर देने का निश्चय कर लिया है। योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को उनके अनुभव, महंता तथा विभागीय ज्येष्ठता के आधार पर अन्य पदों पर स्थानान्तरित करने का यथासम्भव प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में काम कर रहे कारीगरों की कई औद्योगिक सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं। उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी गई है। आशा की जाती है कि इनके द्वारा कारीगरों को कार्य मिलता रहेगा।

*५२—रक्षपाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राजकीय चिकन कढ़ाई योजना लखनऊ पर वित्तीय वर्ष १९६३-६४, १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में कितना व्यय तथा कितनी आय हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राजकीय चिकन कढ़ाई योजना लखनऊ पर वित्तीय वर्ष १९६३-६४, १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में हुए आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

| (अ) व्यय | रु० |
|---|---|
| १९६३-६४ .. .. .. .. | २,३९,४३४.३१ |
| १९६४-६५ .. .. .. .. | १,८७,०७४.९४ |
| १९६५-६६ .. .. .. .. | १,१२,९४५.३४ |

| (ब) आय | बिक्री की गई वस्तु का मूल्य रु० में |
|---|---|
| १९६३-६४ .. .. .. .. | २,५९,९०९.७७ |
| १९६४-६५ .. .. .. .. | १,७३,०७१.५० |
| १९६५-६६ .. .. .. .. | १,५४,३५६.०० |

## राज्य के गुण्डों की सूची

*५३—श्री यादवेन्द्र दत्त—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य के गुण्डों की कोई सूची भेजी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार यह सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? तथा यह सूची कब भेजी गई?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। इस बारे में अधिक सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

## सरिगवां ग्राम की डकैती

*५४—श्री शिवनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिला कानपुर के थाना गजनेर के अन्तर्गत ग्राम सरिगवां में दिनांक २५ जून, १९६५ की रात्रि में कोई डकैती पड़ी थी और वादी ने डकैती का रहस्योद्घाटन करते हुये कोई प्रार्थना-पत्र माननीय गृह मंत्री, आई० जी० पुलिस व डी० आई० जी०, कानपुर को दिया था? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और डकैती से सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्द सिंह—

थाना गजनेर के ग्राम सरिगवां में श्री शिव रतन सिंह के यहां दिनांक २५-६-१९६५ को रात्रि में डकैती पड़ी थी। इस सम्बन्ध में वादी ने एक प्रार्थना-पत्र एस० पी० कानपुर को भेजा था और उसकी प्रतिलिपियां मुख्य मंत्री, गृह मंत्री तथा डी० आई० जी० कानपुर आदि को भेजी थीं। इस प्रार्थना-पत्र की जांच श्री बी० पी० शर्मा सर्किल आफिसर ग्रामीण क्षेत्र कानपुर ने की थी। डकैती से संबन्धित ४ अभियुक्तों को पकड़ा गया जिनमें से एक शिनाख्त न होने के कारण छूट गया और दो को ७ वर्ष का कठिन कारावास का दण्ड दिया गया और शेष एक का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। चार और व्यक्तियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है।

*५५—श्री हिम्मतसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

## काशी के कलेक्टर तथा एस० पी० के तबादले की मांग

*५६—श्री यादवेन्द्र दत्त—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय में अधिकारियों की उद्दण्डता के कारण दिनांक ३ फरवरी, १९६६ को जो घटना घटी है उसके कारण सिटी डी० एस० पी० शहर कोतवाल तथा सिटी मैजिस्ट्रेट का तबादला किया गया है? यदि हां, तो काशी के कलेक्टर तथा एस० पी० का तबादला क्यों नहीं किया गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि एक इन्क्वायरी कमीशन इस घटना की जांच कर रही है, अतः इस समय उससे सम्बन्धित कोई सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

## सचिवालय में अनुसूचित जातीय व्यक्तियों की भर्ती के लिए आदेश

*५७—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने सचिवालय के सभी विभागाध्यक्षों को यह आदेश दिया है कि जब कभी किसी विभाग में एक-एक आदमी की

नियुक्ति की जाय तो ऐसी भर्ती के लिए एक रजिस्टर (रोस्टर) रखा जाय जिसमें प्रथम और सातवां स्थान अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा जाय और उन्हीं के द्वारा भरा जाय ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। सरकारी आदेश संख्या १००—एस० सी०/दो—वी—३१६-१९६४, दिनांक १५ मार्च, १९६५ की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५६—५५८ पर)

*५८—श्री रामकिंकर—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या उपरोक्त आदेश प्रोमोशन पाने के लिये भी लागू किया गया है या केवल नई भर्ती के लिए लागू किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह आदेश सीधे भर्ती के लिये लागू हैं लेकिन जहां पर, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो विभागीय अभ्यर्थियों के लिये सीमित हो, पदोन्नति होती है, वहां भी यह आदेश होते हैं।

## बाराबंकी जिले में कागज उद्योग चलाने का सुझाव

*५९—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी जनपद में कागज बनाने का मिल खोलने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके स्थापना के लिये किस-किस स्थान का सर्वेक्षण किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त उद्योग किसके द्वारा खोले जाने की योजना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## थाना मलिहाबाद पर सीमेंट की चोरबाजारी की रिपोर्ट

*६०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ में दिनांक ८ फरवरी, १९६६ को सीमेंट की चोर बाजारी की कोई रिपोर्ट लिखाई गई है ? यदि हां, तो पुलिस ने उक्त मामले में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

८-२-१९६६ को थाना मलिहाबाद पर सीमेंट की चोर बाजारी की एक रिपोर्ट लिखाई गई थी। परन्तु उत्तर प्रदेश सीमेंट नियंत्रण आज्ञा, १९५५ के दिनांक १-१-१९६६ से विखण्डित हो जाने के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं पाया गया अतः इसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो गई है।

*६१—श्री रामसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

*६२—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री भीमा प्रसाद तथा श्री रतीपाल—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

## बांदा जिले में पोलीटेक्निक योजना

*६३—श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६५ में बांदा जनपद में एक पालिटेक्निक कालेज खोलने की योजना बनी थी, यदि हां, तो अभी तक क्यों नहीं क्रियान्वित की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। पोलीटेक्निक का भवन निर्माण करने के लिए भूमि चुन ली गई है तथा उसका कब्जा लेने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*६४-६६—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[प्रश्न कर्ता के विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के कारण हटा दिये गये।]

## सचिवालय में अनुसूचित जातीय व्यक्तियों की पदोन्नति

*६७—श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच), श्री मंगल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री मूल सिंह (जिला बहराइच)—

क्या मुख्यमंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि असेस्मेन्ट आफीसर के ३२ पदों के लिये सचिवालय के स्थायी प्रवर वर्ग सहायकों में से नियुक्त करने की व्यवस्था हो रही है ? यदि हां, तो कितने स्थान अनुसूचित वर्ग के लिये सुरक्षित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

इस चुनाव में अनुसूचित जातियों के प्रवर वर्ग सहायकों के लिए कोई आरक्षण नियमानुसार सम्भव नहीं है।

## प्रधान मंत्री के शोक के समय इलाहाबाद में पी० सी० एस० की परीक्षायें

*६८—श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब स्व० लालबहादुर शास्त्री के निधन पर प्रदेशीय सरकार द्वारा राजकीय स्तर पर ११ और १२ जनवरी, १९६६ को शोक मनाया जा रहा था और सभी सरकारी कार्य बन्द थे, उन्हीं दिनों लोक सेवा आयोग द्वारा इलाहाबाद में पी० सी० एस० की परीक्षायें ली गयीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

*६९—श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

क्या परीक्षार्थियों ने आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव से परीक्षाओं के स्थगित करने की प्रार्थना की थी और उस पर ध्यान नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

## गढ़ीलाल ग्राम में पुलिस की गोली से महिला का घायल होना

*७०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १८ जनवरी, १९६६ को ग्राम गढ़ीलाल मौजा सिकतारा, थाना शम्शाबाद, आगरा में पुलिस ने गोली चलाई जिससे एक महिला घायल हो गई ? यदि हां, तो गोली चलाने का क्या कारण था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

थाने पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक १८-१-१९६६ को ग्राम गढ़ीलाल में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया जिसे छुड़ाने के लिए गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया । एक कान्सटेबुल जो हवाई फायर करने जा रहा था, के हाथ पर लाठी लगी । उसका हाथ नीचे हो गया और झटके से गोली छूट गई जो एक महिला के लगी ।

## थाना कैम्पियरगंज में कृपाल के घर डकैती

*७१—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज थाने के अन्तर्गत फरवरी, १९६६ के अन्तिम सप्ताह में डाकुओं के एक दल ने कसापार (धानी बाजार) ग्राम स्थित राम कृपाल के घर में डाका डाल कर सारा सामान लूट लिया है ? यदि हां, तो कुल कितनी जन-धन की हानि हुई तथा घटना क्या है ? और कितने व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

थाना कैम्पियरगंज में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २१/२२-२-६६ की रात में १०-१२ डाकुओं ने श्री कृपाल निवासी ग्राम कानापार (धानी बाजार) जिला गोरखपुर के घर में डाका डाला और लगभग ६०८ रु० का सामान और ६०० रुपये नकद लूट ले गए। किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, केवल एक व्यक्ति को २ चोटें आयीं ।

अभी तक इस अपराध के संबंध में ३ व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं।

## थाना कलवारी में श्री झिनकान की रिपोर्ट

*७२—श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती), तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ८ फरवरी, १९६६ को दोपहर के समय ग्राम रेहुरवा बहादुरपुर थाना कलवारी, जिला बस्ती में श्री झिनकान के घर पर भीषण डकैती पड़ी ?

*७३—क्या गृह मंत्री कृपा कर के यह भी बतायेंगे कि उस डकैती की रिपोर्ट लिखाने के वास्ते श्री झिनकान उसी दिन अनेक बार थाना कलवारी में गये किन्तु रिपोर्ट न लिखी जा सकी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक ८-२-१९६६ को झिनकान ने एक नामजद रिपोर्ट थाने पर लिखाई कि कुछ लोग उसका घर लूट रहे हैं और कुछ नीम का पेड़ काटने को कह रहे थे। उसकी यह रिपोर्ट उसी दिन लिख ली गई ।

*७४—श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री श्यामलाल—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि झिनकान उसी दिन बस्ती जा कर पुलिस सुपरिन्टेंडेंट (श्री डी० आचार्य) से मिला और सुपरिन्टेन्डेंट ने इस केस को रजिस्टर कराने तथा डकैत को गिरफ्तार करने का लिखित आदेश दिया ? इस केस में अब तक कितने डकैत गिरफ्तार हुए ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक ८-२-१९६६ को ही झिनकान ने एक प्रार्थना पत्र पलिस अधीक्षक बस्ती, को भी दिया जिस पर उन्होंने थानाध्यक्ष कलवारी को यह लिखित आदेश दिया कि इस पर आवश्यक कार्यवाही करें और इस मामले को रजिस्टर कर तफतीश करें। घटना जांच से सही नहीं पाई गई अतः कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

*७५-७६—श्री ईश्वर शरण—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिये गये।]

*७७-७९—श्री रघुबीर सहाय कैथवार—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिये गये।]

## नगरपालिका स्कूलों में अनुसूचित जातीय छात्रों को वजीफा

*८०—श्री श्यामलाल—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका द्वारा शासित व संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में क्या अनुसूचित जाति के बच्चों को सरकार की ओर से वजीफा दिये जाने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या वह इस वित्तीय वर्ष, १९६६-६७ से इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।]

प्रश्न नहीं उठता।

## रायबरेली जिले में नए थाने

*८१—श्री हेमराज (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में कौन-कौन नये थाने सरकार इस जिले में खोलने जा रही है? यह थाने कब से काम-धाम शुरू करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मुंशीगंज, खीरों और शिवगढ़ में नये थाने खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन थानों के खुलने की संभावना आगामी दो वर्ष तक है।

## सीतापुर जिले के टेड़वा ग्राम में डकैती

*८२—श्री मुन्नू सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला सीतापुर, थाना सदर, ग्राम सभा टेड़वा में नवम्बर, १९६५ में कोई कत्ल हुआ है जिसमें ६ चालान हुये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार लाश की पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—

नवम्बर, १९६५ में ग्राम टेड़वा, थाना सदरपुर, जिला सीतापुर से केवल दंडनीय मानव हत्या की एक रिपोर्ट धारा ३०४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाने पर दर्ज हुई जिसमें एक व्यक्ति का चालान धारा ३०४/२९१ तथा २ व्यक्तियों का चालान धारा २०१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत किया गया। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५५९-५६० पर)

## एटा जिले में बन्दूक के लाइसेंस

*८३—श्री राजेन्द्र सिंह, श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, १९६५ से २५ फरवरी, १९६६ तक के समय में कितने ऐसे कारतूसी या टोपीदार बन्दूक के लाइसेंस के प्रार्थी थे जिनको लाइसेन्स देने की पुलिस की पूरी संस्तुति थी, परन्तु तहसीलदार अथवा परगनाधीश ने संस्तुति नहीं दी और क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

ऐसे कुल ३२ प्रार्थी थे। तहसीलदार अथवा परगनाधीश ने संस्तुति नहीं की क्योंकि उनकी राय में आर्म्स ऐक्ट व आर्म्स रूल्स के अन्तर्गत लाइसेंस देना उचित नहीं था।

*८४—श्री राजेन्द्र सिंह, श्री दयाराम शाक्य तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एटा जिले में असुरक्षा की स्थिति देखते हुये ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिन बंदूक के लाइसेंस के प्रार्थियों ने १ जनवरी, १९६३ से अब तक प्रार्थना-पत्र दिये हों, यदि उनकी संस्तुति पुलिस द्वारा दी गई हो परन्तु तहसीलदार अथवा परगनाधीश द्वारा संस्तुति न किये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो, उन्हें पुनः स्वीकृति प्रदान कर के प्रार्थियों को सूचित किया जावें ताकि वे लाइसेंस जिला कार्यालय में पहुंच कर ले लें ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत लाइसेंसिंग अथार्टी को शासन द्वारा व्यक्तिगत लाइसेंसों के बारे में आदेश देने का कोई प्राविधान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को लाइसेंसिंग अथार्टी के आदेश से असन्तोष है तो वह अपीलिट अथार्टी के पास नियमानुसार अपील कर सकता है।

*८५—श्री राजेन्द्र सिंह, श्री दयाराम शाक्य, श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री जी प्रदेश में ऐसा आदेश जारी करेंगे कि किसी भी बन्दूक के लाइसेंस के प्रार्थी के चरित्र की पुलिस कप्तान को संस्तुति आ जाने पर लाइसेंस प्रदान कर दिया जाया करें और तहसीलदार एवं परगनाधीश की संस्तुति का अनावश्यक व्यवधान समाप्त कर दिया जावें ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

आर्म्स ऐक्ट, १९५९ के अन्तर्गत लाइसेंस अधिकारी को अधिकार है कि लाइसेंस देने के पूर्व वह लाइसेंस के संबंध में कोई भी जांच जो वह आवश्यक समझता है, करा सकता है। शासन यह आवश्यक नहीं समझता कि कोई ऐसे आदेश प्रसारित करे जिससे कि लाइसेंसिंग अधिकारी के स्वमति को सीमित करे।

## श्री अम्बिकानन्दन ओझा, सहायक स्टेशन मास्टर, बुढ़वल पर हमला

*८६—श्री पूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २ अप्रैल, १९६५ को बुढ़वल रेलवे स्टेशन, जिला बाराबंकी के सहायक स्टेशन मास्टर पर ड्यूटी जाते हुये कुछ गुन्डों द्वारा संघातक हमला किया गया ? पूरी घटना क्या है ? तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

दिनांक २-४--६५ को श्री अम्बिका नन्दन ओझा, सहायक स्टेशन मास्टर बुढ़वल जब रात में अपने क्वार्टर से ड्यूटी पर जा रहे थे तो कुछ बदमाशों ने उन्हें घायल किया घटना की जांच की गई और कोई साक्ष्य न होने के कारण मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।

*८७--श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या माननीय गृह मंत्री उक्त प्रश्न में उल्लिखित घटना की जांच रामनगर थाना, जिला बाराबंकी की पुलिस से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

चूंकि घटना जी० आर० पी० बाराबंकी के अधिकार क्षेत्र की है और उसके द्वारा जांच हो चुकी है। अतः रामनगर थाना को पुलिस द्वारा मामले में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*८८--श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि बुढ़वल रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर श्री अम्बिका नन्दन ने २ अप्रैल, १९६५ को प्रश्न १ में उल्लिखित घटना होने के पूर्व लगभग ५ बार लिखित सूचना थाना रामनगर, जिला बारबंकी को दी कि कुछ गुन्डे उन्हें परेशान करते हैं तथा उनको जानमाल का खतरा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

श्री अम्बिका नन्दन की ओर से दिनांक २-४-१९६५ के पूर्व थाना रामनगर जिला बाराबंकी में इस प्रकार की किसी सूचना का होना नहीं पाया गया कि कुछ गुन्डे उन्हें परेशान करते हैं तथा उसको जान-माल का खतरा है।

## पावरलूम योजना का स्थगन

*८९--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुये पावरलूम की जो योजना पूर्वी जिलों में तथा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में चल रही थी उसे क्यों स्थगित कर दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही थी और उनके आदेशानुसार इसे १९६१ में स्थगित कर दिया गया।

*९०--श्री ऊदल--

क्या सरकार बतायेगी कि प्राइवेट तरीके पर पावर लूम लगाने वालों को लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह लाइसेंस भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और उनकी वर्तमान नीति के अनुसार यह लाइसेंस आजकल नहीं दिए जा रहे हैं।

## मऊरानीपुर में जुडीशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट न होना

*९१--श्री काशीप्रसाद द्विवेदी--

क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में मऊरानीपुर में कब तक एस० डी० ओ० कोर्ट व जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट का कार्य प्रारम्भ हो जायगा ? और अभी तक उक्त कोर्ट न खुलने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

संकट कालीन स्थिति आ जाने के कारण यह कार्य स्थगित कर दिया गया है।

*९२-९३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[९ वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० १३१-१३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## फैजाबाद जिले में हरिजन बालकों के लिए उद्योग

*९४—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में हरिजनों के बालकों के लिये कोई उद्योग धन्धा चलाया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग हैं ? उनकी देख-रेख करने वाले तथा प्रमुख व्यक्ति कौन हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*९५—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री धूम प्रसाद—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उद्योग चलाने के प्रारम्भ में कितना धन लगा और अब उसकी जांच करा कर सरकार सही आंकड़ा देगी कि उद्योग धन्धों में कोई घाटा है या नहीं ? यदि है तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम

प्रश्न नहीं उठता।

## कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण तथा श्री गिरिराज किशोर जुडीशल मैजिस्ट्रेट की रिट पेटीशन

*९६—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक्जीक्यूटिव तथा जुडीशियरी को सभी जिलों में पृथक कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में कितने पी० सी० एस० अधिकारी ए० डी० एम० (जे०) तथा एडीशनल कमिश्नर कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुमाऊं व उत्तराखंड डिवीजन के जिलों को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में पृथक्करण कर दिया गया है।

इस समय ए० डी० एम० (जे०) के पद पर चार पी० सी० एस० अधिकारी तैनात हैं और एडिशनल कमिश्नर के पद पर एक।

*९७—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में जुडीशियल आफिसरों की कोई ग्रेडेशन लिस्ट है और उसके आधार पर उनको ए० डी० एम० (जे०) के पदों पर पदोन्नति दी गई तथा ग्रेडेशन लिस्ट क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जुडिशियल आफिसरों की ग्रेडेशन लिस्ट है।

ए० डी० एम० (जें०) के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता व योग्यता के आधार पर दी जाती है।

उक्त ग्रेडेशन लिस्ट ज्येष्ठता की लिस्ट है।

*९८—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जुडीशियल आफिसरों की सीनियारिटी लिस्ट के विरुद्ध कोई रिट हाईकोर्ट में गिरीश किशोर बनाम सरकार हुई थी ? यदि हां, तो उक्त रिट के निर्णयों के आधार पर क्या ग्रेडेशन लिस्ट को संशोधित किया गया है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६४ में श्री गिरिराज किशोर जुडीशियल आफिसर ने अपनी सीनियारिटी पुनः निर्धारित कराने के संबंध में एक रिट हाई कोर्ट में दायर की थी जो रद्द कर दी गई थी।

दूसरा व तीसरा प्रश्न नहीं उठता।

## हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला में गन्ने की खरीद

*९९—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स, गोला, जिला खीरी के पास वर्तमान सोजन १९६५-६६ प्रारम्भ होने पर कुल कितना गन्ना गोला गेट, भीरा-खीरी पलिया, कुकरा आदि से लिया और कितना वह १ फरवरी, १९६६ तक पेर सकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान सीजन १९६५-६६ के प्रारंभ होने पर हिन्दुस्तान शुगर मिल्स गोला, जिला खीरी द्वारा निर्दिष्ट केन्द्रों से जितना गन्ना १-२-६६ तक खरीदा और उक्त तारीख तक उसकी पेराई की उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

*१००—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कथित मिल की दैनिक क्षमता क्या है और क्या उसके हिसाब से पूरा गन्ना निर्धारित काल में पेर सकेगी या नहीं ? यदि नहीं, तो पेरे जाने की क्या व्यवस्था हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता ३,६०० टन/३,६५८ मीट्रिक टन है। और यह मिल लगभग ३८४४ मीट्रिक टन की दैनिक पैराई करती रही है। इस दैनिक पैराई क्षमता के हिसाब से यह मिल अपने क्षेत्र के समस्त उपलब्ध गन्ने को आगामी जून के अन्तिम सप्ताह तक पेर सकेगी।

## थाना सराय अकिल में वारदातें

*१०१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १३ जुलाई, १९६४ को इलाहाबाद जिले के थाना सराय अकिल के ग्राम सचवारा में कितनी चोरियां तथा राहजनी की घटनायें घटीं एवं उन पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह —

दिनांक १३-७-६४ को इलाहाबाद जिले के थाना सराय अकिल के ग्राम सचवारा में कोई चोरी अथवा राहजनी की घटना की सूचना नहीं मिली।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

## थानेदारों की भर्ती में फिजिकल टेस्ट

*१०२—श्री [illegible]राजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि १९६०-६१ में पुलिस ट्रेनिंग कालेज में थानेदारो की भर्ती करने में फिजिकल टेस्ट के नम्बर भी जोड़े जाते थे? क्या यह सही है कि अब उस प्रकार नहीं जोड़े जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह —

१९६०-६१ की थानेदारों की भर्ती में फिजिकल टेस्ट के नम्बर नहीं जोड़े जाते थे। १९६२ तथा बाद के चुनावों से फिजिकल टेस्ट के नम्बर जोड़े जाते हैं।

## बदायूं जिले में गन्ना केन्द्र

*१०३—श्री शिवराज सिंह —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के गन्ना खरीद सेंटर मुन्नू नगर, आसफपुर, बिसौली और मुड़िया इस वर्ष कब से चलने प्रारम्भ हुये और २८ फरवरी १९६६ तक कुल कितने दिन बन्द रहे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

प्राप्त सूचनानुसार वर्तमान सीजन में जिला बदायूं के निर्दिष्ट क्रय केन्द्रों के चालू होने की तारीख और २८ फरवरी, १९६६ तक जितने दिन उन्हें बीच बीच सभी सेन्टरों से अनुपाततः समान सप्लाई बनाये रखने के लिये विलारो मिल को बन्द रखना पड़ा उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

## महोली चीनी मिल पर किसानों का बकाया

*१०४—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि महोली शुगर फैक्टरी, सीतापुर में किसानों को गन्ने की रिकवरी का २६ नया पैसा प्रति मन के हिसाब से सन् १९५९—६९ का पैसा देना शेष है? वह कब तक दे दिया जायगा और अब तक न देने का कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचना अनुसार इस मिल पर रिकवरी के आधार पर १९५९-६० की किसानों की कोई रकम बकाया नहीं है वरन् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एडीशनल प्राइस फिक्सेशन अथारिटी ने इस मिल पर १९५९-६० के लिये २६ पैसा प्रतिमन के हिसाब से डैफर्ड प्राइस निर्धारित किया है। इस मिल द्वारा उक्त एवार्ड के विरुद्ध भारत सरकार को शुगर केन (कंट्रोल) आर्डर, १९५१ के खंड ३-ए (३) और (५) के अन्तर्गत अपील करदी गयी है। अतएव मिल द्वारा इस रकम का भुगतान रुक गया है।

## रासायनिक परीक्षक

*१०५—श्री रघुनाथसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के आय-व्ययक में रासायनिक परीक्षक के लिये जो दो लाख, एक हजार एक सौ रुपये के "पुनरीक्षित अनुमान" के व्यय का प्राविधान किया गया था तो इन अधिकारी महोदय से चिकित्सा विभाग को क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह---

रासायनिक परीक्षक चिकित्सा विभाग के लिये कार्य नहीं करते हैं। अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## कसीमाबाद ब्लाक में पावर लूम

*१०६---श्री रघुबीर राम---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर ब्लाक कसीमाबाद के अन्तर्गत टाऊन एरिया, बहादुरगंज में १९६५ में किन किन व्यक्तियों नें पावर लूम लगाया और उन व्यक्तियों को लूम चलाने के लिये पावर दिया गया या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

(क) जिन ९ व्यक्तियों ने पावरलूम लगाए हैं उनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं।

(ख) इन सब को पावर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५६३ पर)

## मुख्य मन्त्री विवेक निधि से वितरण

*१०७---श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री हिम्मत सिंह, श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में उनके द्वारा विवेक निधि के रूप में कितना धन निश्चित किया गया तथा किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्रारम्भ में ५,००० रुपये थे। सुयोग्य विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र अधिक संख्या में होने के कारण १२,२०० रुपये की धनराशि उस वर्ष वितरित की गई। जिन-जिन विद्यार्थियों को जितना-जितना धन दिया गया, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५६४-५६५ पर)

## श्री हरिशचन्द्र, डी० पी० ओ०, फतेहपुर का तबादला

*१०८---श्री रघुबीर सहाय कंथवार---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री हरिशचन्द्र बाजपेई, डी० पी० ओ०, फतेहपुर का तबादला अन्तिम रूप से जिला मैनपुरी के लिये हाल ही में किया गया है ? यदि हां तो आदेश कब जारी हुआ ? जिलाधीश फतेहपुर को कब प्राप्त हुआ और डी० पी० ओ० को कब दिया गया तथा उन्होंने फतेहपुर का चार्ज कब छोड़ा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां, आदेश २९ जनवरी, १९६६ को जारी किये गये, जो जिलाधीश फतेहपुर को १ या २ फरवरी को प्राप्त हुए और डी० पी० ओ० को २ फरवरी को दिये गये।

प्रशासकीय कारणों से श्री बाजपेई ने अभी कार्यभार नहीं छोड़ा है।

## अतारांकित प्रश्न

१---श्री होरीलाल यादव:---

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिया गया।]

२—श्री गंगा प्रसाद वर्मा तथा श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

## शाहजहांपुर जिले में थानेदार

३—श्री गंगा प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद —

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर से कितने थानेदारों का तबादला दूसरे जिलों को १ सितम्बर, ६५ से १५ फरवरी, ६६ के बीच में किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह —

पांच।

४—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बेश्वर प्रसाद —

क्या गृह मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शाहजांपुर जिले में कितने ऐसे थानेदार हैं जिन्हें ३ वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है परन्तु फिर भी जिले में ही बने हुये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

ग्यारह।

## हरिजन व समाज कल्याण के अधिकारी

५—श्री हिम्मतसिंह —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग में कितने व्यक्ति हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर काम कर रहे हैं ? उसमें से कितने लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये हैं या स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ?

डाक्टर सीताराम —

इस पद पर इस समय ५९ व्यक्ति काम रहे हैं।

४२ अधिकारियों की स्वीकृति लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो चुकी हैं। और ५ का कार्य उनकी सम्मति अनुसार अभी देखा जा रहा है।

६—श्री हिम्मतसिंह —

कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी स्वीकृति नहीं हुई तथा कितने वर्षों से काम कर रहे हैं?

डाक्टर सीताराम —

अधिकारी इस प्रकार हैं—

३ लगभग ४ वर्ष से,
१ लगभग ३ वर्ष से,
६ लगभग २ वर्ष से,
१ लगभग १ वर्ष से, और
१ लगभग ३ मास से

## जिला कारागार, फतेहपुर में अध्यापकों का वेतन

७—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, फतेहपुर कार्यालय से कोई ऐसा आदेश जिसमें शिक्षाध्यापकों की वेतन बढ़ोत्तरी का विवरण है, दिनांक २८ अक्तूबर, १९६५ को गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह
कोई नहीं

८---श्री द्विजेन्द्र नारायण ---

[ प्रश्नकर्त्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया ।]

## उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६६†

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६६६-टी०एम०/३०-ख---१३-पी-६५, दिनांक १८ जनवरी, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६६ को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (संशोधन) नियमावली, १९६६†

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३४७९-टी० एम०/३० ख---९९-पी-६५, दिनांक ७ फरवरी, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल -कर) (संशोधन) नियमावली, १९६६ को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, १९६४ की धारा ३२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६††

( राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर )

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है नम्बर ४ के संबंध में। कार्य सूची के मार्जिन में एक टिप्पणी लिखी हुई है कि "विधेयक एवं राष्ट्रपति के निर्देश मूलतः अंग्रेजी भाषा में प्राप्त हुये हैं। इनके अनधिकृत हिन्दी अनुवाद की छपी हुई प्रतियां वितरित की जा रही ह"। तो इसको कैसे रखा जा सकता है? बार बार इस पर झगड़ा हो चुका है और हमारी सरकार की ऐसी नीति हो रही है। यह अनआथौराइज्ड वजन कैसे रखा जा सकता है?

श्री अध्यक्ष---

मैं जरा अनधिकृत शब्द के अर्थ समझ लूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, उनसे न समझिये, अपनी बुद्धि से समझिये।

श्री अध्यक्ष---

जहां तक हिन्दी का प्रश्न है आप मुझ से अधिक निष्ठावान हो सकते हैं, लेकिन मेरी भी निष्ठा है।

---

†छापी गहीं गई ।

††छापा नहीं गया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

नहीं, मुझ से आप अधिक निष्ठावान हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कदाचित् इस कारण से लिखा गया हो । मुझसे पूछा गया . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आप सरकार से जानना चाहते थे तो पहले जान लें इसके बाद कुछ कहें ।

श्री अध्यक्ष—

मुझ से पूछा गया कि क्या इसको सदन को मेज पर रखा जाये । मैंने कहा था कि मैं नहीं रखने दूंगा जब तक इसका हिन्दी अनुवाद न आ जाये । हिन्दी अनुवाद मांगा जाय । मुझे सूचना मिली है कि मेरे आदेशानुसार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुवाद मांगा । केन्द्र से यह सूचना मिली कि हम तुरन्त नहीं दे सकते हैं । इसमें समय लगेगा । तो हमारी सरकार ने इसका हिन्दी अनुवाद करा दिया सदन के सदस्यों के हित के लिये । अनधिकृत लिखने का कारण माननीय राजस्व मंत्री जी बता दें ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

श्रीमन्, हम तो यह लफ्ज समझते ही नहीं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर हमारी सरकार अनधिकृत शब्द का अर्थ नहीं बता पाती, जिसे वह समझती तो अवश्य है, लेकिन बताना नहीं चाहती है, क्योंकि वह सिद्धान्ततः गलत है, इसलिये इसे सदन में न रखा जाये ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं का जो सवाल है, वह मेरे जिले से संबंधित है, इसलिये आप इसको जल्दी से जल्दी रखने दीजिये । मुझे अपने विचार इस पर प्रकट करने हैं ।

श्री अध्यक्ष —

इस समय जो चर्चा चल रही है, उसे पहले देखिये । इसके बारे में यह है कि आडिटर जनरल की रिपोर्ट को उपस्थित करने के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यदि विधान सभा उनकी रिपोर्ट का अनुवाद करे तो वह स्वयं अपने दायित्व पर करे । उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । ऐसी अवस्था में, चूंकि केन्द्र से इसका अनुवाद नहीं प्राप्त हुआ है और प्रदेशीय सरकार द्वारा इसका अनुवाद कराया गया है, अतः यह अनुवाद केन्द्र द्वारा अधिकृत नहीं है, लेकिन इस सरकार द्वारा अधिकृत है । (सरकारी पक्ष से) अनधिकृत के बारे में यही बात ठीक है न ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, आप ठीक कह रहे हैं ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री राम कुमार शास्त्री)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भारत के संविधान के अनुच्छेद ३ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत बिहार एण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६ पर, उसके संसद में पुरःस्थापित होने के पूर्व, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का विचार प्राप्त करने के लिये राष्ट्रपति महोदय के दिनांक ७ मार्च, १९६६ के निर्देश को उक्त बिल के साथ, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, आप और सरकार कहती है कि इसे प्रान्तीय सरकार ने कराया है यानी इसका अनुवाद यहां कराया गया है, किन्तु इस पुस्तक पर तो लिखा हुआ है---केन्द्रीय शिक्षा निदेशालय भारत सरकार---इस पर जो लिखा हुआ है, वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इससे तो यही स्पष्ट है कि हिन्दी अनुवाद केन्द्र से ही होकर आया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह रिपोर्ट है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं और वह बिल है जिसके बारे में यह कहा गया है ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

ठीक है, मैं समझ गया, मैं गलत था ।

## उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन ) (संशोधन) विधेयक, १९६६

श्री सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५६६-५७२ पर)

## श्री नेकराम शर्मा के निर्वाचन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरसिंहनारायण पांडेय ( जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं, यदि आप इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष---

कहिये, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

प्रश्नों के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं। पृष्ठ ११ पर प्रश्न संख्या ६४ से ६६ तक के लिये यह लिखा हुआ है कि---"प्रश्नकर्ता के विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के कारण हटा दिये गये।" नेकराम शर्मा जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं और विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के कारण उनका प्रश्न स्थगित कर दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय नेकराम शर्मा जो इस सदन के सदस्य हैं, ने इस बारे में आपको कोई लिखित सूचना दी ? क्योंकि संविधान में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई भी मेम्बर किसी दूसरे सदन का सदस्य हो जाता है तो उसे एक सदन से अपना इस्तीफा देना चाहिये । यह उसकी आवश्यक ड्यूटी है, इसमें लिखा हुआ है "इट शैल बि देयर ड्यूटी :" तो उन्होंने क्या विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया ! और क्या आपने उसकी घोषणा इस सदन में की ! मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर प्रकाश डालें ।

श्री काशीनाथ मिश्र ( जिला बलिया)---

इसमें इस्तीफा देने का प्रश्न उठता ही नहीं, जिस दिन से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और प्रस्तावक को अपनी स्वीकृति दे दी, उसी दिन से वह इस सदन के सदस्य नहीं रहे ।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में दोनों माननीय सदस्यों का ख्याल गलत है। सन् ५० में एक ऐक्ट (अधिनियम) संख्या २२ पास हुआ है उसमें यह है कि "घोषणा अधिसूचित हो जाने के बाद ऐसा व्यक्ति जो कि इस सदन का सदस्य रहा हो, निर्वाचन में चुने जाने मात्र से उसका स्थान रिक्त हो जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

ठीक है आप इसकी घोषणा सदन में कर दें।

श्री अध्यक्ष---

यह तो स्वतः घोषणा हो गयी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री का भी चुनाव इसी तरह से हो गया है। वह भी यहां पर बैठे हुये हैं?

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको कानून कहां तक बतलाऊं। वह आप पढ़ लें। इस सम्बन्ध में उसमें सब दिया है। पहले आप उसको पढ़ लें तब आप ऐसी बात को उठायें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय नेकराम शर्मा ने हाई कोर्ट में इस सम्बन्ध में एक याचिका दाखिल की है कि हमारा चुनाव अवैधानिक है इसलिये हमको रहने दिया जाय। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस संविधान के अन्तर्गत आपने इस पर अपना फैसला दे दिया?

श्री अध्यक्ष---

मैंने फैसला नहीं दिया है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

श्रीमन्, मेरा यह प्रश्न है कि हमारे राजस्व मंत्री जो मन्त्रि-परिषद् के सदस्य बने रहेंगे और यहां पर बैठ सकते हैं, लेकिन क्या वह इस सदन में कांग्रेस दल के उपनेता भी बने रहेंगे, यह व्यवस्था का प्रश्न है? वह इस सदन में उपनेता नहीं रह सकते हैं। वह मंत्रि-परिषद् के सदस्य होने की हैसियत से यहां पर बैठ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

इस पर हम विचार करेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अभी आपने यह कहा कि जिस वक्त वह विधान परिषद् का सदस्य हो जायगा तो उसके बाद यहां की सदस्यता व्यपगत हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---

सवाल यह है कि वह इस सदन के सदस्य नहीं रह गये। माननीय मन्त्री महोदय हुकुमसिंह जी जो यहां पर बैठे हुये हैं वे राजस्व मन्त्री की हैसियत से बैठे हुये हैं। वह उपनेता बने रह सकते हैं या नहीं इस प्रश्न पर सोचा जायगा।

## काश्तकारों पर लगे आपातिक अधिभार समाप्त न करने के सम्बध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। जिस रूप में वे दिये गये हैं उनको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा भी एक कामरोको प्रस्ताव है। सरकार ने एक आपातिक अधिभार लगाया था और किसानों पर २५ प्रतिशत लगान बढ़ाया था। उस समय सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि यह इमरजेन्सी के लिये है। अब इमरजेन्सी समाप्त हो गई है। तो इमरजेन्सी के समाप्त होने के बाद वह कर जो २५ प्रतिशत बढ़ाया गया था, वापस नहीं लिया गया। हमारे दल की ओर से सारे प्रान्त में इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुये हैं और लाखों की संख्या में लोगों ने जिले के केन्द्र पर जाकर प्रदर्शन किया है और गिरफ्तारी हुई है और लोगों ने हड़ताल भी की। इस कारण इसको स्वीकार करना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपका जो कामरोको प्रस्ताव है वह महत्वपूर्ण है, किन्तु इसके ऊपर बहस होने वाली है और कल भी इस पर बहस है तो इस वजह से इसको स्वीकार नहीं किया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह चौथे नम्बर पर है इस वजह से यह कभी आ नहीं सकता है। यह सारी ऐसी समस्या है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिये। इस विषय में सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसको वापस ले लिया जायगा, लेकिन अब वह इसको वापस नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति में इसको अवश्य स्वीकार होना चाहिये। आपने स्वयं ही कहा है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हमारी मुख्य मन्त्री जी खड़ी होकर सरकार की ओर से सदन में और बाहर भी इस बात की सूचना दे दें कि जिस प्रकार से सारे अपोजीशन के लीडरों की मीटिंग में आश्वासन दिया गया था कि जब वह आपातिक स्थिति दूर हो जायगी उस समय इसको समाप्त कर दिया जायगा। अब सरकार उसको वापस नहीं ले रही है तो इससे अधिक दुख की और क्या बात हो सकती है? मैं समझता हूं इस प्रश्न के ऊपर अवश्य विचार किया जाय। मैं कहता हूं कि इससे अधिक महत्व का कोई दूसरा प्रश्न नहीं होगा। इसलिये इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं कह दूं। मेरे पास पांच कामरोको प्रस्ताव आये हैं और अगर मैं इस तरह से सुनता रहूं तो उसका मतलब यह हो जायगा कि बगैर इनको स्वीकार किये ही कामरोको हो जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरे कामरोको के लिये आपने क्या आदेश दिया?

श्री अध्यक्ष—

कारण मैंने उस पर लिख दिये हैं। अगर विरोधी दल इतना ही व्याकुल है तो मैं समझता हूं कि नम्बर चार पर होते हुये भी वह संकल्प कल अच्छी तरह से आ सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह हमारे वश की बात नहीं है। मुझे दुख है कि मेरे कामरोको का महत्व स्वीकार करते हुए भी आप ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में हम दो मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं।

(जनसंघ के सदस्यों ने दो मिनट के लिये सदन त्याग किया।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते इस लिये आपकी इस व्यवस्था के विरोध में हम दस मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं ।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये। )

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

चवन्नी लगान आज तक समाप्त नहीं हुआ है और उसे लेकर जो नेतागण अनशन कर रहे हैं उनके लिये आप की क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष---

कारण मैंने बतला दिये हैं । वह अस्वीकृत हो चुके हैं।

श्री ऊदल---

अगर आप उनको स्वीकार नहीं करते तो हम अपनी पार्टी के साथ दस मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं ।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये। )

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

एक कामरोको प्रस्ताव मेरा था। पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं यह कहना चाहता था कि हमारे कामरोको प्रस्ताव में माननीय झारखंडे राय, आदि के अनशन के बारे में बात थी। उसे आपने अस्वीकार कर दिया है उसके विरोध में हम ५ मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये। )

## बाजार में वनस्पति घी के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय चन्द्रबली सिंह का मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव है। मैंने उसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है---सरकार की प्रशासन मशीनरी और संकट-कालीन कानून के रहते हुए भी आज बनास्पति घी बाजार से देखते देखते गायब हो गया है और २० से २५ रु० टिन अतिरिक्त दाम देने पर बड़ी कठिनाई से चोरी चोरी बिक रहा है। व्यापारी तबका शादी ब्याह की वेला में बनस्पति घी को लुप्त कर के खुले आम लूट रहा है और सरकार कान में तेल डाले बैठी है।

मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य दीजियेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---

परसों रख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

९ तारीख को हमारे यहां छुट्टी नहीं है। उस दिन वक्तव्य हो जायगा।

## इलाहाबाद में छात्राओं के साथ गुण्डों द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक नियम ५२ की सूचना है माननीय ऊदल, भीखालाल, झिलमिटराम, खेमचन्द्र, बालोजी अग्रवाल के नाम से। वह मौजूद नहीं है।

## नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

एक नियम ५२ का स्वीकार हुआ है कि जो कि माननीया राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी जी का है—गत मंगलवार, दिनांक २६ अप्रैल, १९६६ को इलाहाबाद शहर में बांध पर महाबीर जी के दर्शन के लिये गयी हुई दो मेडिकल कालेज की लड़कियों के ऊपर गुण्डों के एक दल ने जिस प्रकार रिक्शा से उतार कर गंगा के उस पार ले जाकर बलात्कार किया है उससे सारे शहर में क्षोभ और आतंक का वातावरण उपस्थित हो गया है। इस घटना से स्त्रियों तथा लड़कियों की धार्मिक स्थानों में जाने की स्थिति नहीं रह गयी है क्योंकि इस अराजकता के कारण कोई स्त्री अपने को सुरक्षित नहीं अनुभव करती है। मैं सरकार का ध्यान शहर के प्रशासन . . .।"

इसी विषय पर माननीय सत्यनारायण पाण्डेय, माननीय कल्याणचन्द मोहिले और माननीय सालिगराम जी जैसवाल की भी सूचना है।

"गत २८ अप्रैल को इलाहाबाद शहर में दिन दहाड़े स्थानीय मेडिकल कालेज की दो संभ्रान्त परिवार की छात्राओं का अपहरण करके उनके साथ लगभग आधे दर्जन व्यक्तियों ने बलात्कार किया और इस पाशविक एवं जघन्य अपराध के बाद उन्हें यमुना किनारे छोड़ दिया। विगत महीने में अपने पिता के साथ जाने वाली एक बालिका का भी गुण्डों द्वारा सिविल लाइन्स में अपहरण एवं बलात्कार हुआ। बालिकाओं के अपहरण, कत्ल, चोरी, एवं डकैती की घटनाएं इलाहाबाद शहर में बढ़ रही हैं। पुलिस की साठगांठ से जुए एवं शराब के अड्डे चल रहे हैं"—इसमें दूसरा विषय डाल दिया गया।

इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१२ तारीख को।

## नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय रामकिशोर त्रिपाठी की सूचना है कि—

"बाराबंकी जिले में और विशेष रूप से तहसील हैदरगढ़ में विगत दो वर्षों से सारे क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, पानी न बरसने से कुओं का लेविल नीचे चला गया है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी सरकारी लगान, सिंचाई वसूल की जा रही है. . . ."
इसे विशेष ध्यान देने के लिये राजस्व मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

एक माननीय चन्द्रबली सिंह का है—"देवरिया जिला में रूद्रपुर, खड्डा और चितौनी के आस पास के गांवों में भीषण रूप से चेचक का प्रकोप बढ़ गया है।"

इसे मैं चिकित्सा मंत्री के पास भेज रहा हूं। यह ध्यान खींचने के लिये है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

चेचक तो सारे प्रदेश में बढ़ रही है। इस पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य दिलाइये।

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में बोलने लगते हैं। आप सूचना दे सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

हम सूचना दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक नरसिंहनारायण जी पांडेय का है—गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में पखहनाला तथा चेतरा ताल में जो जायद बोरों की फसल खड़ी है, वह पानी की नितान्त कमी के कारण सूख रही हैं। उपरोक्त स्थानों में करीब २००० एकड़ खेती जायद खड़ी सूख रही है।" मैं इसको माननीय सिंचाई मंत्री के पास विशेष ध्यान के लिये तथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन—

उसमें देवरिया भी जोड़ दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरा नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना थी। उसमें सरकार की हिन्दी के प्रति जो नीति है उस पर बहुत बड़ा संकेत है। सेठ गोविन्द दास के लखनऊ आगमन पर एक पत्रकार गोष्ठी आयोजित की गयी थी, जिस स्थान को उसके लिये चुना गया था उसको बदल दिया गया और उसकी सूचना हिन्दी पत्रकारों को नहीं दी गयी और उसमें कम से कम हिन्दी पत्रकारों को निमंत्रित किया गया जबकि माननीय मुख्य मंत्री का आदेश था कि उनको पूरी सहूलियतें प्रदान की जायं, उसको आप पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ता हूं। आपकी शिकायत यह है "कि दिनांक ४-५-६६ को केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री सेठ गोविन्द दास के लखनऊ आगमन पर सरकार द्वारा जो पत्रकार गोष्ठी आयोजित की गयी उसमें अधिकांश हिन्दी पत्रकारों को जानबूझ कर नहीं निमंत्रित किया गया तथा अचानक गोष्ठी का स्थान भी बदल दिया गया जिससे कि कम से कम पत्रकार वहां पहुंच सकें। स्थान परिवर्तन की सूचना समुचित ढंग से नहीं दी गयी।" यह मैं माननीय मुख्य मंत्री के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मंत्री के आदेश होने पर भी अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

यह बातें आप प्रश्नों द्वारा पूछ सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इसमें सेठ गोविन्द दास का अपमान हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज रहा हूं। जब मैं ऐसी सूचनाओं को भेजता हूं तो दो बातों की अपेक्षा करता हूं—एक तो यह कि मंत्री जी उस ओर ध्यान देंगे तथा जो उस संबंध में स्थिति होगी उससे वे मुझे अवगत करायेंगे। दूसरी यह कि उस पर आवश्यक कार्यवाही करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

हिन्दी के टाइपराइटरों को तोड़ डाला गया है, सेठ गोविन्द दास का अपमान करके हिन्दी का अपमान हुआ है (व्यवधान)

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुझे बहुत आश्चर्य है यह सुनकर कि सेठ जी का अपमान हुआ है, मुझसे मिलने पर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनको आदर से देखता हूं और जो कर्टसी उनके लिये दिखायी गयी उसके लिये वे आभारी हैं। (व्यवधान)

## लोक लेखा, प्राक्कलन एवम् अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना दे दूं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति तथा २५ स्थायी समितियों के निर्वाचन के लिये प्राप्त नामांकन पत्रों में अतिरिक्त नाम ६ मई सायंकाल ४ बजे तक वापिस लेने का समय निश्चित है। अगर कल शाम चार बजे तक अतिरिक्त नाम वापिस नहीं हुये तो निर्वाचन इस प्रकार से होगा। लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के संबंध में मतदान होगा। ११ मई, ६६ से-११ बजे से २ बजे के बीच, विधान वाचनालय में और २५ स्थायी समितियों का १२ मई, ६६ से-साढ़े नौ बजे से ६ बजे सायंकाल के बीच विधान वाचनालय में होगा।

## प्रतिनिहित विधायन समिति एवं आश्वासन समिति के मनोनीत सभापति तथा अन्य समितियों के सदस्यों के नाम निर्देशन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब कमेटियों का निर्माण हो गया है और वे २६ अप्रैल से प्रवर्ती हैं। यह सूचना आप महानुभावों को मिल जायेगी। मैंने जो सभापति निश्चित किये हैं उसकी सूचना मैं आदरणीय सदन को दे दूं। प्रतिनहिति विधायन समिति के सभापति, माननीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव होंगे। आश्वासन समिति के सभापति—माननीय केशरी प्रसाद पांडेय होंगे। बाकी और सूचना आप सबको मिल जायेगी कि कौन कौन सदस्य मैंने मनोनीत किये हैं। यह बहुत लम्बी सी मेहरिस्त हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इसे छपवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह तो छपेगा ही।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५७३–५७५पर)

## आजमगढ़ जिले की हरिजन बस्ती इजरार (कटिहारी) का सरबसपुर ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिव प्रसाद गुप्त)—

ग्राम इजरार, थाना जीयनपुर, जिला आजमगढ़ के हरिजन, ग्राम सरबसपुर जो इजरार से डेढ़ मील दूर है, के भूतपूर्व जमींदारों के यहां अर्से से मजदूरी का कार्य करते आ रहे थे किन्तु मजदूरी की रकम समय से न मिलने के कारण लगभग एक महीने से उन्होंने काम करना बन्द कर दिया था।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ८-४-६६ को ग्राम सरबसपुर के सुवास सिंह पुत्र टेंगरी सिंह ग्राम इजरार गये और सीतम हरिजन से पूछा कि उसका भाई लौटू पानी खींचने क्यों नहीं जाता। सीतम ने बतलाया कि चूंकि उन लोगों को ठीक समय पर मजदूरी नहीं मिलती है इस लिये कोई हरिजन सरबसपुर के लोगों के यहां काम करने नहीं जायगा। सुवास सिंह ने अपने गांव लौटकर अपने पिता तथा अन्य लोगों से सब बातें बताईं। दिन के १२ बजे के करीब सुबास सिंह उनके पिता टेंगरी सिंह तथा कुछ अन्य व्यक्ति लाठी, बल्लम, बन्दूक आदि से लैस होकर

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

इजरार गांव गये और श्री टूंडी राम के घर से ८-१० खपरैलों को तोड़ दिया तथा गांव के हरिजनों को पकड़ने के लिये दौड़ धूप शुरू की। यह देखकर गांव के अन्य हरिजन तथा उनकी स्त्रियां अपने अपने घरों से भाग निकले। सरबसपुर के लोगो ने चम्पत हरिजन को लाठियों से मारा। हरिजनों की पुकार पर कुछ लोग दौड़े जिस पर सरबसपुर के लोग भाग खड़े हुये। भागते समय इन लोगों ने इनरू हरिजन के घर के चार-पांच खपरैलों को भी तोड़ दिया।

सुवास सिंह ने ८-४-६६ को थाना जौनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उक्त तिथि को जब वे हरिजनों के पशुओं को जो ग्राम इजरार के पास स्थित उनके खेत में ईख चरते पाये गये थे, पकड़कर मवेशी घर ले जा रहे थे तो हरिजनों ने उन पर हमला किया और चोटें पहुंचाई। इस रिपोर्ट पर धारा ३२४/३२३ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक हस्तक्षेप अपराध दर्ज हुआ। दिनांक ९-४-६६ को चम्पत हरिजन की ओर से एक अपराध सरबसपुर के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३२३/५०४ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज हुआ।

इस घटना के संबंध में दिनांक ११-४-६६ को श्री टूंडी राम ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को दिया जिसमें उन्होंने सरबसपुर के कुछ लोगों के विरुद्ध हमला करने खपरैल आदि, तोड़ने और मारपीट करने, की तथा थानाध्यक्ष, जौनपुर के विरुद्ध रिपोर्ट ठीक से न लिखने और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाये। इस प्रार्थना पत्र की पुलिस उप अधीक्षक ने जांच की और श्री डूंडी राम के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अपराध धारा १४७/१४८/४२६/३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया और रिपोर्ट में नामंकित सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष तथा हेड मोहर्रिर के आचरण के विरुद्ध भी जांच की जा रही है।

## इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिले में अभाव के सम्बन्ध में वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

इलाहाबाद---

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है इलाहबाद में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने १७ मार्च, १९६६, को एक वक्तव्य दिया था। इसके पश्चात २१ मार्च, १९६६ को इस संबंध में सदन में दो घंटे का वाद-विवाद भी हुआ था। सूखे की स्थिति को देखते हुये सरकार का ध्यान इस जिले की ओर विशेष रूप से आकृष्ट रहा है और समय समय पर लोगों की कठिनाई दूर करने के लिये शासन ने आवश्यक कार्यवाही की है।

लोगों की सहायता के लिये सरकार ने खरीफ की वसूली विभिन्न तहसीलों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुये ३१ मार्च, १९६६ तक रोक दी थी। तत्पश्चात सरकार ने आदेश प्रसारित कर दिया है कि १ अप्रैल, १९६६ से ३ मास के लिये लगान, तकावी और सिंचाई शुल्क के १ अप्रैल, १९६६ को बकाया देयों की वसूली स्थगित रखी जाये।

पिछले साल सरकार ने करछना, मेजा, चैल, मंझनपुर, फूलपुर और हंडिया तहसीलों में १८ टेस्ट वर्क्स खोले थे जिसके लिये २,९५,००० रु० स्वीकृति हुआ था। इस वर्ष इस समय तक तहसील मेजा में २५ टेस्ट वर्क्स और तहसील करछना में १७ टेस्ट वर्क्स चालू किये गये हैं। इनमें से तहसील करछना में २ टेस्ट वर्क्स को आदमियों की कमी के कारण बन्द कर देना पड़ा। सरकार ने इन टेस्ट वर्क्स के लिये १,५०,००० रु० १ अप्रैल, १९६६ से स्वीकृति किया है। तकावी और अहेतुक सहायता का वितरण भी बराबर चालू है। पिछले वर्ष ८,१८,००० की आपत्तिकालीन तकावी और २,५०,००० रु० की बीज की तकावी बांटी गई थी। इस साल ५,००,००० रु० की आपत्तिकालीन तकावी इलाहाबाद जिले को दी जा चुकी है और आवश्यकतानुसार और धनराशि भी दी जावेगी। पिछले वर्ष ७३,३३१ रु० अहेतुक सहायता के रूप में बांटा गया था इसमें से २५,००० रु० तहसील करछना में और १९,५००० रु० तहसील मेजा में दिया गया

था। इस वर्ष इलाहाबाद जिले को ७०,००० रु० अहेतुक सहायता के लिये दे दिया गया है जिसमें से २५,००० रु० मेजा तहसील के लिये और १२,००० रु० करछना तहसील में अधिकारियों को वितरण हेतु दिया जा चुका है।

चारे की कमी को दूर करने के लिये जिले में ९१ वैगन भूसा जा चुका है और आवश्यकतानुसार अधिक भूसे मंगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा अल्प-कालीन तथा दीर्घ कालीन योजनायें तैयार करवा लीं हैं। इसी में से एक योजना के अनुसार तहसील मेजा और करछना के १३ गांवों में टंकी और ट्रक द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। अन्य गांवों मे पानी पहुंचाने की आवश्यकता को देखते हुये सरकार ने तहसील मेजा में ३५ मील लम्बी पाइप लाइन और तहसील करछना में १५ मील लम्बी पाइप लाइन लगाने का निश्चय किया है कि इसमें से ४२ मील लम्बी पाइप लाइन लगायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कुओं को गहरा करने और उनको बोरिंग करने का कार्य भी किया जा रहा है। बोरिंग के लिये रिंग मशीनें, आदि भेजी जा चुकी है। १६ अप्रैल १९६६ से नहर द्वारा तहसील मेजा और करछना में १ सप्ताह के लिये पानी छोड़ा गया था जिससे तालाब आदि भर जावे और जानवरों को पानी पीने में सुविधा हो।

इलाहाबाद जिले में इस समय १९४ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जा चुकी हैं जिसमें से ५१ दुकानें तहसील मेजा में हैं और ४९ दुकानें तहसील करछना में हैं। भुखमरी की स्थिति कहीं नहीं है। जानवरों की अधिक मौतों की बात भी जांच करने पर सही नहीं पाई गई।

वाराणसी—

श्री राम चन्द्र जी विकल ने अपने नोटिस दिनांक १४-४-१९६६ में वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील के बारे में अभाव की स्थिति का जिक्र किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस तहसील में भुखमरी, पीने के पानी एवं पशुओं के चारे की इस समय कोई समस्या नहीं है। ज्ञानपुर में ९४ सस्ते गल्ले की दुकानें गल्ले का वितरण कर रही हैं। चारे की कोई कठिनाई नहीं है। काश्तकारों के पास भूसा काफी मात्रा में उपलब्ध है। इस तहसील में १३७ नलकूप हैं जो कि ८२१ ग्रामों को पानी देते हैं। सभी नलकूप सामान्य रूपसे कार्य कर रहें हैं।

लगान व आबपाशी की वसूलीं में किसी प्रकार की सख्ती की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। मार्च और अप्रैल, १९६६ तक विभिन्न सरकारी देय धन की वसूली के लिये केवल ८ वारन्ट गिरफ्तारी व २ वारन्ट कुर्की जारी किये गये। यह कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की गई जिनकी फसल खराब नहीं थी।

मिर्जापुर—

सर्वश्री झारखंडे राय, रघुबीर राम, ऊदल तथा झिलमिट राम ने मिर्जापुर के जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से कन्हरा ग्राम में भुखमरी और अर्द्धभुखमरी की स्थिति का जिक्र किया है। जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी भुखमरी की रिपोर्ट नहीं है। ग्राम कन्हरा में कथित भुखमरी की रिपोर्ट की असत्यता के बारे में जिलाधीश मिर्जापुर पहले ही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं। ग्राम कन्हरा निकट जुन्गेल में टेस्ट वर्क्स की योजना चालू की गयीं थी। शुरू में केवल ४० आदमी काम करने पर आये और फिर उनकी संख्या केवल २५ ही रह गयी। किसानों ने स्वंय प्रार्थना की कि रबी फसल काटने के लिये टेस्ट वर्क्स को मुल्तवी कर दिया जाये। ऐसा ही किया गया।

इस जिले में अब ६ (छः) निम्नलिखित टेस्ट वर्क्स चालू हैं :—

| तहसील राबर्टसगंज | तहसील मिर्जापुर |
|---|---|
| १—जुन्गैल बंधी | १—जगदीशपुर तालाब |
| २—कन्हरा बंधी | २—बरूनदहा तालाब |
| | ३—महेशपुर तालाब |
| | ४—पटेहरा तालाब |

[श्री रामकुमार शास्त्री]

पिछले वर्ष सरकार ने इस जिले में टेस्ट वर्क्स के लिये २५,००० रु० स्वीकृत किया था। १ अप्रैल, १९६६ से सरकारने ७५,००० रु० टेस्ट वर्क्स पर व्यय करने के लिये स्वीकृत कर दिये हैं तथा १२,८०० रु० आपत्तिकालीन तकावी के लिये भी दे दिये हैं।

जहां पर पानी की कमी की आशंका है वहां पर स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के संपर्क से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। गल्ले की कोई कमी नहीं है।

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि सोरांव तहसील में इलाहाबाद में सरकार ने क्या व्यवस्था की, इस तहसील का इस में कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

वह आप लिख कर भेज दें।

(श्री मेवालाल जायसवाल सदन का त्याग कर के चले गये।)

## रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्य-क्रम

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के सदस्य, सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, जगदीश शरण रस्तोगी, श्री निवास तथा केशव सिंह का कार्यकाल दिनांक ५ दिसम्बर, १९६५ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४७ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी की मद ११ के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें. रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के सदस्य सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, जगदीश शरण रस्तोगी, श्री निवास तथा केशव सिंह का कार्यकाल दिनांक ५ दिसम्बर, १९६५ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४७ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी की मद ११ के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिले में अभाव के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री सत्य नारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आप नियम की बात कहते हैं। हमें एक स्पष्टीकरण कर लेने दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी, एक मर्तबा नहीं सौ मर्तबा यह निर्णय हो चुका है कि जो सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत होती हैं, उनके ऊपर वक्तव्य होता है और स्पष्टीकरण हो सकता है लेकिन जो केवल वक्तव्य के लिये नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत होती हैं, उसमें स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, जो नियम यहां का बन गया है, उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री सत्यनारायण पांडेय और कल्याणचन्द मोहिले ने सदन का त्याग किया ।)

## रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्यक्रम—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अभी जो रुड़की यूनिवर्सिटी संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है उस संबंध में ११ तारीख को ४ बजे तक हम नामांकन पत्र ले लें और सायंकाल ५ बजे इनका निरीक्षण हो जाय और यदि जितने सदस्यों का निर्वाचन होना है उसमें अधिक संख्या में नामांकन हो, तो १२ तारीख को हम निर्वाचन करा लें ।

हां, इसमें एक लैक्यूना रह जाता है । विदड्राल यानी नाम वापसी के लिये कोई समय निर्धारित होना चाहिये । मैं समझता हूं कि १२ तारीख को वापसी हो जाय और १३ तारीख को निर्वाचन हो जाय ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

चुनाव १२ तारीख को ही रखिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तो वापसी की तारीख कब होगी ?

श्री अध्यक्ष—

यदि १२ को १२ बजे तक वापसी रख दें और फिर ५ बजे निर्वाचन रख दें तो कोई हर्ज है ?

श्री उग्रसेन—

१२ तारीख को आप वापसी के लिये निर्धारित कर दें ?

श्री अध्यक्ष—

१२ तारीख को तो स्टैन्डिंग कमेटीज का भी निर्वाचन होना है । ठीक है, तो निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो १३ तारीख को होगा ।

## उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपयबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय ।

---

†१४ अप्रैल, १९६६ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

श्रीमन्, यह एक छोटा सा विधेयक है। साधारणतया हमारे सदस्यों को पहले १० रुपया प्रति दिन के हिसाब से मिलता था उसको १५ रुपये कर दिया गया था, परन्तु हमारे यहां के जो सभा सचिव हैं, जब तक वे लखनऊ में रहते हैं, उन्हें १५ रुपये के हिसाब से मिलता है, लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो उनको १५ रुपये नहीं मिलता है। वे लोग आनरेरी काम करते हैं। इसलिये उन्हें १५ रुपये देने के लिये, जो यहां पर सभी सदस्यों को मिलता है, यह संशोधन विधेयक हम लाये हैं। इसमें कोई अधिक खर्चा भी नहीं होने वाला है। इसमें कुल रकम ३,६०० रुपये प्रति वर्ष खर्च होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता देते? ये तो मेल ट्रेन से जा रहे हैं, जरा पैसेन्जर गाड़ी अपनाइये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, अभी तक यह नियम था कि माननीय सदस्यों को १० रुपये प्रति दिन के हिसाब से भत्ता मिलता था वे यहां रहें या बाहर। उसको अब १५ रुपये कर दिया गया है। हमारे जो पार्लियामेन्टरी सेक्रटरी हैं, जो औनरेरी काम करते हैं, जब तक वे लखनऊ में रहते हैं, उन्हें १५ रुपये प्रति दिन मिलता है, लेकिन लखनऊ के बाहर अगर वह जाते हैं तो १५ रुपये उन को नहीं मिलता है। तो वही रख रहे हैं कि जो सदस्यों को मिलता है वह उनको अगर बाहर भी वे ड्यूटी पर जायं तो मिलता रहे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

कौन-सी तारीख से लागू होगा?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जब से आप को मिला है उसी तारीख से लागू होगा।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो ७ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

मुझे ताज्जुब हुआ कि जो आधार इस विधेयक को लाने का मंत्री जी बता रहे हैं वह यह है कि जो सदस्यों को डी० ए० मिलता है उसी के अनुसार सभा सचिवों को भी डी० ए० देने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने यह बतलाया है कि सभा सचिवों के वेतन का संबंध है मेरा खयाल है जैसा कि इस विधेयक के अन्दर दिया है मूल में उसमें यह दिया हुआ है कि मंत्री, उप-मंत्री और सभा सचिव जब कहीं भी रहते थे प्लेन्स में तो १० रु० इन को दिया जाता था और जब पहाड़ों पर जाते हैं तो १५ रु० का भत्ता दिया गया है। अब इस के द्वारा १५ रु० हम करने जा रहे हैं। जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि यह छोटा और बड़ा विधेयक है, ठीक वही बात उद्देश्य और कारण में दी हुई है। सभा सचिवों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है और विधान मंडल के सदस्य होने के नाते वे केवल मासिक वेतन पाने के हकदार हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि वेतन नहीं मिलता और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मासिक वेतन दिया जाता है। यह आपने उद्देश्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कारण में लिख रखा है। तो वेतन तो उन को भी दिया जा रहा है। मंत्री जी ने यह बताया कि ३६०० रु० का खर्चा है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी भूल कर रहे हैं। ३,६०० रुपये गलत हैं, क्योंकि यह १ अप्रैल, १९६४ से लागू होगा। इस का मतलब यह है कि १ अप्रैल, १९६६ को दो साल की तनख्वाह इन को दी जायेगी। ५ रुपये के हिसाब से अगर इस का हिसाब जोड़ा जाय तो ३६५ दिन का साल होता है अगर इसको ५ रुपये से गुणा किया जाय तो एक साल का १,८२५ रु० आता है और दो साल का यह ३,६५० रु० हो जायगा। और जो भविष्य में खर्चा होगा उसकी बात अलग है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

आपने जोड़ लिया कि वह बाहर रहेंगे। जब वह वहां रहते हैं तब तो १५ रुपये पाते हैं। वह तो यहां से बाहर जायेंगे तब मिलेगा। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी हैं उनको भी यही मिलता है। कोई नई चीज नहीं करने जा रहे हैं। जो पार्लियामेंट में विधान है उसी हिसाब से यहां करने जा रहें हैं।

श्री उग्रसेन--

कितने दिन पीछे बाहर रहे हैं इसका हिसाब-किताब कैसे लगायेंगे ?

श्री कमलासिंह यादव--

जो किताब के अन्दर लिखा है .....

श्री उग्रसेन--

(माननीय उप मंत्री के कुछ कहने पर) श्रीमन्, यह बिजली मंत्री नहीं रहे तो हमने इनको बिजली मंत्री बनवाया और हम ही से यह लड़ते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

कानून के अन्दर जो चीज दी गई है मैं उसको कह रहा हूं। अगर माननीय मंत्री को १५ रुपया दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह गलत है क्योंकि इन लागों के लिये अलग कानून बने हुये हैं। इसमें एग्जेम्प्शन है और उसमें सभा सचिव का नाम रखा गया है। इस संशोधन के बाद उनको १५ रु० दिया जा सकता है। लेकिन जैसा मंत्री जी ने बताया कि जब तक यहां लखनऊ में रहते हैं उनको १५ रु० रोज दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि कानून के खिलाफ उनको दिया जा रहा है। उनको १० रु० दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

बहैसियत एम० एल० ए० के उनको मिलता है १५ रुपये, लेकिन सभा सचिव की हैसियत से कुछ वह नहीं पाते हैं। आप बाहर जाते हैं तो १० पये पाते हैं। वह कहते हैं कि १० पया नहीं उनको १५ रुपये मिलने चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं जैसा लॉ है उसको इंटरप्रेट कर रहा हूं। सदस्यों को १५ पया मिलता है। खंड २ में उल्लिखित है मंत्री, उप मंत्री, अधिकारीगण जिसमें अध्यक्ष, चेयरमैन, उपाध्यक्ष और डिप्टी चेयरमैन और सभासचिव सभी आते हैं। जब तक कानून इस रूप में विद्यमान है और जब तक पहले गवर्नर की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक यह अवैधानिक है।

जहां तक मंत्रियों तथा स्पीकर महोदय की रेजीडेंस का ताल्लुक है धारा ४ में दिया गया है कि आपको फर्निश्ड हाउस मिलेगा उत्तर प्रदेश में अथवा दूसरे स्थानों में जहां तक अध्यक्ष का सवाल है दूसरे स्थानों पर उस समय मिलेगा जब कि कोई भी विधान मंडल की मीटिंग हो रही हो और उसमें ७ रोज पहले और ७ रोज बाद का प्राविधान है लेकिन मंत्रियों के बारे में

[श्री कमलासिंह यादव]

ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में यू० पी० निवास में रहते थे तो हम लोग ७ पये रोज देते थे और किसी भी मंत्री ने अथवा आपने वहां रुपया नहीं दिया। जहां तक फ़्री निवास का सवाल है मैं समझता हूं कि मंत्रियों को यू० पी० निवास में फ़्री रेजीडेंस का अधिकार नहीं है और उनको पे करना चाहिये। जहां तक स्पीकर और चेयरमैन का सम्बन्ध है धारा ४ में साफ दिया हुआ है कि सिर्फ लखनऊ में आप लोगों को फ़्री निवास मिल सकता है लेकिन यू० पी० निवास में अगर रहते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो वह कानून के खिलाफ काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब क्या है ?

श्री कमलासिंह यादव—

मैं यह कह रहा था कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इसमें बहुत-सी खामियां हैं। आप लोग यू० पी० निवास में रहते हैं तो चार्ज देना होगा। लिहाजा इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिये और जो जो खामियां हैं उनको दूर करने की वहां कोशिश की जाय ताकि यह न हो कि बाहर का आदमी आक्षेप करे कि इस तरह के गलत काम मंत्री और स्पीकर अथवा चेयरमैन करते हैं। यू० पी० मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स सेलरीज एंड एलाउन्सेज ऐक्ट के सेक्शन ३ की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपने संशोधन में यह नहीं कहा है कि इस विधेयक की परिधि बढ़ाई जाय। आपने तो सिर्फ यह कहा है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। आप जिन विषयों को ले रहे हैं वह भले ही इससे संबंधित हों, लेकिन इस संशोधन के अन्दर नहीं आते।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं श्रीमन् के आदेश को शिरोधार्य करता हूं, लेकिन अपोजीशन का मेम्बर होने के नाते मेरा यह कर्त्तव्य है कि जो जो खामियां हैं इस विधेयक में वह आपके नोटिस में ले आऊं।

श्री अध्यक्ष—

आपने चूंकि संशोधन में परिधि बढ़ाने की बात नहीं कही है इसलिये आप उन दोषों का उल्लेख नहीं कर सकते जो इस विधेयक के अन्दर नहीं आते, यह मेरा निवेदन है। इसलिये जितनी बातें आप को हैं वे सब असंगत हैं जब तक कि आप का प्रस्तुत संशोधन संशोधित रूप में न आये और उसके लिए अब समय नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर आप इजाजत दें तो परिधि बढ़ाने की बात भी मैं कह दूं।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

परिधि की बात न होते हुए भी वे सर्कम्स्टांसेज बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

वे तो चेंज करने की बात कह रहे हैं। वही गलत है। आप संदर्भ में शायद उन बातों को ले आयें, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यह भी इस विधेयक में संशोधन के पात्र होने चाहिये। तो मेरा आप से निवेदन यह है कि आप इस विधेयक से सम्बद्ध रहें।

श्री कमला सिंह यादव—

रोज हम यह देख रहे हैं कि सदन के बाहर लोग काले फीते लगा कर प्रदर्शन करते हैं और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पे रेशनलाइजेशन कमेटी के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने जो रुपया दिया उस रुपये को उसी मद में इस सरकार ने यूटिलाइज नहीं किया। पी० आर० सी० ने जो रिपोर्ट दी उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो सचिव आप के बगल में बैठे हुये हैं उनकी तनख्वाह एक हजार से ऊपर होने के कारण ६०० रुपया का घाटा उनको हुआ। मैं तो कहता हूं कि इस प्रदेश में जो आई० सी० एस० और आई० ए० एस० लोग हैं उनके लिये यह सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे कि उन्हें यहां न भेज कर कहीं बाहर भेजे और अपने ही यहां के आदमियों को रखे। तब कोई यह नहीं कह सकेगा कि एक ही टेबिल पर बैठ कर एक ही काम करने वालों को अलग अलग वेतन मिलते हैं जिससे संविधान की हत्या होती है।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुये।)

श्री अधिष्ठाता—

ये तो बिल्कुल असंगत बातें आप कह रहे हैं।

श्री कमला सिंह यादव—

यह ठीक है, लेकिन हमारे पास धन तो है नहीं। अभी भूमि भवन कर, जिसे भयंकर कर कहते हैं उसके कारण शहरों और कस्बों की जनता परेशान है। दूसरी तरफ किसान चकबन्दियां लगान के कारण परेशान है। चूंकि आप स्वयं कस्टूडियन हैं इसलिये कम से कम अपना दामन साफ रखें ताकि कोई कह न सके। मैं समझता हूं कि ८-९ महीने का मामला था। यदि इस समय यह बिल न आता तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन जो यह १५ रुपये भत्ते का सवाल है, मैं समझता हूं कि कोई भी सभा सचिव ऐसा नहीं है जो कहे कि ५ रुपये नहीं मिलेंगे तो बड़ी चोज नहीं होगी। वह बराबर यहां काम करते हैं और उनको बीच में छुट्टी नहीं मिलती है। यदि उनको रेगुलर पेमेंट होगा और यदि यह नहीं बढ़ेगा तो भी उनके काम में कोई फर्क नहीं आयेगा। आपने डिप्टी मिनिस्टर के ७५० से ६५० कर दिये। एम० एल० एज को ३०० रुपये आनरेरिया देते हैं और १५ रुपये रोज भत्ता देते हैं तो जोड़ कर यह भी ७५० पये हो जाते हैं। मुझे तो एक बात याद आती है कि मुंसरिम के अंडर में रीडर रहता है और दूसरे अहलकार रहते हैं, लेकिन सबकी तनख्वाह बराबर है। इस समय तनख्वाह में या भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह इलेक्शन का समय है।

विरोधी दल वाले वैसे ही सरकार से बराबर प्रार्थना कर रहे ह कि भूमि भवन कर उठा लिया जाये और इसके अलावा लगान आपातिक विधेयक को भी उठा लिया जाये क्योंकि अब हमारे प्रदेश में संकटकालीन स्थिति नहीं है। आज १८ वर्ष के बाद भी हमारे यहां की जनता की वही हालत है जो पहले थी। अगर झोंपड़ों में देखें तो किसान की औरत की धोती में सात टुकड़े जुड़े हुये दिखाई देंगे। अभी मंत्री जी ने बताया था कि सरकार सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने जा रही है। मैं समझता हूं कि जब लोगों को खाने को गल्ला नहीं मिल रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है और अब तो और भी नहीं मिलेगा क्योंकि दाम बढ़ गये हैं और जिन्दगी की जरूरियात की चीजों के भी दाम बढ़ गये हैं, ऐसी हालत में जब प्रदेश की ऐसी दशा ह कि रुपये की कमी है, हमारे डेवलपमेंट के काम रुक गये हैं इसलिये जरूरी है कि हम सदस्यगण चाहे एम० एल० एज हों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हों, मिनिस्टर हों या डिप्टी मिनिस्टर हों, सबको कुर्बानी करनी चाहिये। यह हमारा पहला कदम होगा और इससे काले फीते लगाने वालों को कम से कम संतोष तो होगा। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वह समय जल्द आने वाला है जब सब डाक्टर हड़ताल करने जा रहे हैं। इस तरह से पेन डाउन होगा तो भगवान जाने शासन कैसे चलेगा।

[श्री कमलापति यादव]

मंत्री जी ने स्वयं अपने विभाग के लोगों को देखा है। आज हर आदमी असंतुष्ट है, हर एक को पैसे की जरूरत है और हर एक चीज दिनोंदिन मंहगी होती जा रही है। ऐसी दशा में मैं उचित समझता हूं कि इस तरह से वेतन को या भत्ते को बढ़ोत्तरी उचित नहीं है। विधायकों ने मांग की थी कि उनके परिवार के लोगों के ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिये। यहां पर खन्ना जी ने आश्वासन दे दिया कि उनका भी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन उधर मंत्री जी ने जी० ओ० भेज दिया कि इनके परिवार वालों का ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि सरकार की कौन सी भावना है। खाने के दांत और दिखाने के और। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिये। यदि आप सचमुच एकता करना चाहते हैं, तो वह करने की कोशिश कीजिये, लेकिन वह भी पब्लिक के भार पर नहीं। आप थोड़ा सन्तोष कीजिये, आम चुनाव होने वाला है, उसके बाद जब दूसरी सरकार आयेगी तब आपातिक कर भार भी नहीं रहेगा, भूमि भवन कर भी नहीं रहेगा, उस समय यदि आप इसे कर लेंगे तो कोई बड़ी आपत्तिजनक बात नहीं होगी, लेकिन इस समय यह उचित नहीं है। यदि आप लोग स्वयं थोड़ी कुर्बानी नहीं करेंगे, तो और कौन कुर्बानी करने के लिये तैयार होगा। मैं समझता हूं कि जो भी आपके सभासचिव हैं उनको पैसे की जरूरत नहीं है जो उन को मिलता है वह काफी है, वह स्वयं इसे नहीं चाहते हैं। जो आप असमानता का व्यवहार कर रहे हैं, वह भी ठीक नहीं है। मन्त्रियों को पहले १,५०० मिलते थे, फिर ५००, १,२०० और १,००० क्रमशः समय-समय पर हुये, इस समय जो उन को १,००० पये मिलते हैं, वे इन्कम टैक्स फ्री हैं। यों तो आपने डिप्टी मिनिस्टरों का भी कम किया है, लेकिन उस पर इन्कम टैक्स लगा रहेगा। अन्य प्रदेशों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन यहां है जो कि दूर होना चाहिये। मेरी समझ से तन्ख्वाहों का कोई सवाल नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा आदमी की होनी चाहिये, उसके पद और उस की स्थिति का सम्मान होना चाहिये। इस सम्मान के साथ यदि हम और आप काम करेंगे तो हमारी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। आज देश की परिस्थिति दूसरी है, हम इस अवस्था में नहीं हैं कि हम किसी प्रकार इसका खर्चा बरदाश्त कर सकें। जब असेम्बली बन्द हो रही थी, ९ आदमियों के बारे में मैंने उनकी करुण कहानी अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी से कही थी। वे कर्मचारी जो इस विभाग में काम पर सेशन के समय के लिये लगे थे इन पिछले दिनों में सेशन स्थगित होने के कारण उस समय के लिये उनकी नौकरी स्थगित कर दी गई थी। मैंने बनारसीदास जी से और अध्यक्ष महोदय से कहा था कि उन आदमियों को बैठाया न जाय जिससे कि हमारा काम ठीक तरह से चल सके और उनको भी रोजी मिल सके। लेकिन माननीय स्पीकर साहब ने यह कहा कि खर्चा हमको घटाना है, हम यह खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार से इतना अधिक खर्चा बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की बातें न लाई जाएं, क्योंकि आपको और हम को, सभी को अभी जनता के सामने होगी।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, ये एक अप्रैल, १९६४ से लागू होगा, आगे जो बढ़ोत्तरी होनी है, उसमें पिछले दो साल का भी रुपया आपको देना है। यह ३,६०० पया नहीं ३,६५० रुपया हो जाता है, जो मैं समझता हूं जुड़ जाएगा तो फिर १,८०० और इसमें पया जुड़ जाएगा तो इस तरह से जो ज्ञापन-पत्र मंत्री जी ने दिया है वह गलत है और एक्चुअल खर्च ५,४०० पया हो जाएगा। एक तरफ तो आप ९ कर्मचारियों को हटाकर मुश्किल से ५-६ सौ पए महीने की बचत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ५ हजार का फिजूल खर्चा करने जा रहे हैं। यह विधेयक एक अपूर्ण विधेयक है इतना ही नहीं बल्कि जो ओरिजनल बिल है, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी खामियां है। यदि मंत्री जी उस की तहत में जायेंगे तो वह खामियां भी दूर की जा सकती हैं। मैं तो कहता हूं कि यू० पी० निवास में जो बिना खर्च के सरकारी खर्च पर मंत्रिगण और सदस्यगण ठहरते हैं, उसका भी खर्चा उन्हें स्वयं बरदाश्त करना चाहिये। इस तरह से मैं चाहता हूं कि यदि मन्त्रिगण कोई गलत काम करते हैं तो हमारे लिये वह अशोभनीय बात होगी,

क्योंकि वे हमारे कर्णधार हैं। कर्णधार अगर कोई गलत काम करता है तो वह अच्छी बात नहीं होगी। इस आधार पर मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप को कुछ करना है तो आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये। वहां पर यह दुरुस्त कर दिया जायगा। आप इसको अप्रैल, १९६४ से लागू करने जा रहे हैं। अगर इसके अन्दर कुछ खामियां हैं या कुछ खामियां पहले से रह गई हैं तो उन सब को दुरुस्त कर दिया जायगा। वहां पर छानबीन होने पर फिर कोई अवसर ऐसा नहीं आयेगा कि किसी को कुछ कहने का अवसर पैदा हो। जिस समय पहले सदस्यों के लिये बढ़ाया गया था, उसी वक्त इसको भी कर लेते तो यह बात नहीं थी। लेकिन आज इतने दिनों के बाद जब देश की परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि सरकारी अधिकारी भी असन्तुष्ट हैं, तो यह नहीं करना चाहिये .....

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मैं समझता हूं एक बात कि माननीय सदस्य एक दर्जन बार पुनरावृत्ति कर चुके हैं जो रूल्स के खिलाफ है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इन बातों को कहते हुये कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जब ऐसी परिस्थिति देश के सामने है उस वक्त मैं समझता हूं कि इस तरह का विधेयक सदन के सामने रखना कोई उचित बात नहीं है। जहां तक इन सभासचिवों का सवाल है ये लोग भी बड़ी भारी कुरबानी कर चुके हैं। वह इसके लिये अधीर नहीं हो सकते हैं कि यह पैसा उनको दिया ही जाय। हमारे सामने एक जीता जागता सवाल है कि विरोधीपक्ष की ओर से त्रिपाठी जी जब उपाध्यक्ष चुने गये थे तो उनका वेतन ७५० रुपया निश्चय था लेकिन उन्होंने केवल ५०० रुपया ही लिया था। इस विधान सभा के सामने यह जीता जागता नमूना है कि एक आदमी विधान सभा के उपाध्यक्ष के लिये चुना गया उसने ऐसा उदाहरण उपस्थित किया। उन उपाध्यक्ष के अन्दर कितनी कार्य क्षमता थी इसको सभी लोग जानते हैं। उन्होंने सदन में एक आदर्श उपस्थित किया था और उन्होंने सदन के अन्दर रह कर जो कार्य क्षमता प्रदर्शित की है वह सराहनीय है। वेतन के विषय में जो उन्होंने उदाहरण उपस्थित किया वह भी सराहनीय है। हमारे जो सभासचिव हैं वह लोग खुद ही इस बात को कहें कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। एलेक्शन के बाद जब वह जीत कर आयेंगे तो जैसा सरकार मुनासिब समझेगी करेगा। यह अधिक उचित होगा, अच्छा होगा और सामयिक होगा। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी परिधि भी बढ़ा सकते हैं और सेलेक्ट कमेटी में उन सब बातों पर विचार हो जायगा। वहां पर बैठ कर हम इस पर विचार कर लेंगे और इसको दुरुस्त कर दिया जायगा। जिस रूप में यह विधेयक इस समय स्टैंड करता है उसके शब्दों को पढ़ा जाय तो आक्षेप होगा। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप के ऊपर पर्सनल आक्षेप आयेगा। जब पेमेन्ट का प्रश्न आयेगा तो उस समय लोग आक्षेप करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और जो खामियां हैं वह दूर हो जायगी। यह छोटा-सा विधेयक है इसको दुरुस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। २,३ रोज में भी इसको ठीक किया जा सकता है। जब यह अच्छा विधेयक बन सकता है और जो एक्सपरशन्स बाहर से आते हैं वह भी नहीं आयेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजें और उसके बाद इस सदन में लायें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं चुपचाप बैठा हुआ सोच रहा था कि इस विधेयक पर बोलूं अथवा नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई दूसरा अवसर नहीं आयेगा अपनी बात कहने का, यह सोच कर मैं इस अवसर का उपयोग कर रहा हूं।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्रिगण हम सदन के सदस्यों में से ही हैं और इसलिये मैं उनसे एक बात के लिये आग्रह करना चाहता हूं। १९६७ का एलेक्शन निकट आ गया है। हमारा अनुभव ऐसा है कि मंत्रिगण और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीगण दौरा करते हैं हाकिमों को स्कूअप करने के लिये। उनका कार्य देखने के लिये यदि वह दौरा करते हैं तो उसको शिकायत मुझे नहीं है। जनहित में अगर वह दौरा हो तो ठीक है, उस के लिये उनको भत्ता मिलना चाहिये, लेकिन हम को ऐसा मालूम हुआ है कि नाम होता है सरकारी दौरे का और काम होता है पार्टी का, एलेक्शन का और ऐसा होने पर हमारी आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। मेरे हृदय में वेदना होती है। आखिर यह प्रश्न उनके हृदय में क्यों नहीं उठता? वह एलेक्शन के लिये जायं, अविश्वास के प्रस्ताव के लिये जायं अथवा बी० डी० ओ० के ट्रान्सफर को रोकने के लिये जायं, उस से हम को मतलब नहीं, लेकिन यह काम उन को पब्लिक एक्सचेकर की कमाई पर नहीं करना चाहिये। हम को इससे ऊंचा उठना चाहिये। हम को चाहिये कि जो उपलब्धियां हमको प्राप्त होती हैं उन में से ही हम पार्टी हितों को पूरा करें। हमारी आप की पार्टी कुर्ता पाजामा नहीं है, कि जो घर पर रख दी जाय, अथवा कहीं जायं, तो उस से अलग रह सकें। इसलिये इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। मुझे मालूम है कि आप इसके उत्तर में खड़े हो कर कह देंगे कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या मंत्रिगण पार्टी हित में दौरा नहीं करते। मैं आप की बात सुन कर बैठ जाऊंगा, लेकिन उस के बाद भी कहूंगा कि आप इस प्रश्न पर मन में सोचिये। आज दूसरी पार्टी के सदस्य पार्टी के काम के लिये रुपया खर्च नहीं कर पाते, आप कर सकते हैं। मैं इसके लिये उदाहरण नहीं देना चाहता। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि इसमें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ मेरे कान में आया वह मैंने कह दिया है। अगर आप कहीं गये भी हों और आप यहां कह दें कि आप नहीं गये, तो उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। एक सिद्धान्त की बात मेरे सामने आयी तो हम कहते हैं। हम विश्वास करेंगे, यह नहीं कि आप कोई बात कहें और हम विश्वास न करें। डैमोक्रेसी की रक्षा करने की बात नित्य प्रति सदन में होती है। आज भी अवसर है कि हम यह बात आप के कानों में डाल दें, सम्भव है कि अगर १० मर्तबा आप इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो शायद २-३ मर्तबा ही करें। उदाहरण तो खैर मैं बहुत से दे सकता हूं लेकिन पता नहीं हम अगर आपकी स्थिति में हों तो हम कैसे रहें। इसलिए आप हमारे सामने आदर्श रखिये। आप रूलिंग पार्टी के व्यक्ति हैं, एक पद पर आप को रखा है, उसका सदुपयोग कीजिये। मैंने जो कुछ कहा, मैं इससे मधुर नहीं हो सकता था। यह संकेत करना आवश्यक था कि कृपया आने वाले चुनाव में इसका उपयोग न करें। हम काफी भुगत चुके हैं। डैमाक्रेसी के हित में, सत्ता के हित में, मंत्रिगण के चरित्र के हित में—जो भी शब्द आप उचित समझें उसके हित में यही आप से हमें आशा है और अगर आप नहीं करते हैं तब तो कोई बात नहीं है और अगर करते हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ माननीय कमला सिंह जी के तर्कपूर्ण विवाद को सुन कर। मैं समझता हूं कि विधेयकों पर कुछ मर्यादा होती है। और त्रिपाठी जी का कृतज्ञ हूं जो उन्होंने सुझाव दिये। कमलासिंह जी जब तर्क देते हैं तो उनमें स्वयं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें अपने संदर्भ का भी ज्ञान नहीं रह जाता। एक तरफ तो दलील दी कि ५ रुपया दैनिक वृद्धि से कोष पर भार बढ़ जायगा और दूसरी तरफ उदारतापूर्वक संशोधन पेश किया है जिसमें प्रत्येक सभासचिव को डेढ़ सौ रुपया मासिक परिवहन भत्ता दिया जायगा और दूसरा संशोधन यह रखा है कि १५ के बजाय १२ भत्ता हो जाय। तो क्या ज्योतिष शास्त्र के अन्दर कोई १५ की संख्या खराब थी जो इसमें शुद्ध कर दिया गया?

दूसरे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ज्यादा मुनासिब नहीं होता हर जगह सरकारी नौकरों से तुलना करना। मैं समझता हूं जनतंत्र के अन्दर कभी कभी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। लेबर पार्टी इंगलन्ड में आयी, उन्होंने कहा कि हम अपनी तुलना कंजरवेटिव्स से नहीं करते। हमें तो सार्वजनिक जीवन में २४ घंटे काम करना है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों में तिगुनी वृद्धि कर ली। आज ऐसे भी लोग हैं कि राज्य सभा का, परिषद् का चुनाव हुआ तो १-१ लाख रुपया इसी सदन के अन्दर एक एक सीट के लिये खर्च करते हैं। अगर एक लाख पये का ब्याज लगाया जाय तो कोई उपलब्धियां उसके मुकाबले में नहीं मिल सकती हैं। बहरहाल जनता का प्रतिनिधि होकर इस सदन में आना एक सम्मान है और जहां पर प्रगतिशील समाजवादी प्रणाली होगी तो इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक होगा जिससे जनता के प्रतिनिधि काम कर सकें। मैं तो यह समझता हूं कि यह सदन का अपमान है, एक प्रतिभा को चुनौती देना है। कमला सिंह जी का प्रस्ताव लिया जाय कि सब सदस्य आनरेरी रहें तो उनका मतलब क्या है? फिर राजनारायण जी की मिसाल देना। मैं सजेस्ट नहीं करना चाहता। तुलसीराम जी थे, श्रीचन्द थे जिन्होंने अपने अलाउंसेज को बिल्कुल छोड़ दिया। तो त्याग उपदेशों से नहीं हुआ करता है। कौन मना करता है त्याग करने को? गांधी जी कहा करते थे कि "रिनंसिएशन ऐंड लांग फेस कैन गो इल टुगेदर।" यानी मुहर्रमी चेहरा और त्याग दोनों साथ-साथ नहीं जाते। अगर कोई माननीय सदस्य त्याग करना चाहता है तो उसके लिये रोक कहां है? १५ रुपये के बजाय वह ५ रुपया ही लेना चाहता है तो वह ले सकता है। हो सकता है उनकी आवश्यकतायें कम हों। अगर कोई कहता है कि हम ढाई रुपये रोज लेंगे तो हम उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वह १५ रुपये ले? आपकी जो सदन की कमेटीज हैं उनमें जो सदस्य जायं उनको तो १५ रुपये रोज मिलें, पर यदि कोई माननीय सदस्य सभा सचिव हो जाय तो उसको कम मिले, यह कहां तक उचित है? यह कोई व्यापारिक संस्था की बलेन्सशीट तो है नहीं। हलवाई की दूकान पर नाना जी का फातिया पढ़ना बहुत आसान है। हर वक्त गवर्नमेंट सरवेंट की हमदर्दी में बातें करना, आसान है। हमें भी हमदर्दी है। हमने केन्द्र से बातचीत भी की कि हमारे यहां के कर्मचारियों को सेन्टर के मुताबिक डी०ए० मिलना चाहिये और उससे जो एक्स्ट्रा खर्च आये वह सेन्टर बरदाश्त करे, मगर सेन्टर उसके लिये तैयार नहीं हुआ। मैं क्षमा चाहता हूं, इस बिल की परिधि के यह बाहर होगा, मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी पे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर २३ करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा इस सूबे के बजट पर पड़ा है। फिर माननीय सदस्य कहते हैं कि भूमि भवन कर माफ करो, उसे वापस लो, सर चार्ज वापस लो, रिट्रेन्चमेन्ट न करो, एकोनोमी भी करो, तनख्वाहें सबकी बढ़ाओ, यह कैसे हो सकता है? मेरा निवेदन है कि अपोजीशन के लोगों को निराश नहीं होना चाहिये। माननीय माधव प्रसाद जी अगर इस प्रदेश के भावी मुख्य मंत्री होना चाहते हैं तो वे सन् ६७ में, चुनाव में, उन्हीं बातों को कहेंगे जिनको वे बाद में अमल में लायेंगे।

बहरहाल, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जब गांधी जी ने नान कोआपरेशन मूवमेंट शुरू किया था तो इन्डियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सभी में कानून भंग करने की स्प्रिट खड़ी हो जायेगी तो हिन्दुस्तान की भावी सरकार के लिये बड़ी मुश्किल आ जायेगी क्योंकि लोगों में कानून की रेस्पेक्ट करने की भावना खत्म हो जायेगी,

[श्री बनारसी दास]

मगर गांधी जी ने कहा कि मैं आग के सामने खेल रहा हूं, यह खतरा मोल लेना ही होगा। उस समय देश के अन्दर एकतंत्रीय शासन था, विदेशी शासन था। आज परिस्थिति दूसरी है। माननीय सदस्यों के यदि भाषणों को देखा जाय तो मालूम होगा कि सभी ने एक सांस में यही कहा है कि आज ब्यूरोक्रेसी हावी है। मान्यवर, सन् ६७ का चुनाव सामने आ रहा है। उसको ध्यान में रख कर, वोटरों के लिये एक दो आंसू यहां बहाने की कोशिश की जाती है। जैसे पहले राजा हुआ करते थे तो उनके जरिये जो लोग सरकार में आ जाते थे उनका एक प्रिविलेज क्लास में समझा जाता था। आज चूंकि कानून हमारे हाथ में है, जब चाहे हम जनता के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। मैं पूछता हूं कि प्राइवेट सर्वेन्ट्स के लिये भी कोई कानून बनेगा, किसान के नौकर के लिये भी कोई कानून बनेगा, जिस आदमी की आमदनी १०० रुपये से कम है उसके लिये भी बजट में कोई व्यवस्था होगी। यह सब मुझे ऐसा लगता है जिसे कहते हैं असंगत थिंकिंग। मैं कहता हूं कि आप शुरुआत करें कि जो मेरा नौकर होगा उसको यहां के कर्मचारी से ज्यादा वेतन मिलेगा। मैं यह भी मानता हूं और कह सकता हूं कि जितने कम्युनिस्ट सदस्य हैं उन्होंने क्या फकीरी ले ली है, क्या किसी के यहां नौकर नहीं है, क्या उनकी तनख्वाहें वे उतनी देते हैं जितनी देनी चाहिये? जहां तक विधेयक का सवाल था माननीय कमलासिंह ने एकोनामी की बात की। लेकिन जितनी देर माननीय कमलासिंह ने भाषण दिया करीब-करीब जितना रुपया उस समय पर खर्च हुआ उतना ही रुपया करीब-करीब सभासचिवों को पांच रुपये के हिसाब से मिलेगा। जब यह विधेयक पेश हुआ तब तक यही समझा जा रहा था कि उसमें सभा सचिवों का डी० ए० भी शामिल है, लेकिन अब कानून के पंडितों ने कहा कि इसमें लेकुना रह गया है। इसका मतलब यह है कि जो माननीय कमलासिंह को भत्ता मिले वह सभा सचिवों को भी मिले। दलील यह दी जाती है कि जो गरीब हैं उनके थोड़े आंसू पुंछ जायेंगे, ये चीजें कहां तक संगत हैं? ये १५० रु० से कम है। माननीय कमलासिंह तो १५० रु० कनवेयन्स अलाउन्स दे रहे हैं। अगर सभा सचिव दस रोज बाहर रहे तो इस तरह से दस के बजाय पन्द्रह रुपये दे दिये। माननीय कमलासिंह जी तो १५० रुपये मंजूर कर रहे हैं। वैसे १०० रु० ही बैठते हैं। उस तरह से पचास रुपये की स्टेट एक्सचेकर की बचत हो गई। १५० रुपये की बात तो वे खुद ही कहते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

१५१ रुपये तब रखते हैं जब आप प्राइवेट काम से जायं।

श्री बनारसीदास—

बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज यही नियम है कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट हो या कोई सदस्य हो, अगर वह कार्य से आये तो उसे एक फस्ट क्लास का पास एक्स्ट्रा मिलता है। मिनिस्टर के लिये ऐसा कोई नियम नहीं है। मिनिस्टर कोई डी० ए० नहीं चार्ज करता है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन का डी० ए० कुली वगैरह सब मिलाकर दस पन्द्रह रुपये हो सकता है।

एक सदस्य—

मिनिस्टर तो मालिक है।

श्री बनारसीदास—

मालिक के माने यह नहीं हैं। मालिक के माने एक ट्रस्टी के ही हैं। लिहाजा कोई मिनिस्टर टी० ए०, डी० ए० चार्ज नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा डी० ए० पन्द्रह रुपये रोज होता होगा। यह कानून बड़ा सीमित था। क्योंकि कमी हमारी नजर में आई। सभा सचिवों को डी० ए० अगर आप चाहें दस रुपये हो जाय और उसके लिये आप यह कहें कि गरीबों के आंसू पुंछ जायेंगे, ऐजीटेशन हो रहा है, इसके लिये हम सब से आगे हैं कि आज एलान कर दें कि किसी

का वेतन सौ रुपये से कम न हो। मगर आप सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लायें कि कौन-सा कर आप बढ़ाना चाहते हैं। एक आवाज से आप कहते हैं कि २३ करोड़ के बजाय पचास करोड़ का इजाफा कर दें। कौन मना करता है? हम हाथ उठा देंगे। २७ करोड़ रुपया हम पल भर में देने के लिये तैयार हैं। आप एकानामी तो चाहते नहीं हैं पर एकानामी की बात जरूर करते हैं। कहते हैं कि अनशन शुरू हो जायेगा, या मैं कहूं कि रोज़ा शुरू हो जायगा। उपवास के तो माने होते हैं ईश्वर के पास बैठना। उपवास कहना तो मैं समझता हूं, धृष्टता होगी इसे कहना। आप व्यवहारिक दृष्टि से कोई प्रस्ताव लाइये, हम २५ करोड़ की जगह ५० करोड़ सालाना देने के लिये तैयार हैं। आप कहते हैं कि रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। हम आपसे सहमत हैं। मैं चुनौती देता हूं कि आप बजट का रिफास्ट करते लाइये और ५० करोड़ निकाल सकेंगे तो हम ५० करोड़ देंगे। लेकिन जिस राष्ट्र में गरीबी है और परिश्रम की जरूरत है यह परिपाटी डालने की कोशिश करना कि लोग स्लो काम करें, यह देश के साथ गद्दारी होगी। हमारे यहां छुट्टियां बढ़ती चली जाती हैं और साथ ही काम के घंटे भी कम होते जाते हैं, यह देश को नीचे ले जावेगा। मैं सरकारी नौकरों की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमारा ढाई घंटे का काम का औसत है। क्या यह राष्ट्र को ऊपर ले जाने का तरीका है?

मैं माननीय माधवप्रसाद जी से इत्तफाक करता हूं। स्वयं हम इसके निर्णायक हैं। यहां पर हम मिनिस्टर की हैसियत से बैठते हैं। हम लोग राजनीतिक लोग हैं। यह कहना कि हम केवल गवर्नमेंट का ही काम करते हैं, पार्टी का नहीं करते हैं, गलत होगा। लखनऊ में बैठकर सभी काम करते हैं। जहां चुनाव होते हैं, मैं जानता नहीं कि कोई आदमी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करता है, या किसी मिनिस्टर ने यह किया है। अभी चुनाव हुये लोगों ने प्राइवेट गाड़ियां इन्गेज की और उनमें गये। मुझे खुद भी इत्तफाक हुआ है और मैं माननीय सदस्यों के सहयोग का बड़ा आभारी हूं। यह माना कि पार्टी का काम होता है और सरकारी भी होता है। बहुत से लोग मिलते हैं, विरोधी दल के भाई भी आते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना-पत्र पेश करते हैं। तो इसलिये अगर सराख की तलाश करने की कोशिश की जाय तो बहुत से सूराख मिल सकते हैं और आलोचना की जा सकती है। इस बात का हमको प्रयास करना चाहिये कि जैसे चुनाव आते हैं पदों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। शायद माननीय त्रिपाठी जी हैं नहीं। वह भूल गये हैं। मैं आपसे कहता हूं कि सत्तारूढ़ व्यक्ति के प्रति, चुनाव में, एक बगावत की सी भावना होती है। अंग्रेजी जमाने में उन्होंने बहुत कोशिश की यूनियनिस्ट पार्टी को वोट दिलाने की, लेकिन नहीं कामयाब हुये। जब मैं गवर्नमेंट में नहीं था, कोई कलेक्टर यदि उस जमाने में मुझ से कहता कि तुमको फलां शख्श को वोट करना है तो मेरे अन्दर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना बगावत कर जाती है कि क्या मैं कलेक्टर का गुलाम हूं। कोई सब इंस्पेक्टर यह कहे कि तुमको इस व्यक्ति को वोट देना है तो मैं समझता हूं कि जिस वोटर के अन्दर जरा भी आत्म-सम्मान होगा वह उससे प्रभावित नहीं होगा। जो व्यक्ति चुनाव में सरकारी मशीन का सहारा लेना चाहता है वह आत्म-हत्या करता है और अपने को पराजय की तरफ ले जाता है। हम सब प्रतिष्ठित लोग हैं आखिर। तमेश्वर प्रसाद जी की जगह खाली हुई तो नायर जी आ गये। ठीक है। लेकिन हम चुन कर आ जाते हैं तो कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। ये दलीलें किसी को कनविन्स नहीं करती हैं और न हम पर कुछ असर डालती हैं। जनतंत्र की मंशा ही यह होती है कि हम एक दूसरे के दिल तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप यह दलील देना चाहते हैं अपने दिल के फफोले फोड़ने के लिये या यह कहने के लिये कि खूब सुनाई, तो काम तो जरूर पूरा हो गया। लेकिन इसका असर क्या पड़ा और किस पर पड़ा, सुनने वाले पर पड़ा या जनता पर पड़ा, यह नतीजे से ही मालूम हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ मर्यादा होती है। पार्लियामेंट में भी हमने नहीं देखा कि सदस्यों के ऐसे प्रश्नों पर कुछ इस तरह का विवाद होता हो। कमलासिंह जी, मैं जानता हूं, विधान के पंडित हैं। सन् ६७ के चुनाव में जब वह जीत कर आयेंगे तो इन सब चीजों पर नये सिरे से विचार करेंगे।

[श्री बनारसी दास]

यह एक लाइन का छोटा सा संशोधन शान्तिप्रपन्न जी ने रखा है। १५० रुपया वह खुद लेना चाहते हैं। हम केवल ५० की बात करते हैं। अगर कोई सभासचिव दौरे पर न जाय तो वह १५ रुपये ले ही सकता है। बाहर जाय, धूल खाय, और ५ रुपये कम मिले। सभा सचिव भी सदस्य हैं। आज वे सभा सचिव हैं, कल नहीं भी रह सकते हैं, केवल सदस्य ही रह सकते हैं। तो इसलिये कम से कम इन प्रश्नों पर विवाद नहीं होना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मैं मानता हूं कि यह विवाद का प्रश्न नहीं है। इसमें कोई सिद्धांत भी नहीं है। आप इसे मंजूर कर चुके हैं। १५ रुपये आपने सदस्यों के लिये माना, कूपन्स भी माने। क्या इन सब चीजों से सदस्यों की कुछ प्रतिष्ठा बढ़ी? फर्स्ट क्लास का फेयर सिलता था बहुत से लोग थर्ड क्लास में आते हैं, मजबूरियां हैं। तो हमको वह काम करना चाहिये जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। एक सेकिन्ड क्लास अफसर का वेतन ३०० से ६०० तक है। वह भी फर्स्ट क्लास पा सकता है। लेकिन वह आपके अधीन है। इस सूबे का बड़े से बड़ा अफसर, चीफ सेक्रेटरी भी आपका सुबार्डिनेट है। केवल वेतन की तराजू पर हमारी प्रतिष्ठा को तौलना गलत होगा। अफसरों से तुलना करना अपने को अपमानित करना है। मिनिस्टर १००० पाता है, कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी ३५०० पाता है। तो क्या तुलना की जा सकती है? हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप चीफ सक्रेटरी से क्या कम थोड़े ही हैं। तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स का नाम लेना ठीक नहीं है। आप सब आनरेरी वर्कर हैं। आप अपना काम छोड़ कर आते हैं। केवल सबसिस्टेंस के लिये ३०० और १५ रुपया है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स भी कहते हैं कि १५ रुपये हो गया। बहुत से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स इस्तीफा देकर यहां के सदस्य हो गये हैं। विधान में स्वाधीनता है। कौन मना कर सकता है? पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई पास होकर सीधे चला जाय, कोई गड़बड़ न हो, तो वह कलेक्टर बन सकता है और यहां ५ साल के बाद जनता हमें फेल कर सकती है। यह पब्लिक का काम ऐसा ही है।

मुझे दुःख है कि माननीय कमलासिंह जी कभी-कभी अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करने लगते हैं। वह ऐसी दलीलें देते हैं जिनसे वे स्वयं के ऊपर लागू हो जाती हैं। एक हाई कोर्ट के जज ने कहा सब गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स बेईमान हैं। एडवोकेट-जनरल ने कहा कि आप इस रिमार्क को एक्सपंज कीजिये। उन्होंने कहा कि यह मेरा मंशा नहीं था। एडवोकेट-जनरल ने कहा कि आपके शब्दों ने आपको धोखा दिया। इसलिये और भी जरूरत है कि एक्सपंज किया जाय। इसलिये कमला सिंह जी की बात भी ऐसी ही कुछ है।

सेलेक्ट कमेटी के लिये आप कहते हैं। कोई बिल एक लाइन का भी हो उसके लिये भी सेलेक्ट कमेटी की बात कर देते हैं। क्या कोई ऐसा बिल है जिसके लिये माननीय कमलासिंह जी ने सेलेक्ट कमेटी की जरूरत न महसूस की हो? एक भी बिल ऐसा शायद नहीं मिलेगा। सभी बिल सेलेक्ट कमेटी नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा हो तो इसके मायने यह हुये कि सेलेक्ट कमेटी की हैसियत माननीय कमलासिंह जी गिराते हैं। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। सभा सचिवों का, सदस्यों का, मामला है, जो आपके साथी हैं।

इन शब्दों के साथ माननीय कमलासिंह जी से मेरी दरख्वास्त है कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री कमलासिंह यादव—

इन्स्टीट्यूशन वाली बात का क्या रहा?

श्री बनारसीदास—

वह तो आपका नया संशोधन है। वह इस बिल का भाग नहीं है। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है वह तो बड़ा सीमित है। आप जो अपनी बात कहते हैं, उस पर हमने अभी विचार नहीं किया है कि वह कहां तक व्यावहारिक होगा, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था होगी। जब मौका आयेगा तब सब माननीय सदस्यों द्वारा मिल कर उस पर कोई निर्णय ले लिया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय बनारसी दास जी ने स्वयं ही इस बात को मान लिया है कि इस बिल में कुछ लेक्यूना रह गया था। इस प्रकार की जो त्रुटियां रह जाती हैं, उसी के लिये माननीय कमला सिंह जी ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। लेकिन उस पर कहा जाता है कि कमला सिंह जी प्रत्येक बिल को सेलेक्ट कमेटी के लिये भेजने की बात कहते हैं। आपके लेक्यूना का परिहार करने के लिये ही ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है। यद्यपि इस बिल के उद्देश्य और कारणों में कहीं भी मंत्रियों और उप-मंत्रियों की बात नहीं है, लेकिन सभा सचिवों का नाम लेकर मंत्रियों और उपमंत्रियों के भत्तों को भी बढ़ाया जा रहा है।

श्री बनारसीदास---

इस संशोधन विधेयक का कोई संबंध मंत्रियों और उप-मंत्रियों से नहीं है। इससे उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

आप इसी बिल के खंड २ को पढ़ लीजिये।

श्री बनारसीदास---

चूंकि इसके शीर्षक में यह बात थी इसलिये उनका केवल नाम उसमें रखा गया है। जहां तक दैनिक भत्तों की बात है वह तो (ख) में स्पष्ट दिया हुआ है कि वह केवल पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज के लिये है। यह मंत्रियों और उप-मंत्रियों को एप्लाई नहीं करता। मंत्री डी० ए० चार्ज भी नहीं करते हैं और न आगे करेंगे। यह तो एक लेक्यूना रह गया और अब इसके द्वारा यह किया जा रहा है कि सभा सचिवों को भी माननीय सदस्यों की तरह १५ रुपया दैनिक भत्ता दिया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

इसीलिये मैं कहता हूं कि आप राय लेते हैं लेकिन जो राय आपको मिलती है वह गलत होती है और फिर आपको संशोधन लाने पड़ते हैं। इसलिये आप इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें ताकि बार-बार आपको राय न लेनी पड़े। गलत राय मिलने से लेक्यूना रह जाते हैं और आपको संशोधन लाने पड़ते हैं।

श्री बनारसी दास---

जरा इसके साथ ही आप देखें कि यह जो धारा ४ (२) की जो उपधारा है (क) वह इस प्रकार है कि "इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों के अधीन प्रत्येक सभा सचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा---

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड अफसरों को प्राप्त हो, और (ख) है "दैनिक भत्ता जो मैदानों में १० रुपया तथा पहाड़ों पर १५ रुपये की दर से होगा।" केवल इस (ख) में ही परिवर्तन किया गया है। यह बहुत साफ है।

श्री अधिष्ठाता---

यह संशोधन तो केवल सभा सचिव से ही सम्बन्धित है और अधिनियम में औरों को भी दिया है।

**हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---**

जहां तक धारा ४ की उपधारा (२) का सम्बन्ध है उसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप केवल सभा सचिवों के लिये कहते तब बात दूसरी थी, लेकिन यह तो आपने सबके लिये ही किया है कि १० रुपये के स्थान पर १५ रुपये हो जायं।

**श्री अधिष्ठाता---**

धारा ४(२) में तो केवल सभा सचिवों का ही है।

**श्री बनारसी दास---**

आप देखें कि धारा ३२ में केवल यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिव (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) का अधिनियम, १९५६ की धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ख) दैनिक भत्ता जो १५ रुपये की दर से होगा" और जो मूल अधिनियम में है धारा ४(२) वह यह है कि प्रत्येक सभा सचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड अफसर्स को प्राप्त हो, और (ख) दैनिक भत्ता जो मैदानों में १० रुपये तथा पहाड़ों पर १५ रुपये की दर से होगा। तो यह बिलकुल साफ है कि यह केवल सभा सचिवों के लिये ही होगा।

**श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---**

मान भी लीजिये कि आपका कहना सही है लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि लेक्यूना रहेगा, इसीलिये यह जरूरी है कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय ताकि कोई लेक्यूना न रहे। बार-बार हम यह देखते हैं कि जितने बिल आते हैं उनमें लेक्यूना रह जाते हैं और फिर संशोधन विधेयक लाने पड़ते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि इसको आप प्रवर समिति में भेज दें।

**श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)---**

यह जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत है उसके लिये यह कहना तो ठीक न होगा कि उसका औचित्य नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसका विरोध करूंगा और कारण यह है कि यह जनहित में नहीं है और इसीलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। यह सत्य है कि इस पर २ साल में कुल साढ़े तीन हजार रुपया ही व्यय होने वाला है।

बाहर इसका प्रभाव जनता के ऊपर क्या पड़ने वाला है इसको सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे जो ४ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं उनमें से किसी ने भी माननीय मंत्री जी यह प्रार्थना न की होगी कि हमारे ५ रुपये बढ़ा दीजिये। माननीय मंत्री जी ने यहां पर स्वयं ही कहा है कि अगर कोई काम लेना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। जब पहले सदस्यों का वेतन बढ़ा और उनका भत्ता भी बढ़ा तो जहां-जहां भी हम गये हमें सुनने को मिला कि आप अपनी तो तनख्वाह बढ़ाते जाते हैं और अपनी-अपनी सुविधा के लिये सारी बातें कर लेते हैं लेकिन औरों की ओर कुछ नहीं देखते। यह बात सही है कि हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जो हैं वे कोई विशेष वेतन नहीं पाते पर मंत्री का सम्मान तो पाते ही हैं, लेकिन उन्होंने मांग भी न की होगी कि उनका भत्ता बढ़ा दिया जाय। ३,५०० रुपये की जो रकम का अन्दाजा है, मैं समझता हूं कि यह रकम इतनी है कि यदि कोई सदस्य वैसे ही सहायता के रूप में मोती लाल ट्रस्ट से लेना चाहे तो प्राप्त कर सकता है। तो इस समय इस संशोधन विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही यह कोई उपयुक्त समय है। इस समय कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है

और अगर इसको अब लाया गया तो प्रदेश की जनता यह कहेगी कि यहां विधेयक केवल इसलिये लाया गया है कि ताकि सभा सचिवों को चुनाव के समय दौरा करके रुपया कमाने का अवसर मिल सके। इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे वापस ले लें क्योंकि जनता में इससे गलत प्रभाव पड़ेगा।

*श्री कमला सिंह यादव—

मैं माननीय बनारसी दास जी का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन उनकी बातों से मुझे बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि यह बनिये की दूकान नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, हम यहां पर सन् १९५२ से हैं। आपको याद होगा कि १९५२ में ४ रुपये प्रति दिन के हिसाब से हमको एक कमरे का किराया देना पड़ता था। फिर यह ४७ रुपया १२ आने प्रति व्यक्ति हुआ। जब कि दो आदमियों को एक कमरे में रखा जाता था। बाद में फिर यह कर दिया गया। तो यह आपकी व्यवस्था है। अब आपका कहना है कि एक अनोमली हो गयी। जो भत्ता सदस्यों को मिल रहा है। आप तो डिस्टिंकशन और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सदस्यों, सभा सचिवों, और डिप्टी मिनिस्टरों में। मैं तो कम से कम माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद करता था कि केवल इस समय वे ही बातें आनी चाहिये जो कि सामयिक हों और सही हों। श्रीमन्, आपको भी याद होगा कि एक बार डाक्टर सम्पूर्णानन्द एक कमेटी में बैठे थे, पार्टी मीटिंग हो रही थी तो उस समय अवस्थी जी ने कहा था कि अगर आप चाणक्य हो जायं तो हम बिना वेतन के काम करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं। जो सरकार का पद है वह बड़ा है और आदर्श उनकी ओर से ही उपस्थित हो सकता है। अभी कुछ देर हुई माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जितनी देर तक इस पर बहस होगी उतना ही रुपये का इसमें खर्चा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जिस समय यह विधेयक सदन में आया था उसी समय आपको सोचना चाहिये था। यहां पर यदि एक ही संशोधन आता है तो हमारा तो आपोजीशन में होने के नाते काम है कि हम अपने संशोधन के जरिये अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। यहां पर हम प्रदेश की जनता के जो भाव होते हैं, उनको आपके सामने रख देते हैं पर अगर आप फिर भी कोई काम कर रहे हैं बहुमत के बल पर तो यह आपकी इच्छा है, लेकिन हम जो जनता की भावना होती है उसे अवश्य आपके सामने रख देते हैं। आप इस प्रदेश के ट्रस्टी हैं और ऐसा होने के नाते आप अगर कुर्बानी करेंगे तो हम भी करने के लिये तैयार हैं। आप जो भी चीज करें उसे समयानुकूल करें। जैसा समय हो उसी के मुताबिक काम करें। आपका कहना यह सत्य हो सकता है कि ला में लेक्यूना रह गया है, लेकिन जब यह पास हो कर बाहर जायगा, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसकी वर्डिंग क्या होगी? इन्हीं वजूहात के कारण हम यहां पर अपने विचार इसमें रखते हैं और अपने संशोधन लाते हैं। इस विधेयक में अभी भी खामियां हैं। माननीय मंत्री जी को विचार कर लेना चाहिये कि जो इसमें लेक्यूना है, कहीं वृहद् रूप न धारण कर ले। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे पास कर लीजिये, लेकिन जनता की जो भावनायें हैं, उन्हें हम आपके सामने अवश्य रखेंगे। इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वे इसे वापस ले लें और इसमें जो लेक्यूना है, उनको दूर कर लें ताकि बाद में फिर इसमें कोई संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री बनारसी दास—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह जी ने इस विधेयक के द्वारा जो जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका मैं बड़ा आभारी हूं। उनके विचारों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

जो आपने १५० रुपये देने की बात कही थी अगर उतना धन आपके पास है तो आप बांट सकते हैं। मैं यह कोई पर्सनल आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

श्री बनारसीदास—

मेरी दिक्कत तो यह है कि माननीय कमला सिंह जी की भाषा को ज्यादा अच्छा माननीय कृष्णानन्दजी समझते हैं क्योंकि बड़ों की बातें बड़े ही समझते हैं। बहरहाल, यह जो १५० रुपये की बात कही मैं तो इसको व्यंग नहीं समझा। माननीय कमला सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सभा सचिवों का दैनिक भत्ता बढ़ा दिया जाय। आपका केवल यह सुझाव है कि यह विधेयक अपूर्ण है इसलिये वे चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इसकी परिधि बढ़ा करके इस अधिनियम में जो खामियां हैं, उनको दूर करा लिया जाय। लेकिन जिन चीजों से आप सहमत हैं, आप उनको भी टालना चाहते हैं। आप भी यहां होंगे और यह सदन भी होगा। जिस वक्त उचित समय आयेगा, उस पर विचार किया जायगा। माननीय कमला सिंह जी के जो एमेंडमेंन्ट्स हैं, जो मूल्यवान सुझाव हैं, उन पर अवश्य कार्य किया जायगा, लेकिन इसको करने के लिये जिन बातों से आप सहमत हैं, उनको भी आप टालना चाहते हैं। अधिनियम के पास होने के बाद कानूनी सलाहकारों ने बताया कि इसमें कुछ कमी रह गयी है। इन शब्दों के द्वारा केवल उन्हें व्यक्त किया जा रहा है। इसमें और कुछ नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कमला सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मने श्रीमन्, कई बार कहा कि मैं कोरम का प्रश्न नहीं उठाता और न उठाना चाहता हूं। पर एक बात जरूर चाहता हूं कि अगर कोरम कम्प्लीट न हो तो क्या यह प्रश्न रखा जा सकता है?

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो ७ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनयम, १९५६ की धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(ख) दैनिक भत्ता जो पन्द्रह रुपये की दर से होगा,"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५६ की धारा २ का संशोधन।

श्री कमला सिंह यादव—

श्रीमन्, पहला संशोधन तो मैं अब नहीं रखूंगा, माननीय बनारसी दास के स्वविवेक पर छोड़े देता हूं। मैं इसको पेश नहीं करना चाहता।

दूसरा संशोधन मैं रखना चाहता हूं।

"खंड २ के अन्त में निम्नलिखित उपखंड (ग) रख दिया जाय :

(ग) धारा ५ में किसी विपरीत बात के होते हुए भी विधान मंडल के सदस्यों के परिवारों की भी चिकित्सा सार्वजनिक व्यय पर की जायगी।"

धारा ५ में यह दिया हुआ है कि उनके लिये नहीं है। लेकिन यह चूंकि नया विधेयक है इसके अन्तर्गत कोई भी संशोधन लाया जा सकता है जैसी कि भाषा मैंने रखी है। अगर यह चीज आ जाती है तो कोई गलत बात नहीं होगी। सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया था जब सदस्यों के परिवार संबंधी चिकित्सा के सम्बन्धी में निवेदन किया गया था कि डिलीवरी तक के लिये उनको १५० पये देना पड़ता है और उनका ठीक से उपचार नहीं होता। अभी आपने कहा तराजू के पलड़े को लेकर कि सदस्य सब बराबर हो जायं अगर यह भावना आपकी है तो यह संशोधन उपयुक्त है और इस संशोधन को आपको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, सिद्धान्ततः यह संशोधन मुझे स्वीकार है, लेकिन इसकी कैसे व्यवस्था की जायगी इस पर विचार नहीं किया गया कि विधान मण्डल के जो सदस्य हैं, जिलों में दूर दूर स्थान पर वे रहते हैं और जहां चिकित्सालय नहीं हैं तो वहां क्या इम्प्लीकेशन होगा। जो सुझाव रखे गये थे उनको अमल में लाया भी गया है और चिकित्सा संबंधी सुविधायें सदस्यों के लिये होनी चाहिये उनको हमने माना भी और जो लेकुना था उसको दूर कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं ला रहे हैं। सब सदस्यों से विचार विमर्श करके अगर आवश्यकता हुई तो दुबारा संशोधन ले आयेंगे और मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इसको इस वक्त वापस ले लेंगे।

श्री कमला सिंह यादव—

हर जिले में एम० एल० ए० का स्टाक रहता है लेकिन वह लैप्स करता है। वह जनरल खर्चे में चला जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपरेशन का, डिलीवरी का जो सवाल है उसकी कठिनाई को इसके जरिये हल किया जाय। लेडी डाक्टर की किसी के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल में भी दिक्कत होती है। इस तरह की सुविधा जो सभा सचिव तक ही सीमित रखी गयी हैं मैं चाहता हूं कि इसके जरिये वह सदस्यों तक बढ़ा दी जायं। अगर ऐक्ट के अन्तर्गत यह बात नहीं रखी जाती है तो रूल्स से भी इसे नहीं रखा जा सकता। ऐक्ट के अन्तर्गत अगर इसे ले आते हैं तो रूल्स में भी इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी नौबत न आये कि हमको दवा की जरूरत पड़े, लेकिन यदि जरूरत हो तो दवा हमको मिलनी चाहिये।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले कहा, सिद्धान्तः हम सहमत हैं। यदि रूल्स में व्यवस्था हो सकती है तो विचार करेंगे, लेकिन इस वक्त कोई वचन देना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय कमलासिंह इस वक्त इस संशोधन को वापस लें।

श्री कमलासिंह यादव—

इस आश्वासन पर मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कमलासिंह यादव---

जहां तक डेढ़ सौ की बात है, अगर मंत्री जी के पास काफी रुपया है तो मैं रखने को तैयार हूं। लेकिन मेरी समझ से पसा नहीं है, इसलिये मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीजें पश हों।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

## प्रस्तावना, शीर्षक तथा खन्ड १

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८ १९५६।

### विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(२) यह १ अप्रैल, १९६४ से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १ के उप खंड (२) में "१९६४" के स्थान पर "१९६६' रख दिया जाय।

अगर पिछले दो साल का आप लेते हैं तो बाहर बहुत बड़ा कटाक्ष होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जब यह विधेयक पास हो जाय उसके बाद से ५ रुपये की बढ़ोत्तरी हो। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री बनारसीदास---

मैं माननीय कमलासिंह जी का संशोधन मंजूर करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खण्ड १ के उपखण्ड (२) में "१९६४" के स्थान पर "१९६६" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा-सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६†

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जिस समय हमने यह विधेयक इस सदन में पेश किया था सदस्यों के लिये फ्री कूपन्स का उसमें मंत्री, उपमंत्री और स्पीकर आदि रह गये थे। इसमें हम यही चाहते हैं कि अगर कोई मंत्री आदि सदस्य की हैसियत से जाय तो वह ऐज ए सदस्य रिजर्व कराये। पार्लियामेन्ट में भी ऐसा ही है। अगर सदस्य लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों से जाते हैं तो सदस्य की तरह से एकोमोडेशन रिजर्व कराते हैं। सवाल केवल इतना ही है। उस समय संशोधन भूल से रह गया था। पार्लियामेंन्ट में भी ऐसा ही है। यह एक ऐसा विधेयक है जिससे सभी सदस्य सहमत होंगे और इससे बचत होगी।

(इस समय २ बजकर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर दे।

श्रीमन्, जहां तक रेजीडेंस का सवाल है मिनिस्टर्स को, स्पीकर और चेयरमैन को लखनऊ में एपर्टीनेंट लैंड के साथ फ्री मिलेगा और प्रदेश के दूसरे स्थान में भी यही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में यदि यू० पी० निवास में ये लोग रहते हैं तो इनके लिये फ्री रेजीडेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके अन्तर्गत मंत्रिगण, अध्यक्ष या चेयरमैन फ्री रह सकें। उनको उस समय जैसा कि सदस्यगण पे करते हैं उनको भी उसी तरह से पे करना चाहिये। जिस रूप में यह विधेयक है उसी रूप में लाया जाये तो अब तक जितने मंत्री रहे हैं उनसे चार्ज लेना चाहिये। यह ट्रस्टी हैं इसलिये इसे विशेष रूप से देखना चाहिये और ऐसा कोई संशोधन करना चाहिये जिससे भविष्य में कोई दिक्कत न हो।

अब इसके संशोधन का सवाल है। कूपन देने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिगण जाते हैं उद्घाटन करने के लिये और अगर किसी बरात में भी जाते हैं तो दिखा देते हैं कि फलां जगह मीटिंग होगी इसलिये वह भी पब्लिक परपज में आ जाता है। माननीय बनारसीदास जी यह नहीं समझा सके कि कौन-सा काम होगा जो पब्लिक परपज में नहीं

---

†१४ अप्रैल १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

होगा। अभी तक हमने देखा है कि यह अगर एलेक्शन में भी जाते हैं तो वह भी पब्लिक परपज में आ जाता है। अगर इन कामों के लिये इन्हें कूपन चाहिये तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसीलिये मैंने संशोधन रख दिया है कि १५१ रुपया भत्ता दे दिया जाये। जहां तक कूपन का सवाल है एक भ्रम है कि पब्लिक परपज क्या होगा और प्राइवेट परपज क्या होगा? इसको स्पष्ट कर दिया जाये। अगर पार्टी इंटरेस्ट में प्रयोग करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। इसलिये हम यह संशोधन रख रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मैं तो माननीय माल मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वे जरा इसे स्पष्ट कर दें कि जिस वक्त कोई मंत्री, सभासचिव या दूसरे सज्जन निजी दौरे पर जायेंगे या निजी काम पर जाएंगे—जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कि उनके लिये पहले कूपे होते थे वे अब नहीं होंगे यह ठीक है क्योंकि पहले कूपे के लिये पूरा खर्च उठाना पड़ता था जब कि सीट एक ही होती थी। तो यह स्पष्ट कर दें कि उनके साथ जो दूसरा स्टाफ जाता था वह उस में एक्लूड होता था और उसमें बैठ जाता था....

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

ऐसा नहीं होता था।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मुझको तो यही सूचना है। तो क्या अब भी सारा स्टाफ जायगा या नहीं? जायगा तो उसके बैठने की क्या व्यवस्था होगी? इसे जरा स्पष्ट कर दीजिये।

श्री बनारसीदास---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जाहिर है कि यह जो विधेयक सदन के सामने पेश है, इसके संबंध में कोई किसी का विरोध नहीं है। एक सवाल यह पेश किया गया है कि सार्वजनिक कार्य क्या हैं और व्यक्तिगत कार्य क्या हैं। वैसे तो यह होता था कि 'जहां हजरते सदर बैठ गये वह कुर्सी है सदारत, तो सार्वजनिक कार्य क्या हैं और व्यक्तिगत कार्य क्या हैं, इनके मध्य कोई रेखा खींचना बड़ा मुश्किल है। इसके लिये तो मंत्री में स्वयं निर्णय कर सकते हैं। जब यह विधेयक पास हो जाएगा तो मायर जी जब पूछेंगे कि उन्होंने सार्वजनिक कार्यों पर कितना खर्चा किया और व्यक्तिगत कार्यों पर कितना खर्च किया यह बताया जाएगा, तो यह चीज स्पष्ट हो जायगी। जैसा मायर साहब ने पूछा कि चपरासी वगैरह जाएगा या नहीं। तो जब तक मिनिस्टर है, उनके साथ चपरासी और शैडो वगैरह जाएगा ही। कई बार तो मैंने लिखकर दिया कि मुझे शैडो की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि हम तो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, इसे आपको रखना ही चाहिये। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेन्ट में नहीं हैं, किन्तु उनके लिये भी शैडो की व्यवस्था होती है। मेरी इस बारे में कोई गलत मंशा नहीं है। इसलिये मैंने कूपन के लिये कहा है कि यह मिनिस्टर इन्टाइटिल्ड हैं। शैडो और चपरासी उसके अन्दर बैठ जाते हैं। कमलासिंह जी कहते हैं---फिर जब अफसर आयेंगे तो नये सिरे से विचार होगा। लेकिन मूल प्रस्ताव में जो खामी रह गई थी उसे हम पूरा करना चाहते हैं। इसमें आज तक कोई कठिनाई नहीं हुई। इससे हम भी कूपन इस्तेमाल कर सकेंगे।

यू० पी० निवास के बारे में यह कहा गया कि कोई भी मिनिस्टर हमारे यहां आये तो वह तो हमारा गेस्ट होगा। वे कहीं भी गेस्ट हो सकते हैं। मिनिस्टर कोई डी०ए० नहीं चार्ज करता है। मान लीजिये यदि बाम्बे सार्वजनिक कार्य के लिये मिनिस्टर को जाना है तो वह डी० ए० चार्ज नहीं करेंगे। यह नहीं कि दो टिकट लेंगे। जहां नियमों में सुधार

की जरूरत है वहां पर उनमें संशोधन होंगे। लेकिन यह काम इस चुनाव की गर्मी के समय नहीं उसके बाद में होगा। इस वक्त तो जो छोटी सी बात है, उस पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये इसे वहीं तक सीमित रखें और इसे इस समय प्रवर समिति में भेजने का आग्रह न करें और संशोधन को वापस ले लें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

२५ प्रतिशत जो आपने अधिभार लगान पर बढ़ाया है वह भी एक लफ्ज में ही बढ़ा दिया है।

श्री कमला सिंह यादव—

जो मैंने अर्ज किया था वह समस्या अब भी है। अभी यह बात मंत्री जी के भाषण से साफ नहीं हुई है कि कब यह प्राइवेट कैपेसिटी में होंगे और कब यह पब्लिक कैपेसिटी में होंगे। यह वह खुद भी नहीं बता सके।

श्री बनारसीदास—

इसका निर्णय तो वह मंत्री स्वयं करेगा। कोई अन्य इसका निर्णय नहीं करेगा। यह बात तो वह ऐसी कह रहे हैं कि कब वह पिता होगा, कब वह पति होगा और कब वह पुत्र होगा। यह तो जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार मंत्री स्वयं निर्णय करेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह निर्णय तो कैकेयी ने दशरथ से जब वर मांगा था राम के बन जाने के लिये तो उस समय राम ने स्वयं तय किया था कि किस वेश में उसको बन जाना है। वह तापस वेश में जाकर अपना प्रण पूरा किये थे। अगर मंत्री-विधायक पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है तो कानून के द्वारा प्रतिबन्ध लगाये यह सरकार का काम है। जब चरित्र का प्रतिबन्ध विधायक नहीं मानता तो कानून के द्वारा प्रतिबन्ध लगाये। इंडस्ट्री कमेटी में बैठकर विधायक कर्जा ले लेता था और फिर अपने घर चला जाता था। अब उसके ऊपर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। तो इस पर भी प्रतिबन्ध लगाये। यह बड़ा नैतिक प्रश्न है। मंत्री को स्वयं इस बात को देखना चाहिये कि वह ४ सीट वाले में जाय या ६ सीट वाले में जाय या एक ही लेकर चले। यह प्रतिबन्ध तो मंत्री को स्वयं ही लगाना चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह जो विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है यह पास करने के लायक है, किन्तु कूपन सिस्टम के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं। जो कूपन सदस्यों को दिये गये हैं उनमें सभी तरह के कूपन हैं परन्तु सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि जैसे जनता या शटिल या पैसेंजर गाड़ी है उनमें पहला दर्जा नहीं होता है उनमें भी पहली क्लास के टिकट लेकर चलना पड़ता है। यह व्यर्थ में ही उनको खर्च करना पड़ता है या कई दफा ऐसा होता है तीसरे दरजे में चलना पड़ता है कुछ मित्रों की वजह से तो यह व्यवस्था कूपनों में होनी चाहिये कि यात्रा करते समय हम जिस दरजे का टिकट लेना चाहें ले सकें।

दूसरी बात यह है कि टिकट लेने के लिये एक खिड़की है। कई बार होता है कि समय की कमी के कारण टिकट लेने में बड़ी असुविधा हो जाती है। कूपन लिये हुए खड़े हैं टिकट नहीं मिलता है। तो ऐसी सुविधा होनी चाहिये कि कंडक्टर से टिकट मिल सके। जब तक यह नियम में प्रोवाइड नहीं होगा यह सुविधा नहीं होगी, यहां से उस के लिये आप रेकमेंड कर सकते हैं। इस के अलावा कूपन्स पर काफी पैसा सरकार का खर्च होता है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि रोडवेज का पास फ्री कर दिया जाय। ऐसा होने से काफी बचत हो सकती है। सदस्यगण या तो रोडवेज में चलेंगे अथवा ट्रेन में। रोडवेज का पास होने से वह पैसा प्रदेश का प्रदेश में ही रहेगा, केंद्र को नहीं जायेगा। अगर लखनऊ

[श्री रघुराज सिंह]

से सौ, मील की परिधि के लिये ही रोडवेज के पास की व्यवस्था हो जाय तो सरकार की काफी बचत हो सकती है और हम लोगों का समय भी बच सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये।

श्री बनारसीदास---

जो प्रश्न माननीय रक्षपाल जी ने उठाये हैं वह पहले से हमारी नोटिस में हैं और उन के लिए काफी लिखा-पढ़ी की गयी। हम चाहते थे कि एम०पीज० की तरह से ही पास जारी कर दिये जायं। लेकिन उनका कहना है कि रेलवे अधिनियम में कूपन्स की व्यवस्था है, पास की व्यवस्था नहीं की जा सकती। हम यह भी चाहते थे कि असेम्बली के चलने के समय यहां पर रिजर्वेशन की व्यवस्था हो जाय। इसको उन्होंने थोड़ा सा मान लिया है। इस के अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर जाने पर उत्तर प्रदेश के बाहर का पैसा देने से रिजर्वेशन हो जाता है। इस की भी व्यवस्था हो गयी है दिल्ली जाने के लिये गाजियाबाद तक आप के कूपन चल जायंगे, उसके बाद का पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमको चूंकि केंद्रीय सरकार की परिधि में जा कर नियम बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिये इन प्रश्नों पर उनसे लिखा-पढ़ी हो रही है। यहां बुकिंग आफिस की व्यवस्था हो गयी है और आगे ध्यान रखा जायगा कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें आपको मुहैया करायी जायं। लेकिन जो तब्दीली हम नहीं कर सकते उसके लिये हम विवश हैं।

बस के लिए हम नियम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिये आप अलग से सवाल उठाइये। अभी उस पर मैंने अथवा मंत्रि-परिषद् ने विचार नहीं किया है। अगर आप लोगों की राय होगी तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

बिल से तो हम परे चले गये। उसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि अगर कूपन्स में एक और ५ के कम और ५० और १०० के अधिक कूपन्स ईश्यू कर दिये जायं तो सुविधा रहेगी। एक एक के कूपन देने पर खिड़की पर वह मुंह चिढ़ाते हैं।

श्री बनारसी दास---

हम उनके लिये लिख चुके हैं। इसमें संशोधन होता चला जा रहा है। मैं जानता हूं कि उनमें कुछ नुकसान भी होता है।

श्री जे०पी० मिश्रा (जिला हरदोई)—

६ महीने की मियाद के बाद अगर कूपन इस्तेमाल नहीं होते, तो वह नुकसान भी आप को देना पड़ता है, इस रोक को हटा देना चाहिये।

श्री बनारसी दास—

मेरी प्रार्थना है कि ऐसे कूपन्स सदस्यगण सचिवालय में वापस कर दिया करें अगर कूपन खो जायं तो नुकसान हम को देना पड़ता है।

श्री कमलासिंह यादव---

एक दिक्कत हमारी है कि माननीय मंत्रियों को तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन मारा जायगा गरीब। अगर मंत्री जी प्राइवेट कैपेसिटी में जाते हैं तो उनका शैडो तो अपना टी०ए० वसूल कर लेगा, लेकिन चपरासी की क्या हालत होगी? अगर मंत्री जी ने उसका किराया नहीं दिया तो वह बेचारा मारा जायगा। इसलिए प्राइवेट कैपेसिटी में जब मंत्री जी जायं तो चपरासी को खर्चा देकर ले जायं, उसे अपने पास से न देना पड़े। अगर यह आ जाय तो हमें एतराज नहीं होगा।

श्री बनारसीदास—

मिनिस्टर चाहे ड्यूटी पर जायं चाहे प्राइवेटली, लेकिन दूसरे लोग जो जाते हैं वह तो ड्यूटी पर लगे होते हैं। तो कमला सिंह जी को यह आशंका बेकार हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २-३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के बीच में निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"१-(क) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो उपधारा (१) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो, सार्वजनिक कार्यों के संबंध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिये, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक से, प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा, और"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल १४ दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ तथा ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## प्रस्तावना, शीर्षक तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ को आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२२, १९५२।

### विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग मान जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन (१९६२--६३)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अपने देश में सर्विसेज के लिये दो माध्यम हैं। केन्द्रीय सरकार के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और हर राज्य के लिये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। कहीं कहीं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। उसके लिये संविधान में जो प्राविधान किया गया है उसकी मंशा यही है कि जो रिक्रूटमेंट हो वह निष्पक्ष हो, योग्यता के आधार पर हो, और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न बरता जाय और वह राज्य सरकार के नियन्त्रण के बाहर हो।

मान्यवर, पिछले वर्षों में हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में देखा है कि वही उसके सदस्य बनाये जाते हैं जो किसी विशेष राजनीतिक दल से अपना सम्बन्ध रखते हैं, यानी कांग्रेस से उनका संबंध है, ऐसी मेरी सूचना है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं करना चाहता। उसमें बाहरी लोग भी रखे गये हैं, सर्विसेज के लोग भी रखे गये हैं।, उनकी योग्यता भी अच्छी रही होगी, इन्टेग्रेटी भी ठीक रही होगी, अभी सरकार ने उसमें जो एक अनुसूचित जाति के मेम्बर को रखने की घोषणा की है वह भी प्रशंसा की चीज है, मगर उनकी नियुक्ति की जो विधि है वह बहुत गलत है। यह जो नीति है कि राजनीतिक दल के लोग इसमें रखे जायं यह मैं ठीक नहीं समझता। संविधान में यह भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य वहां से हटने पर सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। इसका एक कारण है और वह यह है कि वे सरकार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न कर सकें और वे सरकार के दबाव से दूर रहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान में एक चीज और है। जहां भी डिसिप्लीनरी ऐक्शन या रिक्रूटमेंट के लिये नियम आदि बनाने की बात है, वहां पब्लिक सर्विस कमीशन को ही माध्यम माना गया है और उसमें यह है कि यह कमीशन सरकार को अपनी संस्तुति करेगा और सरकार उसको स्वीकार करेगी और उसी के आधार पर नियुक्तियां करेगी। लेकिन नियुक्ति उसके आधार पर नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो क्यों नहीं संस्तुति मानते? इसके लिये और प्राविधान बनाया गया। कान्स्टीट्यूशन की धारा ३२३ में यह रक्खा गया है कि जो संस्तुति पब्लिक सर्विस कमीशन करेगी वह किसी कारण से अगर सरकार नहीं मानता है तो यह सदन के सामने रक्खा जायेगा और सदन उस पर विचार करेगा कि सरकार ने जिन जिन विषयों में पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्तुतियों को नहीं माना उनके कारण क्या थे, उनका औचित्य था या नहीं था, यही आज विषय है जिस पर हम विचार करने के लिये बैठे हैं।

पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जब से लोक सेवा आयोग की नियुक्ति इस राज्य में हुई तब से हर वर्ष इसकी रिपोर्ट मिलती है और उसमें हम शिकायतें देखते हैं। अब विचार करने का विषय यह हो जाता है कि उदाहरणार्थ सन् १९५८-५९ या १९६०-६१ में कुछ भी लोग सेवा आयोग ने कहा, क्या सरकार ने उन पर अमल किया और क्या सरकार के विचार में परिवर्तन आया? हम तो ऐसा देखते हैं कि १९६२-६३ की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सरकार ने अपने विचार में कोई परिवर्तन नहीं किया।

अब हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं इस पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वतन्त्रता, इसमें विश्वास और इसमें तरफदारी की कमी, नियुक्ति का आधार और जो दल इस वक्त शासन में हैं, इन सारी बातों का समावेश कहां तक हुआ है उन पर विचार करना है। सरकार ने एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रक्खी, वह इस वार्षिक प्रतिवेदन के साथ है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं और कुछ कहने के पहिले कि पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर अपनाया गया जो रुख है किन्हीं-किन्हीं विषयों में, वह हर विभागाध्यक्षों को भी इस बात के लिये प्रोत्साहित करता है कि वे मनमानी करें। पब्लिक सर्विस कमीशन तो ऐसा बाडी बनी है जो स्वयं सोच विचार कर निर्णय लेती होगी। फिर भी सरकार गम्भीर विषयों पर क्यों उसकी उपेक्षा करती है? उसकी रिपोर्ट के अनुसार मैं यहां केवल छः उदाहरण रखता हूं। मुझे दुःख इस बात का भी है कि केवल ६ ही उदाहरण हैं। एक बात मैं देर तक सोचता रहा कि जिस व्यक्ति ने मेमोरेन्डम बनाया उसने क्या इस किताब को पढ़ा होगा या नहीं। अगर उसने पढ़ा होता तो उसको ज्ञान होता कि हर पेज में शिकायत हैं जिसका कि सरकार को ज्ञान ही नहीं है। यह भी राजनीतिक दृष्टि से किया जाता है। इतनी सर्विसेज का उसमें रेकरूटमेन्ट होता है सारे प्रान्त में, परन्तु क्या शिकायतें ही पेश करने का अवसर मिला था? यह तो कहने के लिये मेमोरेन्डम दे दिया गया है इसका मुझे दुःख है।

पहला विषय मैं यह लेता हूं कि सरकार कैसे निर्णय लेती है। यह विचार करने की बात है कि सरकार का रुख पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर कैसा होता है और सरकार कैसा पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। १९६० में कमीशन ने सूचना अधिकारियों के ५१ पदों के लिये और अतिरिक्त सूचना अधिकारियों के १३ पदों के लिये संस्तुति की और उनकी नियुक्ति के लिये संस्तुति की। यह पत्र व्यवहार होता रहा परन्तु उनकी नियुक्ति नहीं की गई। प्रतिवेदनाधीन वर्ष नियुक्ति की संस्तुति लोक सेवा आयोग ने की। इसमें एक बात विचारने की है कि १८ ऐसे आदमी जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुण के आधार पर चुना था उनको सरकार ने नहीं लिया और सरकार ने कहा कि हमने एक हाई पावर कमेटी मुकर्रर की है और उसने यह निर्णय किया कि जिनको हम नहीं ले रहे हैं वे योग्य नहीं हैं। बल्कि उनसे योग्य वे व्यक्ति हैं जो इतने दिनों से विभाग में कार्य कर रहे हैं, वह इस विभाग के कार्यों के लिये ट्रेन्ड हैं और इस प्रकार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भेजे गये लोगों को नहीं लिया गया। कारण आपने यह दिया कि जनहित में ऐसा किया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बात को

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

स्वीकार नहीं किया। जब आप बड़ी बड़ी पोस्टों के लिये चुनाव से लेते हैं तो इस पोस्ट के लिये क्यों आपने ऐसा नहीं किया? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि पोस्टों को मेरिट के आधार पर लेते हैं फिर इसमें क्यों नहीं किया गया? इसमें आप ने पक्षपात क्यों बरता? इसका कारण यह है कि यह विभाग सरकार का हाथ पैर बना हुआ है। सूचना विभाग की गड़बड़ियां अतुलनीय हैं। सरकार ऐसे व्यक्तियों को रखना अपना कर्तव्य समझती है और रखती है जो उसका प्रचार करते हैं, सरकार के कहने के मुताबिक कार्य करते हैं। नायर साहब का एलेक्शन हो रहा था। एक सूचना अधिकारी वहां बैठा हुआ था जो मुझे जानता नहीं था। यहां से बार-बार खबरें मांगी जा रही थीं। वह कह रहा था कि इन पोलिंग स्टेशनों पर तो कांग्रेस पार्टी की हार हो गयी है, यह निश्चित है। मैंने कहा कि यह खबर भी सरकार को दे दो। उसने कहा कि यह अशुभ खबर क्यों दे दूं। मैंने कहा कि तुम तो सूचना अधिकारी हो, शुभ और अशुभ से तुमको क्या मतलब है? उसने कहा कि चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, मैं तो पहले अपना नौकरी को देखूंगा, फिर दूसरी बात देखूंगा। दूसरे डिप्टी कलेक्टर जो वहां बैठे हुए थे, वे मुझे जानते थे, जब मैं वहां से चला गया तो उन्होंने उसको बताया। इस प्रकार का आप का इन्फार्मेशन विभाग है। इसलिये आप इन्फार्मेशन विभाग पर कब्जा किये रखना चाहते हैं ताकि आप का प्रचार अच्छी प्रकार से हो। इसलिये जब बड़ी बड़ी तनख्वाह वालों को आप पब्लिक सर्विस कमीशन के मार्फत लेते हैं और आप के काम में गड़बड़ी नहीं होती तो इनको आप ने क्यों नहीं लिया? खुले बाजार से मेरिट के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को न लेना सरकार की मनमानी है। जवाब तो वकील की तरह से हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन वह चीज हृदय में नहीं उतर सकती।

अब दूसरा जवाब सुन लीजिये। यह अपीलों के डिस्पोजल और ऐक्शन के बारे में है। अध्याय १३ का पैरा ८ आप देखें। सरकार ने बताया कि एक व्यक्ति के खिलाफ अनुशासन की कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जब केस गया तो उसने भी कहा कि कड़ा अपराध किया है। जो रुपया उसने खाया है उसको ले लिया जाय। इसमें सरकार का ५,५८६ रुपये का नुकसान हुआ था। कहां तो उसे रुपया वसूल करने की और बरखास्त करने की बात थी, लेकिन इस बीच न जाने क्या हुआ कि १९५९ के बाद १९६१ में सरकार ने फिर पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा कि इसको केवल जुरमाना करके छोड़ दिया जाय। पब्लिक सर्विस कमीशन जुर्म की महत्ता को देखते हुए इस पर राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि इस पर आरोप बहुत गम्भीर हैं, इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिये। अगर सारी बातें ही सरकार की इच्छा पर ही निर्भर हैं तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन बेकार है। जहां आपका और कमीशन का हित टकराव करता है वहां आप जो चाहें वह करते हैं और कोई निष्पक्षता का प्रमाण आप नहीं देते, जहां आप का स्वार्थ टकराता है आप कमीशन की बात नहीं मानते। आप एक स्तर से जरा ऊपर उठें तो आप कमीशन की बात मानें और वह एक प्रमाण हो, लेकिन आप वह भी नहीं मानते। आप ने कमीशन की रिपोर्ट को नजरअन्दाज किया और उन पर केवल २००० रुपया जुर्माना कर के छोड़ दिया जब कि वह सरकार के ५५८६ रुपए खा चुके थे। यह जुर्माना किसी तरह भी इस सिफारिश के बाद विवेक में आने वाली बात नहीं है। उसको न मानने में कोई औचित्य नहीं था।

चैप्टर ८ में एक जगह एक प्रकरण में कहा गया कि एक व्यक्ति का वेतन कम से कम स्टेज तक काट दिया जाय। ऐसी सिफारिश सन् १९६१ में कमीशन ने सरकार से की कि आरोप बहुत गम्भीर है और इस कारण से दंड भी कड़ा होना चाहिये और उन्होंने कहा कि इसको डिस्मिस करना चाहिये और फौरन उन को शो काज नोटिस दिया जाना चाहिये लेकिन इस मामले को भी सरकार ने खूब झुलाया और बरसों लगा दिया। आप जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जिस मामले में कुछ करना न हो उस को लटका दो बस समय बीतने पर उसकी अहमियत खत्म हो जाती है और हर आदमी उस की तरफ से इनडिफरेंट

हो जाता है और शहादत वगैरह भी फिर ६ साल बीतने पर नहीं मिल सकती। इस केस को सरकार ने ६ साल तक टाला और बाद में कह दिया कि अब तो यह मामला ६ साल पुराना हो गया है। लेकिन उस को ६ साल पुराना बनाने की जिम्मेदारी किस की है? आप ने वक्त से ऐक्शन क्यों नहीं लिया? न शो काज नोटिस दिया न डिस्मिस किया और न उसको स्केल डाउन किया। यह क्या तरीका है कि बाद में कहा जाय कि हम उस की पेन्शन वेतन थोड़ा घटा देंगे। जब किसी को सजा दी जाती है तो उस के कुछ सिद्धान्त होते हैं। पहली बात तो यह है कि जो अपराध उसने किया है वह उसके लिये कुछ सजा भुगते। दूसरे जब उस को सजा दी जाती है तो वह दूसरों के लिए एक नजीर होती है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिये, जब एक पब्लिक सर्वेन्ट्स को ऐसा पवित्र सेवा का काम सौंपा गया तो वह उस में इस तरह का अपराध न करे, लेकिन जब गम्भीर आरापों के बाद और कमीशन के सुझाव के बाद भी ऐसा आदमी ६ साल तक मजा करता है तो उसका बहुत बुरा असर सर्विसेज पर पड़ता है। आखिर में जब गवर्नर साहब का आदेश पहुंचा तो उसका भी नतीजा यह हुआ कि केवल १ मास १३ दिन का ही उनका वेतन घटाया गया जब कि कहा गया था कि उनको नोटिस देकर पेन्शन भी कम की जाय और जब्त की जाय। जब इस तरह के व्यक्तियों को प्रश्रय मिलता है तो केवल यही समझा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति में मंत्रिमंडल या सरकार का कोई ऐसा सदस्य है जो दिलचस्पी रखता है या उन का कोई वह रिश्तेदार है या वह किसी मंत्री से सम्बन्धित है जिसमें वह दिलचस्पी रखते हैं। ६ साल की देरी इसी स्थिति पर संकेत करती है वर्ना कोई कारण नहीं है कि कमीशन की सिफारिश का इस तरह से ठुकराया जाय।

एक और आरोप चेप्टर ८ का ही मैं और बताता हूं कि एक अधिकारी एक लड़की को लेकर गायब हुये और कहा गया कि उसको भगाने में कोई और भी शामिल था। कानून तो हर चीज की टेकनीक को देखता है। अदालत ने उन्हें किसी संशय पर यह कह दिया कि संदेहात्मक मालूम होता है। आपको डिसिप्लिनरी डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्णय को नहीं माना और बात आप ने मानी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस की और जिलाधीश की। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसी को आप ने मान लिया, लेकिन एक निष्पक्ष संस्था की बात नहीं मानी। सब जानते हैं कि जिलाधीश और इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस सरकार के नेताओं के इशारों पर नाचते हैं, उन की रिपोर्ट तो मान लो, लेकिन एक निष्पक्ष आयोग की संस्तुति नहीं मानी। आखिर किन परिस्थितियों में आप मानेंगे जब इतनी गम्भीर परिस्थितियों में आप नहीं मानते हैं?

अध्याय १४ के पैरा ६ में एक तहसीलदार साहब के बारे में दिया हुआ है कि तहसीलदार कहीं दौरे पर थे, किसी जगह गिरे और मर गए। उन को ऐक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन देने की बात आयी। उन की बीबी ने रिपोर्ट की। इस में डिसिप्लिनरी ऐक्शन की बात नहीं। मैं मानता हूं कि जहां दया की बात हो वहां सरकार अगर अपनी मर्जी ऐक्सरसाइज करे तो किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जो लोक सेवा आयोग ने एक आधार आप के सामने रख दिया, कानून किसी मर्सी को नहीं जानता, यदि १५ वर्ष की कोई युवती है और उस के पति ने अगर ४ कत्ल कर दिए हों तो कानून यह नहीं सोचता कि इस को फांसी की सजा न दी जाय। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परिस्थिति यही है कि जहां दया सामने आ जाती है वहां इस्तेमाल करें। लेकिन जहां पब्लिक कमीशन ने रिपोर्ट किया कि दया दिखाने का अवसर नहीं है वहां आप ने दया दिखायी। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का साथ देते हुए कह सकता हूं कि यह गलती ऐसी हो सकती है कि जो क्षम्य हो। लेकिन जो ऊपर मैंने कहा है उन में कोई ऐसा कारण नहीं जो उन को क्षम्य बना सके।

जो मेमोरेन्डम दो पेज का सरकार ने दिया है उस में मेरा थोड़ा सा मतभेद है। एक अनुसूचित जाति के सज्जन थे जिन्होंने जुडिशियल सर्विस में सफलता प्राप्त की और उस के बाद

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मेडिकल बोर्ड में जो विजन टेस्ट होता है उस में वह पास नहीं हुए। उन को बहुत सा अवसर दिया गया, लेकिन वह पास नहीं हो सके। बाद को उन्होंने रेप्रेजेन्टेशन दिया। अनेकों रूलिंग हैं, मैं उनका हवाला नहीं देना चाहता, उन रूलिंग्स को देख कर कमीशन ने राय दी कि उन्हें सेवा से मुक्त करना चाहिए, उन का कन्फर्मेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने दूसरा अर्थ लगाया और उन को नियुक्त कर दिया और उन का कनफरमेशन भी कर दिया। आज अनुसूचित जाति में ऐसे आदमी मिल सकते हैं जो अच्छे हो सकते हैं और अगर इम्तिहान का अवसर दिया जाय तो अनुसूचित जाति के दूसरे लोग आ सकते हैं। लेकिन जो इनकंपेबिल्स हैं वे जुडिशियल सर्विस में क्या काम कर सकते हैं? जिनका विजन ही ठीक न हो वह क्या रूलिंग पढ़ सकते हैं जो कि वकील उन के सामने पेश करते हैं? बीसों रूलिंग एक वकील किसी केस में कोर्ट के पढ़ने के लिए रखता है, लेकिन जब उन का विजन ही ठीक नहीं है तो वह क्या उन को पढ़ सकेंगे और कोई ठीक फैसला दे सकेंगे। जाहिर है कि ऐसा आदमी अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकेगा, बल्कि किसी तीसरे की बात मान कर अपना फैसला देगा। इसलिए ऐसी हालत में हमें देखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए उस व्यक्ति की नियुक्ति कर रहे हैं उस कार्य के लिए उस में क्षमता है कि नहीं और उस को योग्यतापूर्वक कर पायेगा कि नहीं। अगर नहीं कर पायगा तो कोई कंसीडरेशन हमारे सामने नहीं आएगा। केवल एक कंसीडरेशन हमारे सामने अनुसूचित जाति का है उसके लिए फिर से इम्तिहान कर के हम मौका दे सकते हैं ताकि कोई दूसरा कैन्डीडेट डिजर्विंग आयें। इस सिफारिश को भी टाल दिया। छः उदाहरण जो सरकार ने दिए हैं मेरे मन में शंका है कि इसमें सरकार का हाथ है क्योंकि वह मनमानी करती है।

अगर शर्मा जी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो दो ही चार पृष्ठ ऐसे निकलेंगे जिनमें सरकार की आलोचना न की गयी हो। पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बाडी है। व्यक्तियों के चुनाव के सम्बन्ध में दो चार उदाहरण मैं देना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि चुनाव के सम्बन्ध में जब पब्लिक सर्विस कमीशन सम्बन्धित विभाग से संस्तुति करता है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाय तो नियम यह है कि संस्तुति पाने के दो महीने के बाद उसे सूचना दे दी जाय, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं कि ६-६ महीने तथा साल-साल भर तक पब्लिक सर्विस कमीशन को जवाब नहीं मिला है। कारण यही है कि वह आपके मन के आदमी को नियुक्त नहीं करता है।

यह सरकार पब्लिक मनी के साथ किस प्रकार मखौल करती है इसके भी उदाहरण मैं दे दूं। १५ मामलों में विज्ञापन किया गया और लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। लेकिन बाद में उस विज्ञापन को कैंसिल कर दिया गया और दूसरी योग्यतायें दे कर फिर ऐड-वर्टाइज किया गया। जब यह कैंसिलेशन हुआ तो जिन अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र दिए थे उन पर क्या गुजरी? पब्लिक मनी को वेस्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया? किसने एक स्टैंडर्ड नियुक्त करके फिर यह लिखा कि इस स्टैंडर्ड का आदमी नहीं चाहिए और इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना चाहिए? उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? नहीं की तो फिर विभागीय अध्यक्ष ने मन्त्री के कहने पर कार्य किया और स्वविवेक से नहीं किया। इसमें हमारी सरकार का ही दोष है।

नौ मामले ऐसे हैं जिनमें दोबारा विज्ञापन किया गया। शायद किसी विशेष रिश्तेदार की दरख्वास्त समय पर नहीं पहुंची वह मेरा अनुमान है। आखिर ऐसा क्यों होता है?

तीसरी बात यह है कि ८५२ पदों के लिए बड़ी संख्या में साक्षात्कार हुआ और एक भी आदमी को फिट नहीं पाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि टेक्निशियन्स की कमी है। इसके मानी यह हैं कि योग्य आदमी उस विभाग में आए नहीं। इतने कम वेतन उस

विभाग ने रखे होंगे कि दूसरे महकमों में योग्य व्यक्ति चले गये। आपने टेक्निशियन्स की लिस्ट बनाने का भी कोई प्राविधान नहीं किया जैसा कि अमेरिका में होता है। आपके एम्प्लायमेंट ब्यूरो के पास आंकड़े क्यों नहीं हैं? ऐसी गलती क्यों हुई और इतना रुपया क्यों खर्च हुआ?

दूसरी बात यह कहनी थी कि ५७८ पदों के लिए प्रतीक्षा की जा रही है विभागीय अधिकारियों से कि श्रीमन् ने उनको नियुक्ति की या नहीं, मैंने अपना काम समाप्त किया नियम के अनुसार, मुझे बताइए। आज तक पता नहीं। ईयर एंड रिपोर्ट तक उनको मालूम नहीं हुआ। क्यों? अगर डर होता तो बताते। यह निरन्तर हर दूसरे, तीसरे में आप इस बात की शिकायत देखेंगे। विभागीय अध्यक्ष बिलकुल इसकी जांच नहीं करते। टेक्निशियन्स के सेलेक्शन के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहूंगा। उनका जब सेलेक्शन होता है और पब्लिक सर्विस कमीशन बैठता है उनके सेलेक्शन के लिए और सरकार से अनुरोध करता है कि किसी एक्सपर्ट को भेजिए तो कोई एक्सपर्ट नहीं जाता, ऐसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की शिकायत है। सरकार ने कुछ नहीं कहा कि भविष्य में देखेंगे। क्यों? अपने किसी जान पहचानी आदमी को भेज देते होंगे जो किसी मन्त्री की बात कहे। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात क्यों नहीं मानी जाती? एक उदाहरण मैं देता हूं। १९६० में बाटनी और ज्यूलोजी की दो पोस्ट्स के लिए ऐडवर्टिजमेंट हुआ और उसमें कहा गया कि ५०० से १,२०० रुपए तक को तनख्वाह दी जायगी। दो आदमियों की नियुक्ति हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन ने दो आदमियों का नाम रेकमेंड किया उस ग्रेड में जो ऐडवर्टाइज हुआ था। कुछ समय बाद सरकार कहती है कि ज्यूलोजी वाले को तो इतना देंगे, लेकिन बोटनी वाले की उतनी तनख्वाह नहीं देंगे, कम देंगे। उन्होंने लिखा कि एक माप दण्ड से दोनों को मापिए। पहली गलती तो यह कि आपने ऐडवर्टाइज किया और जो आधार रखा उसी आधार पर नियुक्ति की तो फिर हमारे पास न्याय का क्या आधार रह जाता है? फिर जब आपने नियुक्ति की तो दोनों का एक स्केल रखिए। एक को उसी ग्रेड में और दूसरे को कम ग्रेड में क्यों रख रहे हैं? फेवरिटिज्म का यह बहुत बड़ा नमूना है।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ नियुक्तियां बाई प्रोमोशन होती हैं। इसमें सरकार का बड़ा मायाजाल है। इसमें एक उदाहरण दे दूं। जैसे ५५ साल का मामला है। आपका कहना है कि जिसकी एंट्रीज एबव ऐवरेज होंगी वह ५८ साल तक जायगा। लेकिन इसका जज कौन होगा? विभागीय अध्यक्ष होगा। आज की परिस्थितियों में उसी की एंट्रीज बढ़िया मानी जायंगी जो चौबीसों घंटे उसके बच्चे खिलायें। आप क्यों नहीं विवेक से काम लेते? एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। सहायक आबकारी आयुक्त की पदोन्नति चुनाव द्वारा नियमित थी। एक असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जो नियम के अनुसार थी। लेकिन शासन ने दूसरे व्यक्ति की पुष्टीकरण के आदेश कर दिये कि इसको कन्फर्म कर दिया जाय। तब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि इसको हम नहीं मानते। लेकिन उसको रौंद डाला चूंकि कोई विशेष व्यक्ति था और कहा कि बहुत दिनों से काम करता आ रहा है, ट्रेन्ड है। अगर इसी आधार को मानना है तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जरूरत क्या है? जो इससे बचें उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्ति करवाइए।

एक और बड़ा मायाजाल रेगुलराइजेशन आफ एप्वाइन्टमेंट्स में है। १९६२-६३ में २,२६७ कर्मचारियों की नियुक्ति उपयुक्तता एक वर्ष या उससे अधिक काल की अस्थायी नियुक्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जांची गयी। १,०१० का निर्णय हुआ और बाकी का फैसला आज तक नहीं हुआ क्योंकि कैरेक्टर रोल्स उनके पास नहीं पहुंचे। इनके भेजने में इतनी देर लगती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह सेवा आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है। सरकार ने इसका खयाल क्यों नहीं किया? सरकार को इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों का समय नष्ट होता है और जनता के रुपए का अपव्यय होता है, लेकिन सरकार परवाह नहीं करती है।

अब एजूकेशन डिपार्टमेंट के एक दो नमूने देख लीजिए। एजूकेशन डिपार्टमेंट में एक आई० ए० एस० हैं, जो उनकी एक मर्तबा तारीफ कर दे वे दुनिया भर की तारीफ कर देते हैं।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

दो कर्मचारियों की मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गई। इस रिपोर्ट के पैरा ९ में ४ तथा ५ में लिखा है कि न तो वरीयता के आधार पर और न श्रेष्ठता के ही आधार पर ये नियुक्तियां की गईं। मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गईं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि ऐसा क्यों किया गया? हमें कैसे सन्तोष हो और हम कैसे पुष्टि करें? लेकिन सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की और वे काम करते रहे। दूसरा मामला यह है कि एक अध्यापक की नियुक्ति १९५३ में की गई और १९६२ तक पब्लिक सर्विस कमीशन का अनुमोदन नहीं लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन सहमत नहीं हुआ। ९ वर्ष तक सरकार क्या करती रही? उस विभागीय अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया? क्या वह उनका रिश्तेदार था या मन्त्री जी से सम्बन्धित था या क्या खास बात थी?

हमने पहले ही कह दिया है कि जितनी बात हम कहते हैं वह सत्य ही हों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई न कोई व्यक्ति जरूर सम्बन्धित है जिसने ९ वर्ष तक रिपोर्ट नहीं की पब्लिक सर्विस कमीशन की। आपका यह नहीं होगा तो डायरेक्टर का होगा। लेकिन आप कहते हैं कि अफसरों के खिलाफ सदन मे कुछ मत कहो क्योंकि वे लोग यहां पर जवाब देने के लिए होते नहीं हैं। इसी लिए हम आपको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि मन्त्री जी का इससे सम्बन्ध है।

पैरा सात में देखिए। इसमें दो अनियमित नियुक्तियां हुई हैं। इसमें भी एजूकेशन डिपार्टमेंट ने कोई चिन्ता नहीं की। इस विभाग में किसी को स्कालरशिप नहीं मिलता है और किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। शिक्षा निदेशक ने एक व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन की अवहेलना करके वोकेशनल गाइड के पद पर काम करने दिया। मैं कहता हूं कि इस तरह की रस्साकशी सरकार में और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज उसकी अवहेलना करते हैं डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स। मैं किसी के लिये नहीं कहता हूं लेकिन आप इसके लिए क्या करते हैं? यह ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए।

अन्त में श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें बड़ा दुख है कि हम ऐसी संस्था के व्यक्ति समझे गये हैं कि जिसका कोई संबंध किसी विभागाध्यक्ष से नहीं है। हम सूचना नहीं मांग सकते है, करेक्टर रोल्स नहीं मांग सकते हैं, वांछित सूचना नहीं मांग सकते हैं। सरकार के पास कोई बात जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। माननीय शर्मा जी जब खड़े होंगे तो कहेंगे और अन्तिम वाक्य को पढ़ेंगे कि मुख्य मंत्री के पास हमने जो संस्तुतियां भेजीं उनकी कदर की गई। यह आखिरी जुमला है, लेकिन यह व्यंगात्मक है, सत्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वतंत्रता कायम रखें, उसकी निष्पक्षता कायम रखें और १९५८ से लेकर की १९६३ तक प्रतिवेदन है उनके ऊपर विचार करें और उनके अनुसार कार्य करने का प्रयास करें और सरकार यह कहने का अवसर न दें कि सरकार निष्पक्ष नहीं है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक सेवा आयोग के निरन्तर कई वर्षों से प्रतिवेदन पढ़ता चला आया हूं। मैं यह नहीं मानता हूं कि यह प्रतिवेदन किसी सरकार के प्रशासन या कार्य प्रणाली का दर्पण है या मापदंड है। परन्तु मैं ऐसा अवश्य मानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति लगातार लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन करे तो वह समझ सकता है कि सरकार प्रगति कर रही है या नहीं कर रही है, प्रशासन में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है और जो बातें सामने आईं उनके बारे में ध्यान दिया गया या

नहीं। इस वर्ष का प्रतिवेदन विशेष रूप से ऐसा है कि जिसमें यह नहीं बताया गया कि पिछले साल या उससे पहले के सालों में या २, ३ सालों में जो यहां पर बातें हमारे सामने आईं उन पर ध्यान दिया गया है। बहुत विस्तार से माननीय विरोधी दल के नेता ने यहां पर बातें कहीं, लेकिन मैं बहुत थोड़े में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। एक बहुत मोटी बात पिछले वर्ष कही गई और उससे पहले भी कही गई। प्रायः यह होता है कि इस लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन में बहुत बड़ा भाग सूचना का होता है। केवल सूचना होती है और उस पर कुछ कहना नहीं होता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर कुछ कहना होता है। उसमें एक विशेष सूचना होती है जिस पर विवाद होता है। प्रायः यहां से विभाग विज्ञापन भेजता है और विज्ञापन भेजने के बाद फिर कह देता है कि हम इसको वापस लेते हैं। अभी यहां पर यह कहा गया कि इस तरह की बात अच्छी नहीं है और यह बात किसी सरकार की इज्जत को बढ़ाने वाली नहीं है। यह काम कोई सुधारने वाला नहीं है और लोगों को परेशानी में डालने वाला काम है। पहले एक बार विज्ञापन दिया गया और फिर कह दिया कि हम इस को वापस लेते हैं। यहां कई बार कहा गया मगर होता क्या है? होता यह है कि यह चीज और बढ़ती चली गई। यह चीज पहले के मुकाबले में और अधिक बढ़ती चली गई।

इस प्रतिवेदन में जो दिया है मैंने उसका पिछले ६१-६२ के प्रतिवेदन से मुकाबला किया। पहले में १३ मामले ऐसे हैं जिनमें विज्ञापन कर निरस्त करना पड़ा। अब वह इसमें १५ मामले हो गये हैं। इसमें प्रगति हुई है। उसका कारण भी उन्होंने दिया है कि किस वजह से उनको वापस लिया गया। उसमें खास तौर से विभागाध्यक्षों ने अनुरोध किया है या मितव्ययता की दृष्टि से। यह बात ऐसी नहीं है जो उस समय उनके सामने न रही हो जब कि विपज्ञान भेजा गया था। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिसका सुधार न किया जा सकता हो। मैं आपके द्वारा माननीय उपमन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको नोट कर लें और आगे यह चीज नहीं होनी चाहिये।

एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसको मैं बहुत बार कहता चला आया हूं। अगर हमको १०० नियुक्तियां करनी हैं तो लोक सेवा आयोग भी उसी दृष्ट से प्रार्थना पत्र मांगता है। हजारों प्रार्थना-पत्र आये तो उनमें से कुछ को उन्होंने साक्षात्कार के लिये बुलाया। उसमें छांटा गया, लेकिन बाद में नियुक्तियां की गई ४० या कहीं ४५ कर दी। पिछले वर्ष भी यह हुआ। १९६० की परीक्षा में प्रवर वर्ग सहायकों के ९१ और अवर वर्ग सहायकों के ३३ पद भरे जाने थे, लेकिन नियुक्ति हुई प्रवर वर्ग सहायकों की ३८ और अवर वर्ग सहायकों की १८। इस तरह से ५३ प्रवर वर्ग सहायकों की और अवर वर्ग सहायकों के १५ पदों के भरने की प्रतीक्षा की जाती रही। उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इसी तरह से ६१ की परीक्षा में ९६ स्थान भरने थे प्रवर वर्ग सहायकों के और २० अवर वर्ग सहायकों के, लेकिन नियुक्ति ५४ प्रवर वर्ग की हुई और दूसरे की १८ हुई। प्रवर वर्ग के ४२ और अवरवर्ग के २ पद बिना भरे रहे। इसमें कमीशन का खर्चा होता है। जितने आदमियों को रखना हो उतने की ही पूर्ति के लिये विज्ञापन होना चाहिये और अगर इस तरह से कुछ लोग रह जाते हैं तो अगले साल उनकी नियुक्ति कर लेनी चाहिये। दूसरे साल विज्ञापन कराना और चुनना उचित नहीं है जब तक कि वे लोग हमको मिलते हैं उनको लेना चाहिये दुबारा सेलेक्शन न करायें, दुबारा न मांगें न विज्ञापन दें, न साक्षात्कार के चक्कर में पड़ें, पहले उनको ले लें, तभी दूसरा सेलेक्शन करायें। जब तक एक भी पद खाली रहे उस लिस्ट में से आदमी रखे जायें नया सेलेक्शन न हो। इस बात के लिये हम बार-बार कहते आये, लकिन यह चीज पहले की अपेक्षा अब और अधिक बढ़ गयी है।

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, अभी नेता विरोधी दल ने जैसा कहा कि किसी रिश्तेदार का प्रार्थना-पत्र रह गया होगा वह तो बिलकुल समस्या के दूसरे पहेलू से ही सोचा करते हैं। एक विज्ञापन आपने निकाला और फिर उसको तब्दील कर दिया, इसमें लोगों को हमारी नियत में शक करने का मौका मिल जाता है। अब इस हर वह जिस भी तरीके से कहेंगे उनको कहने का अधिकार है, वह हमारी नीयत पर भी इसको लेकर आरोप लगा सकते हैं और ऐसा करते भी हैं। ऐसे विषयों में वे हम पर यह आरोप लगाते हैं कि उक्त

[श्री जगदीश प्रसाद]

पद पर सरकार अपने किसी रिश्तेदार को रखना चाहती थी और उस अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र न आने पर उसमें तबदीली कर दी जाती है। इस प्रकार की यदि एक मिसाल हो तो इस आरोप को सच भी माना जा सकता है, लेकिन इस तरह की अनेक मिसाल हो आया करती हैं, हर साल इस प्रकार के अनेक मामले आते हैं, यह हमेशा की बात हो गयी है, इसलिये हम आरोप को नहीं मानते। आयोग अपने प्रतिवेदन में विभागाध्यक्षों के लिये जो सिफारिशें करता ह, उनके हेतु जो अपने सुझाव देता है, उस पर विभागाध्यक्ष कोई ध्यान नहीं देते है और हमारी सरकार और मंत्रिगण यह समझते है कि या तो उनके पास इसके लिये समय नहीं है या यह इतना आवश्यक कार्य नहीं है कि वे इस पर अपना ध्यान दें। वे केवल इतना ही समझते हैं कि साल में एक बार लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन आयेगा, उस पर दो घंटे बहस हो जायगी और बात खत्म हो जायगी। सरकार अपने उत्तरदायित्व का अन्त यहीं तक समझती है। इस सम्बन्ध में आयोग को क्षुब्ध होकर कड़े शब्दों में यह लिखना पड़ा है--विज्ञापनों को निरस्त करने अथवा उनके शुद्धि पत्र निकालने से जनता के धन का अनावश्यक अपव्यय ही नहीं होता है, बल्कि आयोग और उनके कर्मचारियों में जो पहले से ही कार्यभार से दबे हुये हैं, पर्याप्त समय एवं शक्ति का भी अपव्यय होता है। अतः जनता के हित में नियुक्त प्राधिकारियों को चाहिये कि वे जहां तक सम्भव हो, अपनी आवश्यकताओं का हिसाब ठीक-ठीक रक्खें और तब अपने प्रार्थना-पत्रों को आयोग के पास भेजें। उन्हें अइतना लिखना पड़ा। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिये।

एक दिक्कत और है जिसके बारे में मैं कई बार से कहता आया हूं। वह यह है कि तकनीकी अभ्यर्थियों की हमारे प्रदेश में कमी है और उसके लिये मैंने कहा और ६-७ साल से बराबर कहता आया हूं कि इसके लिये आप कोई योजना बनावें। शायद ही कोई साल हमने छोड़ा हो, नहीं तो बराबर कहा है। मैंने इस कमी को दूर करने के लिये कहा है कि या तो आप उनकी योग्यता कम रखिये या उनका वेतन बढ़ाइये। मैं इसका विवरण देता हूं, जो इसमें आयोग ने इसके बारे में कहा है। एक मांग में ९० पदों के लिये ५० अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये बुलाये गये, किन्तु आयोग के समक्ष उनमें से कोई उपयुक्त नहीं पाया गया। एक अन्य मांग के लिये ७२ पदों के लिये १४९ आवेदन-पत्र आये थे, पर साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने के हेतु ही कोई प्रार्थी उपयुक्त नहीं पाया गया। एक मांग में ४० पदों के लिये कोई अभ्यर्थी था ही नहीं, यानी इस मांग में कोई आवेदन-पत्र ही आयोग को नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह से प्रतिवेदनाधीन वर्ष में आयोग ने जिन पदों के लिये विज्ञापन निकाला था, उनमें से ११३३ पदों के लिये वे अभ्यर्थियों की संस्तुति ही नहीं कर सके। अब यह परिस्थिति है कि हजारों की संख्या में पद उपयुक्त आदमियों की कमी के कारण रिक्त पड़े रहते हैं तो या तो आप आदमी बाहर से मंगाइये, उनका वेतन ज्यादा दीजिये या उनकी योग्यता कम कीजिये, बिना यह किये काम कैसे चलेगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात का आपके सामने तफसील में जिक्र करना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त मुझे मेरठ में मिले, उनके लड़के ने इंजीनियरिंग पास की, मुझे याद नहीं कि वह एलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल में, किन्तु यह अच्छी तरह खयाल है कि वह सिविल में नहीं है। मुझे बताया गया कि वह कई वर्ष से खाली है। मेरी समझ में नहीं आया। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि जब कि एलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजीनियर्स की इतनी कमी है तो यह खाली कैसे रह गया। बात यह है कि जो सरकार के अडवर्टिजमेंट आते हैं उनमें उनके लिये दो साल का अनुभव होना लाजमी होता है। अब नया पास किया हुआ लड़का अनुभव कहां से लाये और अगर वह किसी मिल में चला जाता है तो सरकार का वह इंजीनियर फिर मिलते नहीं। मिल ही उनको नहीं छोड़ती। तो अगर आपको उनकी आवश्यकता है तो आप भले ही उन का वह दो साल का टाइम ट्रेनिंग टाइम रखिये, लेकिन उनको आपको नौकरी में ले लेना चाहिये। इस प्रकार की बातों से बाधा पड रही है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस प्रकार की बातों पर ध्यान दे कर विभागों को उचित आदेश प्रदान करें।

मैंने जो बात बतलायी उनके अनुसार एक तो हम खर्च की ओर बढ़े हैं, दूसरे हमारी रिक्तियां बढ़ी हैं । संविधान के अनुच्छेद ३२३ के अनुसार यह प्रतिवेदन हमारे सामने आता है । इस में सरकार को अधिकार है कि वह आयोग की किसी संस्तुति से सहमत न हो, किन्तु उसके साथ वह क्यों सहमत नहीं है इसका स्पष्टीकरण भी देना चाहिये; परन्तु वह स्पष्टीकरण ऐसा होना चाहिये कि जो हम लोगों को संतुष्ट कर सके । पिछले वर्ष १९६१-६२ की रिपोर्ट पर बहस के समय केवल एक मामला ऐसा था कि जिस में सरकार आयोग की संस्तुति से सहमत नहीं थी और उसके लिये मैंने माननीया मुख्य मंत्री को बधाई भी दी थी । लेकिन इस बार के प्रतिवेदन में पांच मामले ऐसे हैं, इन में से कुछ में मैंने सरकार को सपोर्ट किया था पहले और कुछ में आयोग को, लेकिन इस बार तो मैं एक मामले में भी सरकार को सपोर्ट नहीं कर पाता और मैं सरकार के स्टैंड के लिये कोई तर्क नहीं पा रहा हूं ।

सूचना अधिकरियों के मामले में विभाग पहले से ही धांधली चला रहा है वह नियुक्तियां अनियमित हुई परन्तु विभाग इस पर अभ्यस्त है और मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है । दूसरे एक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत थी । सरकार ने उसके लिये आयोग को यह लिखा कि उस को सेवा मुक्त कर दिया जाय और दो हजार रुपया उस से जुर्माने के तौर पर वसूल कर लिया जाय । इस बारे में सरकार ने आयोग की राय मांगी । उस पर आरोप गंभीर थे । आरोपों में औषधियों की कमी पायी गयी, हानियों की समय पर सरकार को सूचना नहीं दी गयी, आदि बातें थीं । माल बहियों का ठीक से न रखने का भी आरोप था । अगर ऐसे मामले में किसी व्ययापारी को इन्कम टैक्स या सेल्स टैक्स अफसर पकड़ ले तो छोड़ेगा नहीं, जेल जाना ही होगा । इस मामले में आयोग ने राय दी कि ठीक है, उसे सेवा मुक्त कर देना चाहिये और उस से दो हजार रुपया भी वसूल किया जाना चाहिये । उसके बाद सरकार को रहम आ गया । सरकार ने लोक सेवा आयोग को फिर लिखा कि यह दंड अधिक मालूम होता है । आयोग ने कहा कि नहीं, यह ठीक है । अन्त में सरकार ने उसको सेवा मुक्त नहीं किया । तो क्या आप विभागों का इस तरह से सुधार सकते हैं ? आज सबसे बड़ी खराबी यह है कि आपका कोई नियंत्रण सर्विसेज पर नहीं है । प्रशासन हाथ से निकलता चला जा रहा है । मुश्किल से सौ, दो सौ केसेज में एक अधिकारी कसूरवार पाया जाता है और अगर एक अधिकारी कसूरवार पाया जाय और उसको सजा न दें तो यह दया नहीं है, यह गिराने वाली चीज है ।

तीसरा जो केस है वह मैं क्या कहूं, मनोरंजक तो नहीं कहा जा सकता । नेता विरोधी दल ने उसका जिक्र किया था । एक अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय स्ट्रिक्चर पास कर दे और यह कहे कि यह व्यक्ति लड़की भगाने में सम्मिलित हो सकता है । अगर उच्च न्यायालय यह कहता कि उसने लड़की भगाई और यह कसूरवार है तो वह अपने आप जेलखाने चला जाता, आपको कुछ नहीं करना था । लेकिन किसी टेकनीकैलिटी की वजह से, गलती की वजह से उसको सजा नहीं दी जा सकी । इसलिये उन्होंने स्ट्रिक्चर पास कर दिया । फिर आपने अपनी इक्वायरी करायी वह भी ठीक था । इंक्वायरी में भी साबित होता है कि उसका कसूर है और कहा गया कि उसको बैड एंट्री दे दी जाय चरित्र पंजिका में । आयोग कहता है कि यह पर्याप्त नहीं । इसके ऊपर खूब बहस होती है और आखिर में सरकार निर्णय करती है कि २-३ वर्ष के लिये उसके वेतन को अवनति कर दी जाय, उसका वेतन जो प्रारंभिक था वह कर दिया जाय । आयोग इससे सहमत नहीं हुआ और जरा मजा देखिये कि एक ऐसे व्यक्ति के वेतन की अवनति की जा रही है जिसके सेवा मुक्त होने को केवल डेढ़ दो महीने बाकी हैं । यह क्या मजाक है । यह ऐसा लक्ष्य है जिससे मुझे कहना पड़ा कि यद्यपि लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन सरकार के प्रशासन का दर्पण नहीं होता, लेकिन यह अवश्य दिखलाता है कि सरकार क्या कर रही है और इस प्रतिवेदन से मैं उस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हमारे प्रदेश का प्रशासन और खराब होता जा रहा है, अधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं और प्रशासन पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की रिपोर्ट १९६२-६३ की सदन के समक्ष प्रस्तुत है उस पर पहला एतराज यह है कि यह १९६२-६३ की रपट है और अब प्रस्तुत हो रही है । कहा गया है कि अगर न्याय देर से दिया जाय तो न्याय अन्याय का रूप ले लेता है । इससे तो यही पता लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी विषय का निर्णय समय से किया जाय । मंत्री जी जब जवाब दें तो इसका भी जवाब दें कि साल-साल जैसे दूसरी रिपोर्ट पेश होती हैं उनके साथ इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं समय से दी जा सकती है । और मामलों तो नेता विरोधी दल और जगदीश प्रसाद जी ने बतला दिये । दूसरे, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अन्तर्गत निर्मित है, इसे हम ऊंचा दर्जा इसलिये दिये हुये हैं कि हमारी सेवायें प्रशासन की बहुत प्रच्छन्न रहें, शुद्ध रहें और हम जनतंत्र के सजग प्रहरी बनकर प्रशासन की नाव खेते चलें ।

मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभ्यर्थियों के जो प्रार्थना-पत्र आते हैं वे सभी अंग्रेजी में आते हैं, जब कि राष्ट्रभाषा हिन्दी है, राज्य की भाषा हिन्दी है । यहां होता क्या है, लड़कियों को भगाने वालों को तो तरक्की मिल जाती है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदार और योग्य होते हैं उनको तरक्की नहीं मिलती ।

श्रीमन्, सरकार का पब्लिक सेक्टर में एक कारखाना खुला हुआ है, उसमें ऐसे लोग आते हैं यह देखने की बात है । अखबार में अभी पढ़ा होगा श्रीमन् ने कि दक्षिण हैदराबाद में, चुनाव के लिये कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया गया । चुनाव समिति ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे । उसमें सभी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के थे । चुनाव समिति ने एक से पूछा कि गुलजारीलाल नन्दा कौन हैं । उसने जवाब दिया कि गुलजारीलाल नन्दा बचपन में बेबी नन्दा के नाम से सिनेमा में काम करती थीं, जब बड़ी हो गयीं तब कुमारी नन्दा के नाम से मशहूर हुई, और जब शादी हो गयी तो इनका नाम गुलजारीलाल नन्दा हो गया । तो जब ऐसे लोग इनके कारखाने से निकलेंगे तो क्या हाल होगा । इसका कारण यह है कि सारा काम तो अंग्रेजी में होता है, वे लोग कुछ समझ नहीं पाते ।

इसके अलावा भर्ती में इतनी तकलीफ नहीं होती है, जितनी की तनुज्जली और तरक्की आदि में होती है । इसमें तो ५-५ साल तक फाइल पड़ी रहती है और ऐक्शन नहीं लिया जाता । कभी कहते हैं हम वरीयता के आधार पर पदोन्नति देंगे, कभी चरित्र पंजिका के आधार पर, तो कभी कुछ नीति अपनायी जाती है । प्रदेश की सरकार भी वरीयता पर जोर देती है, मगर उनकी कुछ विशेष योग्यता होनी चाहिये, और क्या विशेष योग्यता है ? इनकी सात प्रकार की राजाज्ञायें हैं । कहते हैं कि नियुक्ति की तिथि से वरीयता मानी जायेगी परन्तु जिस दिन मान ली जायगी, उसी दिन समझी जायेगी । कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमत ने कुनबा जोड़ा' इनका वह हिसाब है । मैं अभी पढ़ रहा था कि कौन-कौन भर्तियां हुईं, उनका नतीजा क्या निकला । एक भर्ती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य में और एक हुई उद्योग निदेशालय में, पर उनके पद बाद में तोड़ दिये गये । बरेली में हाथी दान्त की पच्चीकारी के अन्तर्गत, यह निश्चय किया गया था, कि एक विशेषज्ञ रक्खा जायेगा, परन्तु बाद में योजना के बन्द होने के कारण यह पद तोड़ दिया गया । इसी तरह से पंचायत निदेशालय में ५७० पद तोड़ दिये गये । इसी प्रकार से नगर नियोजन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में भी नियुक्तियां होनी थीं, परन्तु वे भी नहीं की गईं । ये हैं इस कारखाने की नियुक्तियां । इसका नतीजा क्या निकलता है ? होता यह है कि जिस पद पर मुख्य मंत्री या मुख्य सचिव चाहते हैं कि नियुक्ति हो जाय या भर्ती हो जाय उस स्थान की भर्ती हो जाती है । वैसे ही है जैसे कि अल्ला मियां ने कहा कि सारे जगत में प्रकाश हो जाय तो प्रकाश हो ही गया । एक डिप्टी डायरेक्टर जेल उद्योग, का पद था मैंने उसके लिये यहां सवाल भी उठाया था । इस पद के लिये विज्ञापन हुआ और यह पद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

५००-१२०० के ग्रेड का था। यह पता करने पर कि इस पद के लिये कितने आवेदन-पत्र आये तो पता चला कि एक ही आवेदन-पत्र है। वह आवेदन-पत्र बताया गया कि कोई मेहरोत्रा साहब हैं, उनका है और वे डिप्टी डायरेक्टर (जेल) बना दिये गये। चूंकि एक ही आवेदन-पत्र था इसलिये उनको बना दिया गया। जब उनकी योग्यता के विषय में जानकारी हुई तो पता चला वे इंटरमीडियेट प्रथम वर्ष पढ़े हैं। मैंने कहा कि मैं भी प्राइमरी स्कूल में मास्टरी किया करता था और बी० ए० पास हूं। लक्ष्मी रमण आचार्य को जब यह जानकारी हुई तो वे इस बात पर बहुत बिगड़े यह बात वहां लिख दी गई। और उनको जल्दी-जल्दी कहा कि हाई स्कूल पास करो। इस तरह से एक व्यक्ति १,६०० का ग्रेड आज ले रहा है। सरकार यह कहती है कि एक ही दरख्वास्त आई। आबकारी के इन्स्पैक्टर को एक बार लिया जाना था सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगहों के लिये। इसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा कि जितने लोगों की वरीयता हो सब की चरित्र पुस्तिका भेज दी जाय, परन्तु सरकार की ओर से सबकी चरित्र पुस्तिका नहीं भेजी गई। जिसकी एक नम्बर की वरीयता थी उसकी चरित्र पुस्तिका भजी ही नहीं गई। इस पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह भी कहा जब तक सबकी चरित्र पुस्तिका नहीं आयेंगी तब तक इस नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। अब वह मामला दो तीन साल से लटक रहाहै। सरकार यह कहती है कि चलिये साहब हम खुद ही ले लेंगे। चूंकि काम बढ़ गया है हम इनकी स्वीकृति के लिये भेज देंगे। जैसा आपको मालूम है आठ आठ नौ नौ साल से स्वीकृति नहीं ली गई है। यह कपड़े का कारखाना तो है नहीं कि इजिप्ट की रूई आ गई है तो जल्दी से मजदूरों की भर्ती कर लो। जल्दी से बम्बई हारबर के मजदूरों को भर्ती कर लो। यह ऐसी बात तो है नहीं। यहां जनतंत्र या न्याय की कोई बात नहीं की गई है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

रिपोर्ट पढ़े भी हो ?

श्री उग्रसेन--

पढ़ा हूं। लीजिये रिपोर्ट से ही बताता हूं। इसके पृष्ठ ५९ पर है इनका काम कि इन्होंने क्या काम किये। इनके कार्यकलाप दिये हैं। इसमें है कि परीक्षा के लिये १३८२१ अभ्यर्थी आये, साक्षात्कार हुआ १०३७ का और चुने गये ३८९। यह सब कमाने का कारखाना है। विज्ञापन निकाले गये ६५४ दरख्वास्तें आई ३०७७६ और आये केवल ५००० के करीब। कौन सी नयी बात इन्होंने की है जिसका यह सब विवरण है ? हाईकोर्ट में बहुत से मामले इनके सरकारी कर्मचारी ले गये। वे वहां से जीते और सरकार हारी। सरकार को पिछला वेतन सब देना पड़ा। इससे कितना काम का और धन का हर्ज होता है ? अगर आप लोक सेवा आयोग को जिन्दा रखना चाहते हैं तो ये जो आपके विशेषज्ञ हैं उन्हें जरा देखकर रखिये। राधाकृष्ण अग्रवाल साहब किस विषय के विशेषज्ञ हैं ? मुहम्मद अमर, जयकरण नाथ उग्र ये किस विषय के विशेषज्ञ हैं। रामाधार मिश्रा को तो मैं जानता हूं यह तो ठीक हैं। इनमें कोई पानदरीबा दरबार का है, कोई त्रिपाठी दरबार का है। यही सब भाई भतीजेबाद, जातिवाद, साले के साले के नाना के भतीजे, यही सब रखे जाते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह परसैनिलिटी पर आक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह कार्यवाही से निकाल देना चाहिये।

श्री उग्रसेन--

मैं इसलिये कहता हूं कि आप नहीं चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग ठीक से काम करे। आप चाहते हैं कि आपके दरबारी लोग उसमें रहें और जो आप चाहें वह हो। न्याय का कोई स्थान उसमें न रहे। आप चाहते हैं कि वैसे लोग उसमें रहें जो यह कह दें सूरज पश्चिम में उगता है अगर आप ऐसा चाहें। कितनी हजार फाइल वरीयता की और पदोन्नति की

[श्री उग्रसेन]

आयोग में पड़ी हुई हैं ? ५०सों हजार रुपया एक, एक परीक्षा में खर्च किया जाता है, फिर कह देते हैं कि भर्ती नहीं होगी । परिवहन विभाग में एक नई लम्बी लिस्ट बनाई गई ५७ की इनको सहायक जनरल मैनेजर बनाया जायगा । उसमें से लिये गये कुल तीन । साल खत्म हो गया और ५४ को कह दिया गया कि घर जाओ । क्यों जावें घर ? कानपुर की बात आई । सीनियर नहीं लिये गये और जूनियर रिश्तेदार और दोस्त भाई भतीजे ले लिये गये । यह काम और उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध के । क्या इस प्रकार से काम ठीक हो सकता है ? यहां के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तो कहते हैं कि १४२ को निकाल देंगे और इंजीनियरों ने हड़ताल किया तो कुछ नहीं । जरा उनको निकालिये तो चौराहे पर आपको जूते लगवा देंगे । फारसी में एक कहावत है जिसका मतलब है कि बड़े का दोष कभी नहीं होता । यही बात इस सरकार की है । भला बताइये कांडपाल जी, आपकी कोई गलती पकड़ेगा ? कितनी ही बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस ओर इशारा किया, अपनी रिपोर्ट में कितनी ही बार लिखा लेकिन मंत्री जी ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । हम भी कहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते । क्या आप समझते हैं कि हम टमाटर बेचते हैं ? हमारी जानकारी और अनुभव आपसे कम नहीं है । आपको हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिये । यह आपका प्रशासन तभी प्रच्छन हो सकता है जब आप इन संस्थाओं के कहने के अनुसार कार्य करें और तभी जनतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो सकती है । अगर आप यह नहीं चाहते तो के० के० दास से सरकार चलाओ । उसका नतीजा आपको बाद में मालूम होगा । तभी तो उत्तर प्रदेश की जनता कहती है, कांग्रेस हटाओ प्रदेश बचाओ ।

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी डेमोक्रेटिक ढंग पर काम करने वाले देश और प्रदेश की दो ही मुख्य संस्थायें हैं—१—हाईकोर्ट, और २—पब्लिक सर्विस कमीशन । इनमें त्रुटियां भले ही हो सकती हैं, लेकिन ये जनतंत्र के २ स्तम्भ हैं । इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्था में ऐसे लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिये जिनमें जनता का विश्वास हो और जो अपने विषय में पंडित हों, अपने विभाग के ज्ञाता हों । भले ही वर्तमान पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों की जानकारी हमें न हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि हमारी सरकार उनकी नियुक्ति करा समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखती होगी । पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर इस बात का भी विचार प्रकट किया गया था कि हाई कोर्ट के जजेज और जुडीशियल आफीसर्स की नियुक्ति भी कमीशन के द्वारा ही होनी चाहिये । मेरे विचार में यह सुझाव उनका यद्यपि नहीं माना गया है, लेकिन है बहुत उचित । ऐसा होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उन व्यक्तियों में से हूं जो यह चाहते हैं कि आइ० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० के अतिरिक्त एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग इत्यादि महत्व की तमाम सर्विसेज की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होनी चाहिये । इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब ये आल इंडिया सर्विसेज हो जायेंगी तो अफसर लोग दूसरे प्रदेशों की भाषाओं और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करेंगे, रीति रिवाजों को भी जानेंगे । उससे राष्ट्रीय एकता में बहुत सहायता मिलेगी । इसके अतिरिक्त जब कोई आदमी एक ही जगह रहने लगता है तो लोगों का यह खयाल हो जाता है कि वह लोगों के साथ पक्षपात करता है । इसलिये मेरा खयाल है कि इन सारी सर्विसेज को आल इंडिया कर दिया जाय और इनका चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हो ।

एक असुविधा मैं सदन को बतलाना चाहता हूं । पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंडीडेट्स को बुलाने के लिये नोटिसेज काफी देर में भेजे जाते हैं । जो नोटिस कैन्डीडेट्स के पास परीक्षा या इन्टरव्यू में आने के लिये भेजी जाती है उसका समय काफी नहीं होता । मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कुमायूं के जो जिले, टेहरी, गढ़वाल और

अल्मोड़ा वगैरह हैं और जो दूर के स्थान हैं वहां पर समय से इत्तला नहीं पहुंचती और उनको समय बहुत कम मिलता है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि परीक्षा खत्म हो जाती है वह लोग सम्मिलित हो नहीं हो पाते। मेरी प्रार्थना है कि कमीशन को नोटिस का समय अधिक रखना चाहिये ताकि सब लोग जो दूर के रहने वाले हैं वह भी आकर शामिल हो सकें। उम्मीदवारों को नोटिस तब मिलता है जब परीक्षा समाप्त हो जाती है। बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं कि जो बेचारे समय न मिलने के कारण महरूम रह जाते हैं। इस तरह से दूर के रहने वाले जो उम्मीदवार हैं वह नुकसान में रहते हैं और उनको सेवा का मौका नहीं मिलता।

रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं कि जिन पर कमीशन को काफी उम्मीदवार नहीं मिलते। यह उम्मीदवार क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं आते और क्यों सेलेक्ट नहीं होते इसका हमें कारण देखना होगा। जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रान्चेज के लिये ७९ केन्डीडेट्स मांगे गये और उसके लिये ४३८ अर्जियां आईं और उसमें से २२५ को बुलाया गया परीक्षा के लिये। इनमें से भी केवल १९५ ही आये और उसके बाद भी नतीजा यह हुआ कि उनमें से एक भी योग्य नहीं पाया गया। इससे हमें देखना होगा कि कारण क्या है, किसका कसूर है। क्या हमारी यूनिवर्सिटियों से या शैक्षिक संस्थाओं से आज योग्य विद्यार्थी नहीं निकलते कि उनमें से ८० भी हमें सही योग्यता के मिल सकें। अगर उनका स्टेंडर्ड इतना गिर गया है तो हमें ऐसे विद्यालयों को बन्द कर देना चाहिये: क्यों उन पर इतना खर्च किया जाय जब उसका नतीजा ही कुछ नहीं है? आज हम-नई नई तमाम संस्थायें खोलते जाते हैं, लेकिन उन में से अगर स्टेन्डर्ड के योग्य विद्यार्थी नहीं निकलते तो फिर लाभ क्या है? क्या यह सन्तोष की बात है कि एक भी केन्डीडेट अप टु दि स्टेंडर्ड हमें न मिले, कदापि नहीं।

इसके अलावा मैं सरकार से कहूंगा कि उसको पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को गौर से देखना चाहिये और जिन खामियों और सुझावों का उसमें जिक्र हो उन पर भी पूरे तौर से विचार करना चाहिये। जिन कमियों को बताया गया है वह दूर करनी चाहिये और उसकी सिफारिशों को जहां तक हो सके मानना चाहिये। यह सन् ६२-६३ की रिपोर्ट है इसमें बहुत से सुझाव हैं और सिफारिशें हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना पया हम पब्लिक सर्विस कमीशन पर खर्च करते हैं, और जितना प्रयास उसके मेम्बर लोग करते हैं, उससे उतना फायदा हम नहीं उठा पाते हैं। अगर नहीं उठा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि उस पर जो खर्च होता है और यह जो रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होती है और इस सदन में डिस्कस होती है, इस पर जो व्यय होता है वह सबका सब बेकार है।

रिक्रूटमेन्ट विदाउट एडवर्टिज्मेन्ट का जहां तक प्रश्न है पब्लिक सर्विस कमीशन ने तस्लीम किया है कि ऐसी भी नियुक्तियां होती हैं जिनमें वे एडवर्टिज्मेन्ट नहीं देते हैं डिपार्टमेन्ट खुद नियुक्त कर लेते हैं। तीसरा तरीका जो इसमें रखा गया है वह है रिक्रूटमेन्ट बाई प्रोमोशन। इसमें कमीशन का कहना है कि इस प्रकार की नियुक्तियां लगभग ३०,००० होती हैं, जो प्रोमोशन से होती है। उसको भी हमें देखना है कि उन नियुक्तियों में कितने केसेज में पब्लिक सर्विस कमीशन को कन्सल्ट किया जाता है। सुनने में यह आता है कि इस प्रकार के प्रोमोशन्स में कमीशन का बहुत कम हाथ होता है। मेरी राय में ऐसे मामलों में भी कमीशन की राय होनी चाहिये।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रोमोशन बाई ट्रान्सफर भी होता है अर्थात् एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजने पर एक अफसर का उस विभाग में प्रोमोशन हो जाता है। हमें इन केसेज में भी यह देखना चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन का हाथ हो। हां, यह जरूर कि उस अधिकारी को पास्ट सर्विस का अवश्य लिहाज होना चाहिये।

एक तरीका एपाइन्टमेन्ट का उन्होंने बताया एडाप्शन का, यानी जो लोग उन रियासतों से आये हैं जिनका विलीनीकरण हो गया है उनका प्रोमोशन। उसमें भी मैं समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का हाथ हो।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

जो एपाइन्टमेन्ट सेलेक्शन कमेटी से होते हैं, मैं समझता हूं उनके लिये हमारी यूनिवर्सिटी ज हमारे कालेज और हमारे हाई स्कूल का दायित्व है कि वे ऐसे विद्यार्थी तैयार करें जो नियुक्ति को पूर्ति कर सकें। टेक्नीकल ब्रान्चेज के लिये उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, इसी प्रकार मेडिकल सर्विसेज के लिये नहीं मिलते हैं और इसी प्रकार और भी सर्विसज हैं जिनके लिये उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। कमी को पूरा करने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये।

अन्त में मैं इस प्रतिवेदन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य इस प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर अमल करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं भी कुछ अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति संविधान के मातहत हुई है और इसलिये हुई कि हमारे प्रशासन का कार्य ठीक से चलता रहे और अच्छे लोग सर्विसेज में आ सकें, किसी प्रकार का पक्षपात किसी के साथ न हो। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच काफी विचारों में मतभेद है और सरकार की तानाशाही नियुक्तियों के मामले में और लोक सेवआयोग के कार्य में दखल देने की है जिनकी वजह से प्रशासन निकम्मा होता जा रहा है और उसका स्तर इतना गिरता जा रहा है कि आज प्रदेश में तथा देश में सब जगह प्रशासन गिर रहा है। मैं आपके सामने कई ऐसे उदाहरण रखना चाहता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से, अभी माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि १५ विज्ञापन जो निकाले गये उनको निरस्त कर दिया गया जिस पर लोक सेवा आयोग ने टिप्पणी दी है, लेकिन सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। यह विज्ञापन रद्द करने का क्रम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कमीशन का रिमार्क है कि विज्ञापनों को निरस्त करना अथवा उनके शुद्धि पत्र निकालना जनता के धन का अनावश्यक अपव्यय ही नहीं होता बल्कि आयोग और उनके कर्मचारी वर्ग का जो पहले से ही कार्यभार से दबे हुए हैं, पर्याप्त समय एवं शक्ति का भी अपव्यय होता है अतः जनता के हित को दृष्टि से नियुक्त प्राधिकारियों को चाहिये कि जहां तक सम्भव हो अपनी आवश्यकताओं का हिसाब ठीक रखें और तब अपने प्रार्थना-पत्रों को आयोग के पास भेजें।

इतना ही नहीं मान्यवर, देखेंगे कि लोक सेवा आयोग ने शासन को लिखा जिसका उल्लेख पृष्ठ ११ पर है।

"शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्या०-५२५०-२-बी-५४-४८, दिनांक २९ दिसम्बर, १९४८" के अनुसार संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को चाहिये कि वे आयोग की संस्तुतियों को पाने की तिथि से दो मास के भीतर उन पर की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को अवश्य दें। किन्तु इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट १३ को देखने से पता चलेगा कि ५७८ पदों के लिये नियुक्ति आज्ञाओं में ६ मास से अधिक विलम्ब किया गया। कुछ मामलों में एक वर्ष से अधिक का या ऐसा ही विलम्ब हुआ। इतना असाधारण विलम्ब होने से चुने हुए अभ्यर्थी अधर में लटके रहते हैं और अपनी भावी योजना ठीक-ठीक नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह का खयाल सरकार के बारे में और विशेषकर नियुक्ति विभाग के अधिकारियों के बारे में अगर आयोग का हो तो सरकार को गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये। पृष्ठ १२ पर आयोग ने लिखा है "आयोग खेद के साथ यह लिखता है कि गत वर्षीय प्रतिवेदन के पैरा ११ (१) में निर्दिष्ट सहायक फोरमैन के पद के लिये एक अभ्यर्थी के विषय में नियुक्ति आदेश प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी नहीं जारी किये गये।"

आगे इसी पृष्ठ पर आयोग ने लिखा है कि "गत वर्षीय प्रतिवेदन के अध्याय ६ के पैरा १३ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उत्तर प्रदेश

उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत रेशम उत्पादन निरीक्षक के पद के लिये १९५८ की जुलाई में संस्तुति एक अभ्यार्थी के विषय में नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा थी। निदेशाधीन अध्यार्थी प्रतिवेदनाधीन वर्ष में भी नहीं नियुक्ति किया गया और आयोग ने इस मामले को स्वयं मुख्य मंत्री के समक्ष रखा है।"

इस तरह की बातों से प्रतीत होता है कि शासन और राज्य सरकार का दखल दिन-ब दिन बढ़ता जा रहा है और आयोग को एक दम पंगु बना रखा है।

आगे पैरा १० में आयोग ने पृष्ठ १२ में लिखा है "मार्च, १९६० में आयोग ने शासन के अनुरोध पर नैनीताल, ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के दो पदों एक वनस्पति विज्ञान के लिये तथा एक प्राणिशास्त्र के लिये को विशेष रूप से उच्चतर अर्हताओं अथवा अनुभव वाले अभ्यर्थियों को ६५० रु० मासिक तक उच्चतर प्रारम्भिक वेतन देने की व्यवस्था के साथ ५००-१२०० रु० वेतन क्रम में विज्ञापित किया। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करके आयोग ने सितम्बर, १९६० में वनस्पति विज्ञान के लिये दो अभ्य र्थियों को और प्राणिशास्त्र के लिये एक अभ्यर्थी को संस्तुत किया।"

उपरोक्त नियुक्ति में हुआ यह कि फरवरी, १९६१ में सरकार ने आयोग को सूचित किया कि प्राध्यापकों के वेतन क्रम पुनरीक्षित हो गये हैं यानी कम कर दिया गया है जिस पर कि प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक को आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी ने अनुरोध किया कि विज्ञापित वेतन क्रम ५००-१२०० रु० है किन्तु शासन सहमत नहीं हुआ और नियुक्त का पत्र वापस ले लिया गया। बाद में आयोग को अगस्त, ६१ में यह पत्र शासन की ओर से मिला कि वनस्पति शास्त्र के लिये एक संस्तुत अभ्यर्थी को ५०० -१२०० रुपये के वेतनक्रम में नियुक्त कर लिया गया था। आयोग ने शासन से फिर यह पूछा कि एक साथ ही संस्तुति किये गये प्राणिशास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापकों में एक को ही क्यों नियुक्त किया गया और अभ्यर्थी को भिन्न भिन्न वेतन क्रमों पर नियुक्त करने के लिये नियुक्ति पत्र क्यों भेजा गया? सरकार का तर्क था कि वनस्पति विज्ञान के लिये संस्तुत अभ्यर्थी शिक्षा विभाग का एक स्थायी कर्मचारी था और प्राणिशास्त्र के लिये संस्तुत अभ्यर्थी बाहरी था। आयोग ने यह विचार प्रकट किया कि प्राणि शास्त्र के अभ्यर्थी को कम वेतन क्रम देना उचित नहीं था जब कि वह उसी पद पर उच्चतर वेतन क्रम के लिये चुना गया था। इन सब बातों को देखकर शासन के उक्त निर्णय का अनौचित्य बढ़ जाता है और आयोग ने प्राणिशास्त्र के प्राध्यापक की नियुक्ति के मसले पर पुनर्विचार के लिये कहा, लेकिन शासन ने कई अनुस्मारकों के बाद भी उत्तर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी, इस तरह से बहुत टाइम लगेगा।

श्री ऊदल—

मैं खत्म ही कर रहा हूं। मैं यह बता रहा था कि किस तरह से शासन सेवा आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है जिसका जीता जागता नमूना यह है।

मान्यवर, इसी तरह से राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में न्याय के प्राध्यापक के पद के लिये चुनाव हुआ। शासन ने उसको रद्द कर दिया। फिर शासन ने जो सज्जन वहां पढ़ा रहे थे उनको अपनी मर्जी से नियुक्त किया और ६ वर्ष के बाद शिक्षा निदेशक ने आयोग से अनुरोध किया कि वह न्याय के सहायक अध्यापक की स्थायी नियुक्ति को अनुमोदित कर दे जिन्हें न्याय के प्राध्यापक के पद पर १८ सितम्बर, १९५५ से स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया था। लेकिन चूंकि शिक्षा निदेशक ने कोई निदेशक न भेज कर अवहेलना की थी इस-लिये आयोग ने उस पद पर उसकी स्थायी नियुक्ति करने से इन्कार कर दिया।

इसी प्रकार एक जिला कृषि अधिकारी हैं जिनको १९५७ में आयोग ने एग्रीकल्चर अफसर के स्थायी पद के लिये चुन लिया था। ५-६ साल तक यहां के कृषि विभाग के

[श्री ऊदल]

अधिकारियों ने उस लिस्ट को चुरा रखा था और जब वह यहां आकर हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट के लोगों से कहते थे तो उनसे कहा जाता था कि आपको आयोग ने नहीं चुना जब कि पचासों स्थायी जगहें कृषि विभाग में आज भी खाली पड़ी हैं। जब मैंने यहां सवाल किया और उस लिस्ट को मांगा कि आयोग ने किन-किन लोगों को १९५७ में चुना तो उसमें उन सज्जन का नाम था। मगर वह आज तक स्थायी पद पर नहीं हुए। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण आज प्रदेश के अन्दर मिलेंगे जिसका नतीजा यह है कि शासन का काम बहुत ढीला हो रहा है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह गंभीरतापूर्वक इन सब सवालों पर सोचे। जब आयोग का गठन संविधान के अन्तर्गत हो गया है तो नियुक्तियों के बारे में सारे अधिकार आयोग को होने चाहियें। सरकार को जो यह अधिकार है कि वह आयोग की राय से सहमत हो या न हो उसका नाजायज फायदा उठा कर वह आयोग के क्षेत्राधिकार में दखल दे रही है। इसे सरकार को दूर करना चाहिये ताकि अच्छे अच्छे लोग नौकरियों में आ सकें और प्रशासन का स्तर ऊंचा हो सके।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह १९६२-६३ की रिपोर्ट है और आज १९६६ है। मेरा कहना यह है कि अगर उसी साल के अन्दर नहीं तो एक साल की रिपोर्ट दूसले साल में प्रिन्ट हो कर सदन के सामने जरूर आ जानी चाहिये ताकि सदन में उसके ऊपर अच्छी तरह से विचार हो सके, सरकार अपनी कमियों को दूर कर सके और अच्छा पब्लिक सर्विस कमीशन बन सके जिससे अच्छे से अच्छे लोगों का चुनाव हो सके और ज्यादा गड़बड़ियां न हों। इन शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों का जिक्र सदन में हो चुका है उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। जो बातें बाकी रह गई हैं मैं केवल उनको ही सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि उनके ऊपर गौर किया जाये और जो कमियां और खामियां हमारे सर्विस कमीशन में हैं उनको दूर किया जा सके।

सब से पहली बात यह है जिसको हर व्यक्ति समझ सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो बैलेंस्ड माइन्ड का हो और जिसके ऊपर सरकार का प्रभाव न हो। आजकल डिपार्टमेंटल हेड्स जो रिटायर होते हैं जिनके अपने-अपने प्रिजुडिसेज होते हैं और गवर्नमेन्ट से उनका लगाव होता है, उन्हीं को सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाया जाता है। मैं समझता हूं कि यह आधार कतई गलत है। अगर अनबैलेंस्ड माइन्ड को पब्लिक सर्विस कमीशन में रख दिया जायेगा तो मुल्क की सेवा नहीं हो सकती है। इसलिये जरूरी है कि हमें यह तय करना चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों की नियुक्ति का बेसिक आधार क्या होगा? आजकल बिना आधार के काम चल रहा है। जो मन में आता है और जिसको सरकार चाहती है उसको मेम्बर बना देती है। हमने देखा है कि मेम्बर्स एकेडेमिक होते हैं। एक तरफ उनका विभाग चलता है और दूसरी तरफ शून्य होता है।

मैंने देखा है कि प्लानिंग विभाग के बी० डी० ओज के पदों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इम्तहान हुआ। उसने फर्स्ट क्लास उम्मीदवारों को चुन लिया और उनकी नियुक्ति की गई। मैं जानना चाहता हूं कि बी० डी० ओ० के पद के लिये क्या फर्स्ट क्लास आधार हो सकता है? इस पद पर काम करने वाले का दिन-रात जनता में भाग-दौड़ करनी पड़ती है और फिजिकल लेबर करनी पड़ती है। फिजिकल लेबर और इंटलेक्चुअल्स ये परस्पर विरोधी हैं। जहां इन्टलेक्चुअल्स होते हैं वहां फिजिकल लेबर दूर रहती है। और जहां फिजीकल लेबर होती है वहां से इन्टलेक्चुअल्स दूर रहते हैं। हमें देखना है कि आज लोगों के

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ सहानुभूति रखने वाले नौजवान उपयुक्त हैं या नहीं जो सख्त से सख्त काम का बोझा ढो सकें, केवल दफ्तर में जाकर कागजात से खिलवाड़ करना कोई माने नहीं रखता है। बी० डी० ओ० का जो काम है, उसका काम फील्ड वर्क का अधिक है, फिजीकल लेबर का उसमें काम अधिक है, अतः जिसमें फील्ड वर्क का कार्य करने की क्षमता न हो उसको बी० डी० ओ० के पद पर नियुक्ति कर देना उसकी क्षमता का दुरुपयोग है और मुल्क के साथ अन्याय है। केवल फर्स्ट क्लास के आधार पर उसको बी० डी० ओ० बना देना उसके चुनाव करने वालों का दोष है और गवर्नमेन्ट का दोष है। क्योंकि जो बी० डी० ओ० हैं या अन्य कर्मचारी जो प्लानिंग में काम करते हैं उनको देहातों में काम करना पड़ता है, ग्रामीण जनता और उसकी भावनाओं के निकट रह कर काम करना पड़ता है, अतः जिन लोगों को देहात से रुचि न हो, उनसे कोई सहानुभूति न हो, शहरी लोग, जो गांव से घृणा करते हैं, ऐसे आदमियों को देहात के हितों की रक्षा के लिये नियुक्त कर देना मुल्क के साथ अन्याय है। इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किये जाने के लिये हमारी सरकार को चाहिये कि जिस डिपार्टमेन्ट का रिक्रूटमेन्ट किया जाता हो, उस डिपार्टमेन्ट के एक्सपर्ट लोगों की राय का चुनाव का आधार बनाया जाना चाहिये। आज आप कहीं भी जाइये, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइये, प्लानिंग में जाइये, हर जगह हमें बहुत से मिस-फिट नजर आते हैं। अच्छे-अच्छे और फर्स्ट क्लास विद्यार्थियों को फिजीकल कार्यों के लिये भेजकर उनको सड़ा डाला जाता है और उनके ब्रेन का जो हम अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में सदुपयोग कर सकते हैं उससे हम वंचित कर दिये जाते हैं। इसलिये इस ओर हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर ईमानदारी से कहा जाय तो हमारे मुल्क के अन्दर जिस प्रकार की विचारधाराएं हिलोरे ले रही हैं और जिस प्रकार की विचारधाराओं का प्रभाव आज हमारे शासन पर पड़ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एक यूनिट बना दिया जाना चाहिये। हर प्रदेश और सेन्टर के लिये पब्लिक सर्विस अलग अलग न होकर पूरे देश की सर्विसेज के लिये एक ही कमीशन होना चाहिये। हर प्रदेश के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिये केवल प्रदेश के ही लोगों के आवेदन पर नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को उस पद के हेतु चुने जाने की छूट होनी चाहिये, जिससे उसमें प्रान्तीयता का कोई विचार काम नहीं करेगा, उसमें भाई-बिरादरी चलने की भी गुंजायश नहीं रहेगी, उसमें जातिवाद काम नहीं करेगा, जिसका बहुत गहरा प्रभाव चुनाव में और हमारी सरकारी नौकरियों में पड़ता है। यदि हम चाहते हैं सर्विस को एफिशिएन्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को तन्दुरुस्त और तगड़ा बनाना तो हमें ऐसे ही आदमियों को सर्विस में लेना होगा। मैं एक आई० सी० एस० अफसर से उसके बंगले में सुबह मुलाकात करने गया। उनसे बात करने से मुझे बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं था। पहले अंग्रेजों के समय में आई० सी० एस० आफिसर्स की इसी बारे में टीका की जाती थी कि वे अंग्रेजों के दृष्टिकोण से इस मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे, लेकिन जहां तक दुनियाबी जानकारी की बात है उनकी जानकारी बहुत ही विस्तृत थी। कोई भी आफिसर अपने विजिटर से गलत व्यवहार नहीं करता था और उन्हें अपने विभाग से संबंधित छोटी-मोटी बातों की काफी जानकारी रहती थी। जो लोग इस महत्वपूर्ण पद को संभाल नहीं सकते, इसे हजम नहीं कर सकते, जिनके पास कैपिसिटी नहीं है, उन्हें यह महत्वपूर्ण पद आप न दीजिये। मैं समझता हूं इस तरह के आफिसर्स का चुनाव कर लेना मुल्क के साथ न्याय नहीं होगा और मुल्क के हित को आगे नहीं बढ़ायेगा। इस प्रकार से हमारा मुल्क कमजोर होता चला जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। मुझे यह कहना है कि चूंकि हमारा डेमोक्रेटिक सेट अप है और जितने भी अफसर हमारे यहां रिक्रूट किये जाते हैं यदि उनका झुकाव डेमोक्रेटिक सेट अप को आगे बढ़ाने वाला नहीं है और इसको आगे ले जाने वाला नहीं है तो ऐसे लोगों को इन्चार्ज बना देना मुल्क के लिये

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

खतरे की बात है। मैं समझता हूं यदि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो जितने भी अफसर रिक्रूट किये जायं उनका विश्वास डेमोक्रेसी में होना चाहिये। जिन लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है उनके हवाले इस देश को कर देना खतरे से खाली नहीं है। यह जनरल बात होते हुए भी मुल्क के हित के लिये बहुत महत्व रखती है। मैं समझता हूं जिन बातों का जिक्र कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है उनसे अधिक महत्व इस बात पर दिया जाना चाहिये कि उन अफसरों को ही रिक्रूट किया जाय जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाले हों। अगर उनके दिमाग में डेमोक्रेसी के प्रति घृणा है तो ऐसे अफसरों को रिक्रूट करने के बाद भी डिसमिस कर देना चाहिये। जिनका प्रतिकूल रुख है वे फर्स्ट क्लास हों या फर्स्ट क्लास के बाप हों उनके हवाले इस डेमोक्रेसी को नहीं करना चाहिये। भेड़िये के हवाले भेड़ को कर देना उचित नहीं है। बस यही मुझे निवेदन करना था।

*श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ६२–६३ की जो रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की गई है उसको देखने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि बड़ी स्वतंत्रता के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अभी मैं राय साहब से बात कर रहा था और यह समझ रहा था कि रिटायर्ड अफसर भी इसमें होंगे, लेकिन रिटायर्ड अफसरों के होते हुए भी उन्होंने जो स्वतंत्रता का परिचय दिया है मैं उनको इसके लिये बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ यह भी देखना चाहिये कि प्रतिवेदन को सदन के सामने इसलिये प्रस्तुत किया जा रहा है कि आयोग और सरकार ने कहां तक सामन्जस्य के साथ कार्य किया है। जब इसको शुरू से आखिर तक पढ़ा तो दिखाई देता है कि सरकार ने आयोग के कार्यों में सदा अड़ंगा लगाया है क्योंकि बहुत से पद ऐसे हैं जो कि कैरेक्टर रोल पर चुने जाते हैं। बहुत से ऐसे पद हैं जिन पर पदोन्नति होती है। यह सब आयोग के सामने गये। लेकिन हम यह देखते हैं कि ऐसे पदों के लिये कैरेक्टर रोल भेजने में वर्षों का समय बीत जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे स्टेप लेने चाहिये कि जो अधिकारी कैरेक्टर रोल भेजने या चुनाव संबंधी कागजात भेजने में देर करे तो उसे पनिश किया जाय। १९६२ में चुनाव जो किया आयोग ने उन में १९६३ तक नियुक्ति नहीं की गयी और उसकी सूचना भी सरकार द्वारा आयोग को नहीं दी गयी। इस प्रकार जो व्यक्ति चुना गया है उसे अपनी नियुक्ति के बारे में पूरी सूचना नहीं मिल पाती। इस प्रकार की बातों से आयोग में लोगों का विश्वास घटता जा रहा है और मैं समझता हूं कि अगर यह विश्वास घट जायगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन का कैडर भी, उसकी महत्ता भी घटती जायगी। ऐसा होने पर सरकार को ही लोग मुख्य समझेंगे और अपनी पदोन्नति तथा अच्छी नौकरी के लिये सरकार की तरफ ही झुकेंगे, आयोग की तरफ नहीं और सरकार के द्वारा ही वे अच्छे पद प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अभ्यर्थियों का ध्यान सरकार की ओर अधिक आकृष्ट होगा। इस सब का नतीजा यह होगा कि जो संविधान की भावना थी कि पक्षपात रहित चुनाव किया जाय, वह नहीं हो सकेगा और अच्छे स्थानों पर अधिकतर निकम्मे लोग ही पहुंचेंगे। इसके अलावा बहुत से आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं। उन में स्केल आफ पे भी दे दिया जाता है। लेकिन चुनाव होने के बाद सरकार उनकी शर्तों में तब्दीली कर देती है। ऐसा ही एक उदाहरण ऊदल जी ने दिया कि ५०० से १,२०० के ग्रेड में चुनाव किये जाने के बाद एक व्यक्ति को तो उस ग्रेड में ले लिया गया, लेकिन दूसरे को ३५० वाले ग्रेड में लिया गया। इस प्रकार का हस्तक्षेप होने से लोगों की आस्था आयोग में कम होती जायगी और सर्विसेज का कैडर निकम्मा हो जायगा।

आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार हमको स्टैन्डर्ड के आदमी नहीं मिल रहे हैं। सरकार को इसके लिये भी प्रयत्न करना चाहिये ताकि हमको योग्य व्यक्ति मिल सकें। यह कार्यवाही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत अच्छी होगी और इससे प्रदेश में विद्वानों की बढ़ोत्तरी हो सकेगी और हम ऐसा कर देश का भला कर सकेंगे।

इसके अलावा आयोग में जो व्यक्ति रखे जायं उनको योग्य होना चाहिये। टेक्निकल व्यक्तियों के चुनाव के समय यह ध्यान रखा जाय कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही लिया जाय क्योंकि उनको काफी अनुभव पहले से रहता है।

इन शब्दों के साथ मैं आयोग के सदस्यों को इस बात के लिये फिर बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत काफी स्वतंत्रता के साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यह उम्मीद करता हूं कि सरकार का उसमें हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिये।

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस प्रतिवेदन पर बहस की। बहस करते हुये हमारे सब साथियों ने सरकार की जो आलोचना की उसे वह समझ नहीं सके। हमारा आयोग एक सलाहकार संस्था है जो अपनी सलाह सरकार को दिया करती है। इनकी रिपोर्ट अगर आप देखें पृष्ठ ५६ पर, तो उन्होंने लिखा है–"आयोग को संतोष है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर जिनका उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है, शासन तथा अन्य नियुक्त प्राधिकारियों ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग के कृत्यों का परिसीमन विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग के परामर्शों को भी यथाविधि लिया। आयोग मुख्य मंत्री का विशेष रूप से कृतज्ञ है कि जो मामले उनके समक्ष रक्खे गये, उन पर उन्होंने शीघ्र समुचित कार्यवाही की।"

आयोग ने, श्रीमन्, ५,८८० मामले ऐसे थे जिनकी सिफारिश की। उनमें से केवल ५ मामले ऐसे हैं जिनको हमने नहीं माना। बाकी सबको हमने मान लिया। तो यह तो बड़ी भारी सरकार की तारीफ है कि ५ हजार में से केवल ५ नहीं माने। आयोग तो कहता है कि हमने सरकार को सहयोग दिया और सरकार ने हमारी बात मानी और उनको संतोष है और यहां ५ मामलों को ले कर उड़ गये। अगर हम सभी को मान लेते तो वह क्या सलाहकार बोर्ड रहता? वह तो सरकारी संस्था हो जाती।

ऊदल जी ने एक बनारस का मामला बयान किया और कहा कि आयोग ने दो स्थान चुने। उनमें यह हुआ कि पहले जो ग्रेड था वह ५०० रुपये से बड़ा था और जब चारों तरफ से रिप्रेजेन्टेशन हुआ कि ज्ञानपुर के कालिज में जो प्रोफेसर हैं उनका जो ग्रेड है उससे संतुलन नहीं हमारे दूसरे कालेजों के ग्रेड का, तो सरकार ने निर्णय ले लिया कि उसको ३५० से ८०० तक का ग्रेड कर दिया जाय। लेकिन चूंकि सेलेक्शन पहले हो चुका था इसलिये जो पहले ग्रेड में लोग नियुक्त थे जो कि पुराने कालेज के थे उन्होंने कहा कि हम तो पुराने रक्खे हुये हैं तो उनको पुराना ग्रेड दिया गया और नये वालों को नये ग्रेड में रखा गया। तो कौन-सी ऐसी बात हो गयी? लेकिन यहां तो हर चीज को घुमा-फिरा कर रखा जाता है। हमारे लीडर साहब नहीं है, जितने छोटे-मोटे मामले हैं उन सब में एक ही बात कही गयी है। लेकिन हमारी सभी बातें करीब-करीब मान ली हैं।

सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आयोग निष्पक्ष हो कर सुझाव देता है और वह सुझाव ज्यादातर हम मान लेते हैं। हां, थोड़ी-सी कमी है। यहां हम एडवर्डटाइज करते हैं, तो यहां यह रवैया चला कि कुछ कमी करो। पोस्टों की कमी करने में यह हुआ कि जो पोस्टें ऐडवर्टाइज की गयी थीं वह नहीं भरनी चाहिये। यह सही है कि ऐडवर्टाइज किया जाय और सही लोग आयें और न लिये जायं, तो वह नहीं होना चाहिये और हम इस बात को देखते भी हैं कि लोगों को तखलीफ न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

कैरेक्टर रोल को देर से भेजने की शिकायत की गयी यह बात सही है कि कभी-कभी कैरेक्टर रोल के भेजने में देर हो जाती है, मगर उसके कुछ कारण अवश्य रहते हैं। कभी-कभी करेक्टर रोल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाया करते हैं, कभी-कभी आफिसर्स बदल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ कर हम देर करते हों। फिर भी हम इस बात की बराबर कोशिश करेंगे और करते रहे हैं कि कैरेक्टर रोल के भेजने में देरी न हुआ करे।

इसके अलावा आदरणीय सदन में जो उपयोगी सुझाव दिये गये हैं उनको भी हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन पर अमल किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ मई, १९६६ ई०।

## नत्थी 'क'

(देखिय अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४७ पर)

आवश्यक द्रुतगामी

प्रेषक,

निदेशक, पंचायत राज,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

आचार्य,
ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, बुलन्दशहर, बकेवर (इटावा), रुद्रपुर (नैनीताल)
बख्शी का तालाब (लखनऊ), मसौधा (फैजाबाद),
प्रतापगढ़, दोहरीघाट (आजमगढ़), गोरखपुर ।

पत्र संख्या ४/२०२३/६६-४---२४१-६६ लखनऊ दिनांक मार्च, २६, १९६६

विषय---पंचायत मंत्री प्रशिक्षण व्यवस्था की समाप्ति ।

महोदय,

आपको पूर्व ही सूचित किया जा चुका है कि दिनांक ३१ मार्च, १९६६ ई० को पंचायत मंत्री प्रशिक्षण व्यवस्था समाप्त हो जायगी ।

२---३१ मार्च, १९६६ ई० के अपरान्ह के बाद इस मद में कोई बजट प्राविधान नहीं है। अतः इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्य करने वाले सब व्यक्तियों को तब तक अवश्य ही कार्यभार से मुक्त कर देना चाहिये। किसी को भी मुक्त न करने पर उत्पन्न परिस्थितियों के लिये आप उत्तरदायी होंगे ।

३---लिपिकों / चपरासियों तथा स्वीपर को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दें अथवा सेवायें समाप्त कर दें---जैसा भी जिस पर लागू होता है। प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पंचायत) तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक (पंचायत) को यदि दिनांक ३१ मार्च, १९६६ ई० तक किसी और स्थान के लिये नियुक्ति-आदेश न मिले तो उनको बता दें कि उसी अपरान्ह से अवकाश के हेतु प्रार्थना-पत्र तथा अपना अवकाशकालीन पता अवश्य भेज दें और आप उसे अविलम्ब निदेशालय को अग्रसारित कर दें। यह इसलिये आवश्यक है कि संभव है कि उन्हें आदेश प्राप्त होने में बिलम्ब हो जाय और इस कारण उनकी सेवायें भंग हो जायें ।

भवदीय,
चद्रमोहन लाल भटनागर,
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते, निदेशक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्या ४/२०२३(१)६६-४---२४१-६३

प्रतिलिपि श्री

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी/
वरिष्ठ प्रशिक्षक (पंचायत) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, को सूचनार्थ तथा तदनुसार कार्य-अवधि में उन्हें पिछले दस मास के औसत वेतन की दर से वेतन मिल सकता है, जब कि अधिकांश की वर्तमान से निम्नपद पर नियुक्ति की संभावना है ।

चन्द्रमोहनलाल भटनागर,
(चद्रमोहन लाल भटनागर),
उप निदेशक,
(प्रशासन),
कृते, निदेशक पंचायतराज,
उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३० (४) क अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५५ पर)

### घटना का विवरण

दिनांक ४ अप्रैल, १९६६ को श्री सन्त बख्श सिंह अध्यापक दुल्लापुर स्कूल से अपने गांव मैडुआ लौट रहे थे। सुमेरगंज बाजार में उनके सगे भाई श्री भगौती बख्श सिंह मिले। दोनों भाई अपनी-अपनी साइकिलों से आगे पीछे फैजाबाद-लखनऊ सड़क से अपने घर वापस जा रहे थे। लगभग १ बजे दिन जब ये लोग ग्राम बड़ेला नरायनपुर थाना रामसनेही घाट बाबा दूबरदास की कुटी के पास पहुंचे, पीछे से एक ट्रक तेजी से आई और उनकी साइकिल से टक्कर मारी जिस से साइकिल चूर-चूर हो गई और वे धक्के से पटरी के बाहर गिरे। उसके बाद भी ड्राइवर ट्रक नहीं रोक सका और ट्रक श्री संतबख्श सिंह के ऊपर से गुजर गई जिस से उनका सर कुचल गया और उनकी उसी जगह मृत्यु हो गई।

# नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३९(२) के अंतर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर)

## काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित विवरण–१९६५–६६

### इंजीनियरिंग कालेज, वाराणसी

| नाम | कक्षा | जुलाई, १९६५ से जून १९६६ तक के लिये स्वीकृत छात्रवृत्ति अनावर्ती सहायता | वित्तीय वर्ष ६५–६६ (३१ मार्च १९६६ तक) में भुगतान की जाने वाली धनराशि | ३१ जनवरी, १९६६ तक भुगतान की नई धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १––सर्वश्री राम चरन राम | पंचम वर्ष | ९०० | ३२५ | १०७५ | ६१३ |
| २––शिया राम समर | चतुर्थ वर्ष | ९०० | ३२० | ११४५ | ६८३ |
| ३––शिव सम्पत्ति | पंचम वर्ष | ९०० | ३२५ | ११५० | ६८८ |
| ४––नत्थूलाल | तृतीय वर्ष | ९०० | ३१८ | १०६८ | ५९३ |
| ५––जगबीर सिंह | तृतीय वर्ष | ९०० | ३१८ | १०६८ | ५९३ |
| ६––आकाश दीप सोनकर | तृतीय वर्ष | ९०० | ३२३ | १०७३ | .. |
| ७––जमुना लाल | तृतीय वर्ष | ९०० | ३२३ | १०७३ | .. |
| ८––राम औतार | तृतीय वर्ष | ९०० | ३२४ | १०७४ | .. |
| ९––कृपाल सिंह | तृतीय वर्ष | ७५० | २९३ | ८९३ | ४४६ |
| १०––सुरेन्द्र प्रसाद | तृतीय वर्ष | ७५० | २९३ | ८९३ | ४४६ |
| ११––नरेन्द्र नाथ गुप्ता | चतुर्थ वर्ष | ७५० | २९३ | ८९३ | ४४६ |
| **कालेज आफ माईनिंग एन्ड मेटेलारजी, वाराणसी** | | | | | |
| १२––विश्व प्रकाश | पंचम वर्ष | ९०० | ३१२ | १२६२ | १११२ |
| १३––चन्दिका प्रसाद | चतुर्थ वर्ष | ५४० | ३०२ | ७२२ | ४९१ |
| **कालेज आफ टेक्नालाजी, वाराणसी** | | | | | |
| १४––श्री राम | पंचम वर्ष | ९०० | ३१० | १०६० | ५३० |
| **कालेज आफ म्यूजिक एन्ड फाइन आर्टस्** | | | | | |
| १५––गोकुल प्रसाद | बी० एफ० ए० तृ० व० | ३२४ | ७० | ६२० | .. |
| १६––राम प्रसाद | डी० म्यू० | ३५६ | २६४ | ६२० | ४८९ |
| **कृषि महाविद्यालय, वाराणसी** | | | | | |
| १७––हरिवंश राम | पी० एच० डी० | ५४० | १८६ | ७२६ | कालेज छोड़ दिया |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| १८—जवाहर लाल | एम० एस० सी० एजी० | ७२० | ३३३ | ९९३ | ५२६ |
| १९—हरिहर प्रसाद | एम० एस० सी० एजी० | ७२० | ३३३ | ९९३ | ५२६ |
| २०—दुक्खी राम | बी० एस० सी० एजी० | ६०० | २८९ | ८३९ | ४४४ |
| २१—अनिल कुमार सुशील | एम० एस० सी० एजी० | ७२० | ३३३ | ९९३ | ५२६ |
| २२—गुलाब नाथ | बी० एस० सी० एजी० | ५१० | २८२ | ७३२ | ३२१ |
| | द्वितीय | | | | |
| २३—श्री राज नाथ प्रसाद | बी० एस० सी० एजी०द्वि० | ४०५ | २८२ | ७३२ | ३२१ |
| २४—बाबू लाल | बी० एस० सी० एजी द्वि० | ४५० | २९२ | ६९२ | ३४६ |
| २५—मन्नू राम | बी० एस० सी० एजी० | ४५० | २९२ | ६९२ | ३४६ |
| २६—बैजनाथ | बी० एस० सी० एजी० | ३१५ | २९२ | ५३७ | २५१ |
| २७—लाल मनी राम | एम० एस० सी० एजी० | ५४० | ३३३ | ८२८ | ४८१ |
| २८—राम शृंगार राम | एम० एस० सी० एजी० | ७२० | ३३३ | ९९३ | ५८६ |
| २९—पांचू राम | बी० एस० सी० एजी० | ५७० | २८९ | ६५९ | ३५४ |
| | ला कालेज, वाराणसी | | | | |
| ३०—मोहित राम | एल० एल० बी० | ५०० | २०६ | ६०६ | २०० |
| ३१—राम अधार राम | ,, | ३१५ | २०६ | ३८१ | ७० |
| ३२—हीरा राम | ,, | ३५० | २०६ | ४१६ | १०५ |
| ३३—श्याम लाल राम | ,, | ३५० | २०६ | ४१६ | १०५ |
| ३४—श्री राम धनी राम | ,, | ५०० | २०६ | ५०६ | १५० |
| ३५—जै० श्री राम | ,, | ५०० | २०६ | ५०६ | १५० |
| | विज्ञान महाविद्यालय, वाराणसी | | | | |
| ३६—श्री गुलाब दास | बी० एस० सी० तृ० | ३२४ | २०८ | ४७८ | ३२० |
| ३७—श्री लाल जी | ,, ,, | ३२४ | २०८ | ४७८ | ३२० |
| ३८—राम दास राम | ,, ,, | ३६० | २१८ | ५३८ | ३४९ |
| ३९—मुनीव राम | ,, ,, द्वि० | ४०० | २१८ | ५३८ | ३४९ |
| ४०—होरी लाल | ,, ,, | २४३ | २१८ | ४०७ | २४४ |
| ४१—श्याम लाल | पी० यू० सी० | २४३ | १५२ | ३६८ | २३८ |
| | सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, वाराणसी | | | | |
| ४२—श्री मेवा लाल | बी० काम० तृ० | ३२४ | १९० | ४६० | ३२५ |
| ४३—राम जी | बी० ए० तृ० | ४८० | १९० | ५९० | ३९० |
| ४४—परशु राम | एम० ए० द्वि० | ६०० | २०७ | ७४७ | ५०७ |
| ४५—बलिराम | बी० ए० तृ० | ४८० | १९० | ५९० | ३९० |
| ४६—रामधारी | ,, ,, | ४८० | १९० | ५९० | ३९० |
| ४७—राम नन्दन राम | एम० ए० | ४२० | २०० | ५८५ | ४१० |
| ४८—बुद्धि राम | बी० ए० तृ० | ३२४ | १९० | ४६० | ३२५ |
| ४९—राम नरेश राम | ,, ,, | ४८० | १९० | ५९० | ३९० |
| ५०—मनोहर लाल | एम० ए० द्वि० | ४२० | २०० | ५८५ | ४१० |
| ५१—शिव पूजन राम | बी० काम० तृ० | ४८० | १९० | ४६० | ३२५ |
| ५२—जगर प्रसाद | बी० ए० तृ० | ३२४ | १९० | ४६० | ३२५ |
| ५३—जंग बहादुर रावत | बी० ए० | २४३ | १९० | ४६० | .. |
| ५४—राम सेवक | बी० ए० द्वि० | ४०० | १९० | ५१८ | ३१० |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ५५—मोहन राम | बी० ए० द्वि० | ४०० | १९० | ५१० | ३१० |
| ५६—भगवन | ,, ,, | ३६० | १९० | ४७० | २७० |
| ५७—केशव राम | बी० ए० तृ० | ३६० | १९० | ४७० | २७० |
| ५८—दयाल प्रसाद | ,, ,, | ३६० | १९० | ४७० | २७० |
| ५९—सीता राम | ,, ,, | २४३ | १९० | ३७९ | २४४ |
| ६०—दीवान राम | ,, ,, | २४३ | १९० | २७९ | २४४ |
| ६१—राम बहोरे राम | ,, ,, | २४३ | १९० | २७९ | २४४ |
| ६२—मुन्नी लाल | ,, ,, | २४३ | १९० | २७९ | २४४ |
| ६३—मिपुन राम | ,, ,, | २४३ | १९० | २७९ | २४४ |
| ६४—राम जी | ,, ,, | २४३ | १९० | २७९ | २४४ |
| ६५—गौरी शंकर | ,, ,, | २४३ | १९० | ३७९ | २४४ |
| ६६—गिरजा राम | बी० ए० तृ० वर्ष | २७० | १९० | ४०६ | २७१ |
| ६७—लालता राम | ,, ,, | २७० | १९० | ४०६ | २७१ |
| ६८—मूलचन्द्र | ,, ,, | २७० | १९० | ५०६ | २७१ |
| ६९—सूर्य बली राम | बी० काम० द्वि० | २७० | १९० | ४०६ | २७१ |
| ७०—परशुराम | ,, ,, | २७० | १९० | ४०६ | २७१ |
| ७१—राधेश्याम | बी० ए० तृ० | २७० | १९० | ४०६ | २७१ |
| ७२—रमनराम | ,, द्वि० | ४०० | १९० | ५१० | ३१० |
| ७३—नन्दू राम | ,, ,, | ४०० | १९० | ५१० | ३१० |
| ७४—राम कुमार राम | ,, तृ० | २४३ | १९० | ४०६ | ३१० |
| ७५—बाबा प्रसाद | ,, ,, | २४३ | १९० | ४०६ | ३१० |
| ७६—वकेश्वर | ,, ,, | २४३ | १९० | ४०६ | ३१० |
| ७७—ज्ञान प्रकाश | एम० काम० प्र० | ३५० | २०० | ५५० | ३०० |
| ७८—राम जनम राम | ,, ,, | २८० | २०० | ४४५ | २७० |
| ७९—लाल चन्द राम | ,, ,, | ३१५ | २०० | ४८० | ३०५ |
| ८०—जी० आर० रावत | एम० ए० प्रथम | ३१५ | २०० | ४८० | ३०५ |
| ८१—फूलचन्द्र | ,, ,, | ३१५ | २०० | ४८० | ३०५ |
| ८२—जोधन राम | ,, ,, | ३१५ | २०० | ४८० | ३०५ |
| ८३—मनोज शंकर राम | ,, ,, | ४०० | २०० | ५५० | ३५० |
| ८४—श्याम देव | ,, ,, | ४५० | २०० | ६०० | ३५० |
| ८५—राम बारी प्रसाद | ,, ,, | ४५० | २०० | ६०० | ३५० |
| ८६—यदुनाथ राम | ,, ,, | ४५० | २०० | ६०० | ३५० |
| ८७—प्यारे लाल | पी० यू० सी० | २४३ | १२१ | ३१० | १७५ |
| ८८—बसन्त प्रसाद | ,, ,, | २७० | १२१ | ३१० | २०२ |
| ८९—बधिराम प्रसाद | बी०ए० तृ० | २४३ | १९० | ४०६ | .. |

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९-२० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

बाराबंकी जिले में १९६४-६५ में एक हजार से अधिक ऋण पाने वालों और उन उद्योगों की सूची जिनके लिए ऋण दिया गया।

अ--जिन लोगों ने ऋण का उपयोग नहीं किया है उनका विवरण

| क्रम-संख्या | ऋणी का नाम | उद्योग का नाम | उद्योग स्थापित होने का स्थान | ऋण राशि |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | | | रु० |
| १ | श्री कपूर चन्द जैन | ढलाई का काम | बाराबंकी | ६,००० |
| २ | श्री नियाज अहमद | स्टील बक्स | बाराबंकी | ३,००० |
| ३ | श्री हरिशचन्द्र वर्मा | चाक बनाना | बड़ा गांव | १,२०० |
| ४ | श्री जमील अहमद | रहट | रुदौली | ३,००० |
| ५ | श्री राम सिंह | रहट | शहावपुर | ४,००० |
| ६ | श्री शाह वसीम अहमद | चूना | रुदौली | ३,००० |
| ७ | श्री सालिक राम | स्याही | बड़ागांव | २,५०० |
| ८ | श्री राम दुलारे निगम | चूना | सूरतगंज | १,५०० |
| ९ | श्री बचे लाल | मोमबत्ती | ग्राम करिपिया | २,५०० |
| १० | श्री बनवारी लाल गुप्ता | रहट | सफदरगंज | २,००० |
| ११ | श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल | चूना | भिटरिया | ५,००० |
| १२ | श्री मैकूलाल गुप्त | रहट | ग्राम चन्द्रवारा | २,००० |
| १३ | श्री कमरुद्दीन | स्टील बक्स | फतेहपुर | २,००० |
| १४ | श्री शीतला प्रसाद | चूना | फतेहपुर | २,००० |
| १५ | श्री दयाशंकर | चूना | सुमेरगंज | ५,००० |
| १६ | श्री जगदम्बा बख्श सिंह | चूना | हैदरगढ़ | ७,००० |
| १७ | श्री सियाराम जायसवाल | रहट | सूरतगंज | २,००० |
| १८ | श्री अली हैदर | कार्टन | फतेहपुर | २,००० |
| १९ | श्री रामेश्वर प्रसाद | कृषियंत्र | बाराबंकी | ३,००० |
| २० | कृष्णकान्त रावत | रेडियो सैट | ग्राम न्योछना | ३,००० |

ब--जिन लोगों ने प्राप्त ऋण का उपयोग नहीं किया है उनका विवरण

| क्रम-संख्या | ऋणी का नाम | उद्योग | स्थान जहां उद्योग स्थापित होना था | ऋण राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० |
| २१ | श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता | अलमूनियम के वर्तन | बाराबंकी शहर | ७,००० |
| २२ | श्री कौशलेन्द्र बली | बुडस्कूल | दरियाबाद | ७,००० |
| २३ | श्री चन्द्रसेन जैन | जूट फाइवर | गनेशपुर | ४,००० |
| २४ | श्री रमजान अली | स्टीलवर्क्स | फतेहपुर | २,००० |
| २५ | श्री लषन शरण | निकिल प्लेटिंग | लछमनपुर (हरख) | २,००० |
| २६ | श्री शोभा राम | प्लास्टिक | बड़ागांव | ३,००० |
| २७ | श्री अर्जुन सिंह | चूना | शहावपुर (चौकी) | ५,००० |

# नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७५ पर)

## सूची प्रार्थनापत्र बन्दूकों के लाइसेन्सों में जिला सीमा के स्थान पर उत्तर प्रदेश की स्वीकृति हेतु, जिला एटा

| क्रम-संख्या | नाम प्रार्थी | ग्राम | थाना | प्रार्थना-पत्र पेश करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री फकीरे | एटा | एटा | २८-४-६५ |
| २ | ,, नवाबसिंह चौहान | ,, | ,, | ११-६-६५ |
| ३ | ,, बालमुकुन्द | बापसा | ,, | १७-६-६५ |
| ४ | ,, राम मोहन लाल | एटा | ,, | १६-६-६५ |
| ५ | ,, भगवानदास | मलावन | सकीट | ६-४-६५ |
| ६ | ,, जमादार सिंह | सकीट | ,, | १६-७-६५ |
| ७ | ,, भमरसिंह | पराखेड़ा | ,, | २२-७-६५ |
| ८ | ,, बिहारी | विरासतपुर | ,, | २६-८-६५ |
| ९ | ,, रघुवीर सिंह | डूगरपुर | ,, | ७-१०-६५ |
| १० | ,, रामचरन | फफीत | ,, | १७-१०-६५ |
| ११ | ,, राजाराम | ,, | ,, | १७-१०-६५ |
| १२ | ,, लक्षमण सिंह | जरारखेड़ा | ,, | २७-१२-६५ |
| १३ | ,, माधूराम | जनलापुर | ,, | २२-१२-६५ |
| १४ | ,, रमेश चन्द | ,, | ,, | २२-१२-६५ |
| १५ | ,, ज्वाला प्रसाद | मुजफ्फरपुर | ,, | २७-१२-६५ |
| १६ | ,, राजपाल | सलेमपुर | निधौली कलां | २९-९-६५ |
| १७ | ,, विजयपाल | झनवार | ,, | २२-१०-६५ |
| १८ | ,, वृजकिशोर | कासगंज | कासगंज | २-३-६५ |
| १९ | ,, श्रीराम | मेहारी | ,, | १८-६-६५ |
| २० | ,, विक्रम सिंह | गौरहा | ,, | ११-७-६५ |
| २१ | ,, रनवीरसिंह | किसरौली | ,, | १७-८-६५ |
| २२ | ,, नेत्रपाल | भरतपुर | सोरों | २७-७-६५ |
| २३ | ,, किशन लाल | सादिकपुर | सहावर | १८-६-६५ |
| २४ | ,, कन्हैयालाल | सहावर | ,, | ५-७-६५ |
| २५ | ,, जमुना सिंह | तासरू | सोरों | २४-२-६५ |
| २६ | ,, जवाहरसिंह | न० खुशाली | ,, | २५-३-६५ |
| २७ | ,, तेजवीर | सोरों | ,, | ७-४-६५ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| २८ | श्री कमलाकान्त सिंह | .. न० खुशाली | सारी | १५-४-६५ |
| २९ | ,, उमराउ | .. मिर्जापुर | ,, | ३-६-६५ |
| ३० | ,, रामचन्द्र | .. न० पही | कासगंज | ३१-१२-६५ |
| ३१ | ,, भगवानदास | .. चांदपुर | सिंढपुरा | ३१-३-६५ |
| ३२ | ,, राम निवास | .. टंडरा | सिंढपुरा | २३-७-६५ |
| ३३ | ,, शिवराज सिंह | .. बाछमई | जमांपुर | २५-१-६५ |
| ३४ | ,, रूपकिशोर | .. खेड़ा | ,, | १८-६-६५ |
| ३५ | ,, जगन्नाथ प्रसाद | .. अर्मापुर | ,, | २२-११-६५ |
| ३६ | ,, सन्तोष कुमार | .. अलीगंज | अलीगंज | ११-१-६५ |
| ३७ | ,, युधिष्ठिर सिंह | .. ससोता | ,, | १३-१-६५ |
| ३८ | ,, अब्दुलहसन | .. भरौली | ,, | १०-२-६५ |
| ३९ | ,, यदुनाथ सिंह | .. बिलखड़ | ,, | १-६-६५ |
| ४० | ,, रामबाबू | .. अलीगंज | ,, | ५-७-६५ |
| ४१ | ,, परषोत्तम नारायन | .. चांदनपुर | ,, | २९-६-६५ |
| ४२ | ,, शिवसहाय | .. न० मोहन | ,, | १९-९-६५ |
| ४३ | ,, कनौजीलाल | .. अलीगंज | ,, | २९-१२-६५ |
| ४४ | ,, जाहिद हुसैन | .. अलीपुर | ,, | २७-१२-६५ |
| ४५ | ,, देवीसहाय | .. भीमपुर | ,, | २७-१२-६५ |
| ४६ | ,, सियाराम | .. देहेलियापुर | ,, | २८-१०-६५ |
| ४७ | ,, देवलाल | .. अहरई | जैथरा | १-१-६५ |
| ४८ | ,, रघुवीर सिंह | .. बरौलिया | ,, | ४-१-६५ |
| ४९ | ,, धनपाल | .. इरसिंगपुर | ,, | २-३-६५ |
| ५० | ,, मुनव्वर खां | .. लुहारी गबी | ,, | ५-८-६५ |
| ५१ | ,, बूजवासी | .. थाना बरियावगंज | पटियाला | २-३-६५ |
| ५२ | ,, लालसिंह | .. करनपुर | ,, | २०-५-६५ |
| ५३ | ,, धरमजीत | .. सूदरगंज | ,, | २-३-६५ |
| ५४ | ,, इतवारी | .. ,, | ,, | २-५-६५ |
| ५५ | ,, सोवरनसिंह | .. ककराला | ,, | १३-५-६५ |
| ५६ | ,, सियाराम | .. नरधर | ,, | २७-८-६५ |
| ५७ | ,, प्रेमपाल सिंह | .. ,, | ,, | ७-१०-६५ |
| ५८ | ,, राजपाल | .. न० दलू | ,, | १४-११-६५ |
| ५९ | ,, सालिगराम | .. न० कटीला | ,, | २०-११-६५ |
| ६० | ,, सुरेन्द्रसिंह | .. न० धाता | ,, | १४-१२-६५ |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ६१ | श्री हरबंश सिंह | नरधर | पटियाली | २१–१२–६५ |
| ६२ | ,, महाराज सिंह | नगरिया गढ़ी | ,, | २७–१२–६५ |
| ६३ | ,, शेरसिंह | न० तिलक | गंजडुंडवारा | १५–२–६५ |
| ६४ | ,, राम कृपाल | गंजडुंडवारा | ,, | ३–७–६५ |
| ६५ | ,, राम विलास | पीतम नगर | ,, | २८–१२–६५ |
| ६६ | ,, सूरजपाल | लखनीपुर | ज्ञानेश्वर | २१–२–६५ |
| ६७ | ,, बासदेव | रशीदपुर | ,, | ४–५–६५ |
| ६८ | ,, किशनलाल | न० नैनसुख | ,, | १७–५–६५ |
| ६९ | ,, गेंदालाल | सियराम | ,, | १३–५–६५ |
| ७० | ,, बाबूसिंह | कासिमपुर | ,, | २०–९–६५ |
| ७१ | ,, नारायन सिंह | फाजिलपुर | ,, | १३–११–६५ |
| ७२ | ,, लाखन सिंह | जलेसर | ,, | २२–१२–६५ |
| ७३ | ,, रामदयाल | भीसा | अवागढ़ | ६–१–६५ |
| ७४ | ,, माधोसिंह | ,, | ,, | १०–१–६५ |
| ७५ | ,, निरोत्तम सिंह | अवागढ़ | ,, | २१–४–६५ |
| ७६ | ,, रामचन्द सिंह | वसुधारा | ,, | ११–४–६५ |
| ७७ | ,, हीरासिंह | न० गंगा | ,, | २–६–६५ |
| ७८ | ,, ईश्वरी प्रसाद | न० बन्दा | ,, | ११–६–६५ |
| ७९ | ,, कुंवर पाल | नवागढ़ | ,, | १७–७–६५ |
| ८० | ,, तोताराम | न० बन्दा | ,, | २१–७–६५ |
| ८१ | ,, रघुवीरसिंह | जरानी | ,, | २६–७–६५ |
| ८२ | ,, उदेराम | ,, | ,, | २६–७–६५ |
| ८३ | ,, उमाशंकर | ,, | ,, | १०–८–६५ |
| ८४ | ,, रामसिंह | इमालिया | भारहरा | ३–६–६५ |

## नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८० पर)

संख्या १००–एस०सी०/२-बी––३१६–१९६४

प्रेषक,

श्री के० एन० धुसिया,
उप-सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक १५ मार्च, १९६५।

---

विषय––सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए किए गए आरक्षण को सुनिश्चित करने के हेतु एक क्रमावलि (Roster) का रखा जाना।

---

महोदय,

नियुक्ति (ख) विभाग।

मुझे पार्श्वांकित शासकीय आदेशों की ओर आप का ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है कि (१) संख्या २३२८/२-बी––१०४–१९५२, दिनांक २२ सितम्बर, १९५३। जिनके अनुसार (२) संख्या ४९२७/२-बी––१५८–१९५७, दिनांक ६ जनवरी, १९५८। सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति करके भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का १८ प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार की जानकारी में यह बात लायी गई है कि नियुक्ति प्राधिकारी इन आदेशों को कार्यान्वित करने में उस समय कठिनाई अनुभव करते हैं जब कि रिक्त स्थानों की संख्या कम होती है। इस कठिनाई को दूर करने और सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों के लिए किए गए १८ प्रतिशत वर्तमान आरक्षण को समुचित रीति से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में २५ रिक्त स्थानों वाली निम्नलिखित आदर्श क्रमावलि अपनाने का निश्चय किया गया है, जिसे समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को रखना चाहिए:

(१) समस्त सेवाओं तथा पदों के लिए २५ रिक्त स्थानों वाली क्रमावलि:

| | | |
|---|---|---|
| १ | .. | अनुसूचित जाति |
| २ से ६ तक | .. | अनारक्षित |
| ७ | .. | अनुसूचित जाति |
| ८ से १२ तक | .. | अनारक्षित |
| १३ | .. | अनसूचित जाति |
| १४ से १८ तक | .. | अनारक्षित |
| १९ | .. | अनुसूचित जाति |
| २०से २४ तक | .. | अनारक्षित |
| २५ | .. | अनुसूचित जाति |

उपर्युक्त क्रमावलि के प्रत्येक दूसरे आवर्तन में पच्चीसवां रिक्त स्थान अनारक्षित माना जायगा।

२--आपका ध्यान शासकीय आदेश संख्या ७९-एस० सी०/दो-बी--३०४-१९६३, दिनांक ३ जून, १९६४ की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह निश्चय किया गया है कि भविष्य में लिपिकीय तथा अवर सेवाओं में की जाने वाली भर्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण उस समय तक क्रमशः २५ प्रतिशत और ४५ प्रतिशत होगा जब तक कि इन सेवाओं में १८ प्रतिशत का उनका कोटा पूरा न हो जाय। इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए लिपिकीय तथा अवर सेवाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो क्रमावलियां अपनाने का निश्चय किया गया है :

२--(क) लिपिकीय सेवाओं के लिए २० रिक्त स्थानों वाली क्रमावलि :

| | | |
|---|---|---|
| १ | .. | अनुसूचित जाति |
| २ से ५ तक | .. | अनारक्षित |
| ६ | .. | अनुसूचित जाति |
| ७ से १० तक | .. | अनारक्षित |
| ११ | .. | अनुसूचित जाति |
| १२ से १५ तक | .. | अनारक्षित |
| १६ | .. | अनुसूचित जात |
| १७ से १९ तक | .. | अनारक्षित |
| २० | .. | अनुसूचित जाति |

(ख) अवर सेवाओं के लिए ९ रिक्त स्थानों वाली क्रमावलि :

| | | |
|---|---|---|
| १ | .. | अनुसूचित जाति |
| २ से ३ तक | .. | अनारक्षित |
| ४ | .. | अनुसूचित जाति |
| ५ से ६ तक | .. | अनारक्षित |
| ७ | .. | अनुसूचित जाति |
| ८ | .. | अनारक्षित |
| ९ | .. | अनुसूचित जाति |

३--मुझे यह भी कहना है कि यदि लिपिकीय तथा अवर सेवाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रतिशत १८ से कम हो, २० तथा ९ रिक्त स्थानों वाली क्रमावलियों संख्या २ (क) तथा २ (ख) लागू होंगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए विर्धारित १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पूर्णतया सुनिश्चित न हो जाय। जैसे ही यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जायगा २५ रिक्त स्थानों वाली क्रमावलि लागू हो जायगी और २० तथा ९ रिक्त स्थानों वाली क्रमावलियों का प्रवर्तन समाप्त हो जायगा।

४--ये आदेश तत्काल प्रचलित हो जायेंगे। कृपया इन आदेशों को समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना तथा पथ-प्रदर्शन के लिए उनकी जानकारी में लाया जाय।

भवदीय,

के० एन० धुसिया,

उप-सचिव।

संख्या १००–एस० सी० (१)/दो–बी––३१६–१९६४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित :

(१) सचिवालय के समस्त विभाग।
(२) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(३) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(४) राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सचिव।
(५) मन्त्रियों के सूचनार्थ, मन्त्रियों के समस्त वैयक्तिक सहायक।
(६) समस्त उपमन्त्री तथा सभा सचिव।

आज्ञा से,
के० एन० धुसिया,
उप-सचिव।

## नत्था 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८३ पर)

P. M. no. 167 of November 9, 1965.

On the body of CHAKKAR, son of Paragi Pasi, resident of Tendwa, house of Para, P. S. Sadarpur, District Sitapur.

*Dated Sitapur, November* 9, 1965, 12 *Noon*

Brought by C/Indrapal Jaiswal, no. 423/CP, P. S. Sandarpur, Sitapur and V- Ram Nath of Village Tendwa, P. S. Sadarpur, Sitapur.

PMR no. 167. Age about 70 years.

Probable time since death about 3-4 days.

*External Examination*

Condition of the body .. Average built, Rigor Mortis passed off, Decomposition present; Abdomen Scrotum distended; .. skin peeling off almost all over body. Swelling of hands and feet present due to fluid.

Eyes closed. Skin of hands and feet shows dermatities with thickened nails; Buttocks Eczematous; Mouth open; Tongue swollen.

Natural orifices .. N.A.D.

No mark of ante-mortem injuries present.

No abrasions present as described in the Post-Mortem papers of the Police. Skin peeling off at places has been mistaken to be abrasions.

Hydroceil present on both sides more on left.

Oedema on hands and feet present on both sides.

*Internal Examination*

Scalp and Skull Bones .. NAD; dacomposition present in scalp.

Membrances .. N. A. D.

Head .. Decomposition present; N. A. D.

Base of the skull .. N. A. D. Vertebrae ————

Spinal Cord .. Not exposed. Additional Remarks.....

———— THORAX

Walla etc. .. Decomposition present; N. A. D.

Pleura .. Adherent pleura present markedly on right side and is thickened.

Bronchi etc. .. Decomposition present; congested; N.A.D.

Right lung .. Multiple area of pus collections present on the rignt lung all over more on upper part.

Left lung .. Amphysematous cysts present; a big sized cyst about 2 1/2" diameter present on left lower lobe; lung.

Heart with weight .. Empty both sides; weight 8 Oza.

Vessels .. Decomposition present; congested; N.A.D. Lungs—

Additional Remarks .. Emphysematous and Pneumonia present on right side.

*Abdomen*

Walls—Decomposition present; N. A. D. Peritoneum:---N. A. D.
Cavity --Teeth—14/16; tongs swollen.
Oesophagus..NAD; post-mortem docomposition present.
Stomach and its contents—Empty; docomposition present; N.A.D.
Small intestines—Empty pale; decomposition present.
Large intestine—Empty in upper part; decomposition present; full in lower part.
Gall bladder---Half full; liver decomposition present; weight 1 lb., and 10 Ozs.
Pancreas—Decomposition present; N. A. D.
Spleen 2 1/2 Ozs. N. A. D.
Kidneys—Decomposition present; both 6 Ozs; N. A. D.
Bladder—Empty; N. A. D.
Organs of generation—N. A. D.
Opinion as to cause and manner of death—Death caused by pneumonia of already emphysematous lungs.

Sitapur:

*November* 9, 1965.

(Sd.) N. VERMA;
(Dr. N. VERMA),
*M. O. Incharge, T. B. Clinic, Sitapur.*

*Enclosures*—Nine, Signed.

TRUE COPY
(Sd.) S. N. GHOSH,
*Superintendent of Police,*
*Sitapur*

# नत्थी 'ज'

(देखिए तारांकित प्रश्न ९९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८७ पर)

## वर्तमान सीजन १९६५–६६ में गोला मिल द्वारा १–२–६६ तक क्रय केन्द्रों से खरीदे तथा पेरे गए गन्ने का विवरण

| नाम केन्द्र | १–२–६६ तक गन्ना जो खरीदा व पेरा गया |
|---|---|
| | (क्विंटलों में) |
| १—गोला गेट .. .. .. | १०,६३,३३३.५१ |
| २—भीरा खीरी .. .. .. | ३,५६,१२७..०१ |
| ३—पलिया .. .. .. | १३,२८,३५१.२९ |
| ४—कुकरा .. .. .. | १,३९,११०.५५ |
| ५—अन्य क्षेत्रों से .. .. .. | ३,४२,५७८.०३ |
| कुल योग .. | ३२,२९,५००.३९ |

## नत्थी 'झ'

(देखिए तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८८ पर)

### तालिका

वर्तमान सीजन में बदायूं जिले के क्रय केन्द्रों के चालू होने तथा वे २८-२-६६ तक जितने दिन बन्द रहे उसका विवरण

| क्रम-संख्या | सेन्टर के नाम | चालू होने की तारीख | २८-२-६६ तक सेन्टर बन्द रहने के दिनों की संख्या |
|---|---|---|---|
| १ | मुन्नू नगर .. .. | ३०-११-६५ | ४१ |
| २ | आसफपुर .. .. | २९-११-६५ | ४० |
| ३ | बिसौली .. .. .. | २३-११-६५ | ४४ |
| ४ | मुन्डिया .. .. .. | २२-११-६५ | २८ |

# नत्थी 'ञ'

(देखिए तारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८६ पर)

## सूची

| क्रम-संख्या | नाम व पूरा पता | संख्या पावर-लूम |
|---|---|---|
| १ | श्री रामवृक्ष सिंह पुत्र जगदेव सिंह व श्री शिवबली सिंह, वार्ड नं ०३, बहादुरगंज .. .. .. | ४ |
| २ | श्री केशव पुत्र महादेव व रामगोविन्द पुत्र गया वार्ड, नं० ३, बहादुरगंज .. .. .. | २ |
| ३ | श्रीमती विन्ध्याचली देवी पत्नी श्री बद्री नारायण, वार्ड नं० २ बहादुरगंज .. .. .. | २ |
| ४ | श्रीमती सुदामी देवी पत्नी श्री गणेश प्रसाद, वार्ड नं० २, बहादुरगंज .. .. .. | २ |
| ५ | श्रीमती प्रभादेवी पत्नी श्री राधेश्याम, वार्ड नं० २—बहादुरगंज | २ |
| ६ | श्री मुशर्रफ जहां खां पुत्र असरफ जमां खां पठान टोली, बहादुरगंज | २ |
| ७ | श्री मोहिउद्दीन खां पुत्र निजामुद्दीन खां, मोहल्ला पठान टोली, बहादुरगंज .. .. .. | ४ |
| ८ | श्री मोहिउद्दीन खां पुत्र असफन्द यार खां, मोहल्ला पठानटोली, बहादुर गंज .. .. .. | २ |
| ९ | श्री मुस्ताक अहमद अंसारी, पुत्र इब्राहीम, पुरानीगंज, बहादुरगंज | ४ |

## नत्थी 'ट'

(देखिए तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८९ पर)

| क्रम-संख्या | छात्र का नाम तथा कक्षा | संस्था का नाम | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|
| १ | श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, प्रथम वर्ष (बी० ई० सिविल) | रुड़की यूनिवर्सिटी, रुड़की .. | ४०० |
| २ | श्रीदत्त शर्मा, प्रथम वर्ष, (बी० ई० सिविल) | ,, .. | ४०० |
| ३ | श्री अरुण कुमार मेहरोत्रा, चतुर्थ वर्ष । | ,, .. | ४०० |
| ४ | महेन्द्र कुमार मलिक, तृतीय वर्ष | इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर । | ४०० |
| ५ | श्री असमी रसीद किदवई, तृतीय वर्ष इन्जीनियरिंग । | मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ | ५०० |
| ६ | रंजोत मित्रा, एम० एस, सी० (टेक) फाइनल । | जे० के० इंस्टीटयूट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद । | ४०० |
| ७ | वेद प्रकाश, द्वितीय वर्ष (टेली-काम) | रुड़की यूनिवर्सिटी, रुड़की .. | ४०० |
| ८ | उमेश कुमार मिश्रा, प्रथम वर्ष | इंडियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर । | ४०० |
| ९ | बी० के० गुप्ता फाइनल वर्ष .. | रुड़की यूनिवर्सिटी, रुड़की .. | ३०० |
| १० | सुशील कुमार, फाइनल वर्ष .. | ,, .. | ४०० |
| ११ | आर० पी० अरोन, फाइनल वर्ष | ,, .. | ३५० |
| १२ | हरीश चन्द्र वालिया .. | मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद । | ४०० |
| १३ | सिद्धीनाथ उपाध्याय .. | ,, .. | ४०० |
| १४ | बिशन मनोहर .. | ,, .. | ४०० |
| १५ | पद्म देव सिंह, द्वितीय वर्ष, (इंजीनियरिंग) | बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी | ४०० |
| १६ | भारतेन्दु भरद्वाज, तृतीय वर्ष, (इंजीनियरिंग) | मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ .. | ५०० |
| १७ | श्री राम रघुवीर सक्सेना, प्रथम वर्ष | इंडियन इस्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर । | ३०० |
| १८ | एस० के० बनर्जी तृतीय वर्ष | .. | ३०० |
| १९ | आनन्द सिंह बिष्ट, प्रथम वर्ष | मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद । | ३०० |
| २० | जगत बहादुर सिंह, प्रथम वर्ष .. | ,, .. | ५०० |
| २१ | सुभू भट्टाचार्यजी तृतीय वर्ष | बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी | ४०० |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| २२ | कोमलचन्द अग्रवाल, फाइनल वर्ष। | बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी | ३०० |
| २३ | एस० सी० अग्रवाल, चतुर्थ वर्ष | इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर। | १५० |
| २४ | मुहम्मद अनवर काजमी, तृतीय वर्ष। | मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ | १०० |
| २५ | मुहम्मद जावेद काजमी, प्रथम वर्ष | ,, .. | १०० |
| २६ | श्याम सुन्दर गर्ग, पोस्ट डिग्री कोर्स। | गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर। | ४०० |
| २७ | निरमल कुमार दुबे, तृतीय वर्ष, डिग्री कोर्स। | इंडियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी, मद्रास। | ४०० |
| २८ | सुरेश कुमार, चतुर्थ वर्ष .. | बिड़ला इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी, रांची। | ४०० |
| २९ | राम बचन सिंह, प्रथम वर्ष (माइनिंग)। | माइनिंग इंटीट्यूट कोडरमा, हजारीबाग। | ५०० |
| ३० | सुरेश चन्द्र गुप्ता, चतुर्थ वर्ष (एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)। | इंडियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलाजी, खडगपुर। | ४०० |
| ३१ | ज्ञान प्रकाश गुप्ता, द्वितीय वर्ष (मेरिन इंजीनियरिंग)। | डाइरेक्टरेट आफ मेडिन इंजीनियरिंग, कलकत्ता। | ४०० |
| ३२ | ज्ञानेश्वर गोयल, पंचम वर्ष | माधव इंजीनियरिंग कालेज, ग्वालियर। | ४०० |
| ३३ | गोविन्द बिहारी श्रीवास्तव, द्वितीय वर्ष। | इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद | ५०० |
| | | योग .. | १२,२०० |

## नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४९३ पर)

## उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५९

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ को आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५९ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(क) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ङ) 'मापक यंत्र' का तात्पर्य तोलन यंत्र से भिन्न किसी भी मापक यंत्र से है, और जिसके अन्तर्गत किसी वस्तु की लम्बाई, क्षेत्रफल आयतन, धारणशक्ति, प्रकार, तापमान या घनत्व का अवधारण करने में प्रयुक्त कोई यंत्र भी है;"

ऐक्ट संख्या ३, १९०६

(ख) खन्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(च) 'टकसाल' का वही अर्थ होगा जो इंडियन क्वायनेज ऐक्ट, १९०६ में शब्द "मिंट" के लिये दिया गया हो;

(ग) खण्ड (झ) के पश्चात निम्नलिखित खन्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(झ झ) 'सीलबन्द पैकेट या पात्र' का तात्पर्य किसी ऐसे छोटे बन्डल, बोतल, पेटिका, टीन, लकड़ी का पीपा (बैरेल), खोल, आधान, थैला, बोरा, वेष्टक या अन्य चीजों से है जिनमें कोई वस्तु रक्खी जाय अथवा बन्द की जाय और जो उसकी अन्तर्वस्तुओं के साथ किन्तु बिक्री के समय उक्त अन्तर्वस्तुओं की तौल या माप किये बिना बेचने के लिये अभिप्रेत हो;" और

(घ) खण्ड (ञ ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात :—

"(ञ ञ) व्याकरण संबंधी परिवर्तनों तथा सजातीय पदों सहित 'व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त' का तात्पर्य—

(क) किसी ऐसी संविदा में या उसके संबंध में, चाहे वह बिक्री, क्रय, विनिमय अथवा अन्य प्रकार की हो; या

(ख) किसी अधिःशुल्क, पथकर शुल्क या अन्य देयों के निर्धारण में या उसके संबंध में हो; या

(ग) किये गये किसी ऐसे कार्य या की गयी किन्हीं ऐसी सेवाओं के निर्धारण में या उनके संबंध में जो शोध या वैज्ञानिक अध्ययन के संबंध में अथवा गृहस्थी के प्रयोजनों के लिये वैयक्तिक गृहस्थी के संबंध में किये गये कार्य या की गयी सेवाओं से भिन्न हो, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन, धारणशक्ति या भार की माप में किसी वस्तु की मात्रा का अवधारण करने या उसकी घोषणा करने के लिये प्रयुक्त से है";

धारा ७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायें, अर्थात्—

(१) किसी अन्य विधि अथवा किसी रुढि, प्रथा या चलन में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के प्रारम्भ होने से तीन महीने की समाप्ति के पश्चात किसी ऐसे क्षेत्र में अथवा माल या व्यवसाय संस्थाओं के ऐसे वर्ग के जिसके संबंध में यह धारा प्रवृत्त हो गयी हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में, किसी मानक बाट या माप के अतिरिक्त कोई धन या माप की इकाई प्रयोग में नहीं लायी जायगी और न उसे किसी ऐसे भू-गृहादि में रक्खा जायगा जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के उल्लंघन करके किया गया कोई व्यवहार शून्य होगा।

धारा ८ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (१) में शब्द "कोई व्यवहार, अथवा संविदा" के स्थान पर शब्द "व्यापार या वाणिज्य का कोई व्यवहार" रख दिये जायें।

नया अध्याय २—क का बढ़ाया जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ाया जाय, अर्थात्—

## अध्याय २—क

### व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्रों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का निबन्धन

व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्रों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का निबन्धन

८—क (१)—कोई भी व्यक्ति जो परिभ्रामी विक्रेता न हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में कोई बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र के व्यवसाय के साधारण दौरान में तब तक प्रयोग न करेगा जब तक कि वह नियत अवधि के भीतर नियंत्रक से अपना निबन्धन न करा ले और उसके प्रतीक स्वरूप उनसे एक प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले।

(२) उपधारा (१) के अधीन निबन्धन के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र नियंत्रक को दिया जायगा और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे जो नियत किये जायें

(३) यदि नियंत्रक को यह समाधान हो जाय कि निबन्धन का प्रार्थना-पत्र ठीक है, तो वह प्रार्थी का निबन्धन करेगा और उसको नियत प्रपत्र में निबन्धन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

**धारा १० का संशोधन**

९—मूल अधिनियम की धारा १० में शब्द "प्रयुक्त किया जायगा" के स्थान पर शब्द "प्रयुक्त किया जायगा और न प्रयुक्त करने के लिये रक्खा जायगा" रख दिये जायं।

**धारा १२ का संशोधन**

१०—मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "मापने के यंत्र" और शब्द "का निर्माण" के बीच में शब्द "अथवा उसके किसी भी भाग" बढ़ा दिये जायें।

**धारा १३ का संशोधन**

११—मूल अधिनियम की धारा १३ के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खन्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खन्ड रख दिये जायें, अर्थात्—

"किन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी —

(१) किसी ऐसे सीलबन्द पैकेट या पात्र पर जिसके भीतर रखी गयी वस्तु का शुद्ध भार—

(क) बिस्कुट, कनफेक्शनरी या अन्य मिठाइयों की दशा में, १२० ग्राम से कम हो; या

(ख) किसी अन्य खाद्य पदार्थ की दशा में, ६० ग्राम से कम हो, या

(२) किसी ऐसी अन्य वस्तु पर जो साधारणतया बाट या माप के अनुसार न बेची जाती हो,

परन्तु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी वर्ग के सीलबन्द पैकेटों या पात्रों के आकार के कारण इस धारा के उपबन्धों का पालन करना अव्यावहारिक है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे वर्ग को इस धारा के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।"

**नयी धारा १३—क का बढ़ाया जाना**

१२—मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

मानक बाट या माप से भिन्न बाट या माप के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य या उसकी मात्रा बताने पर निषेध

"१३—क—कोई भी व्यक्ति व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में मानक बाट या माप के अभिधान से भिन्न बाट या माप के अभियान के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य या उसकी मात्रा नहीं बतायेगा।"

**धारा १६ का संशोधन**

१३—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी भू-गृहादि में हो" के स्थान पर शब्द "जो किसी ऐसे भू-गृहादि में हों जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों" रख दिये जायें, और शब्द "बाट अथवा तोलने या मापने के यंत्र" के स्थान पर शब्द "बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र" रख दिये जायें।

(२) उपधारा (३) में शब्द "समस्त बाटों, मापों, तोलने अथवा मापने के यंत्रों को, जो उसके द्वारा प्रयोग किये जाते हों अथवा जो उसके कब्जे में हों अथवा जो व्यापार के लिये प्रयुक्त होने वाले किसी भू-गृहादि में रक्खे हुए हों" के स्थान पर शब्द "समस्त बाटों, मापों, तोलने और मापने के यंत्रों को, जो उनके द्वारा व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त किये जाते हों अथवा जो उसके कब्जे में हों अथवा किसी ऐसे भू-गृहादि में रक्खे हुए हों जहां पर सामान्तया ऐसे व्यवहार किये जाते हों" रख दिये जायें।

(३) उपधारा (५) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खन्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त पैकेट या पात्र को उसमें रक्खी हुई वस्तु को क्षति पहुंचाये बिना फिर से सीलबन्द करना सम्भव न हो तो निरीक्षक पैकेट या पात्र को उसमें रक्खी हुई वस्तु सहित ऐसा मूल्य देकर खरीद लेगा जिसकी गणना उस दर पर की जायगी जिस पर वह वस्तु सामान्यतया जनता को बेची जाती है।" ; और

(४) उपधारा (६) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण: यदि किसी भू-गृहादि का प्रयोग आंशिक रूप से व्यापार और आंशिक रूप से निवास के लिये किया जाता हो तो इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, ऐसे संपूर्ण भू-गृहादि को ऐसा स्थान माना जा सकता है जहां पर व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र प्रयुक्त किये जाते हों अथवा प्रयोग किये जाने के लिये रक्खे जाते हों।"

धारा २२ का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द तथा कामा "दिलवाता है," और शब्द "वह प्रथम अपराध" के बीच में शब्द तथा कामा "अथवा किसी ऐसे भू-गृहादि में जहां पर सामान्यतया ऐसे व्यवहार किये जाते हों, मानक बाट या माप से भिन्न धन या माप की कोई इकाई रखता हो," बढ़ा दिये जायें।

धारा २५ का संशोधन

१२--मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द "के यंत्र" और शब्द "का निर्माण" के बीच में शब्द "अथवा उसके किसी भाग" बढ़ा दिये जायें।

नयी धारा २६-क का बढ़ाया जाना

१३--मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

निबन्धन न कराने के लिये शास्ति

"२६-क--जो व्यक्ति धारा ८-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह अर्थ दन्ड से दन्डनीय होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है।"

नयी धारा २७-क का बढ़ाया जाना

१४--मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढा दी जाय, अर्थात्--

धारा १३-क का उल्लंघन करके मूल्य या माल बेचने के लिये शास्ति

"२७-क--जो व्यक्ति धारा १३-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह अर्थ-दन्ड से दन्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

धारा ३० का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा ३० में शब्द "निर्मित करता है, बेचता है या निस्तारित करता है अथवा निर्मित करवाता है, बिकवाता है या निस्तारित करवाता है, के स्थान पर शब्द "निर्मित करता है, उसकी मरम्मत करता है या उसे बेचता है अथवा निर्मित करवाता है, उसकी मरम्मत करवाता है या उसे बिकवाता है" रख दिये जायें।

धारा ३१ के स्थान पर नयी धार का रक्खा जाना

१६—मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"३१—जो व्यक्ति—

संविदा आदि में बाट या माप के अनुसार निश्चित मात्रा से कम या अधिक मात्रा में किसी वस्तु को देने या लेने के लिये शास्ति

(१) किसी वस्तु को तोलकर या मापकर बेचते समय क्रेता को ऐसे बाट या माप के अनुसार उस निश्चित मात्रा से जितने के लिए उक्त वस्तु के संबंध में संविदा या व्यवहार किया गया हो, कम मात्रा में उस वस्तु को देता है अथवा दिलवाता है, या

(२) किसी वस्तु को तोलकर या मापकर खरीदते समय बिक्रेता से ऐसे बाट या माप के अनुसार उस निश्चित मात्रा से जितने के लिये उक्त वस्तु के संबंध में संविदा या व्यवहार किया गया है, अधिक मात्रा में उस वस्तु को मांगता है या लेता है अथवा मंगवाता है या लिखवाता है, वह अर्थ दन्ड से दन्ड्य होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

धारा ३३ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायें।

नयी धारा ३७—क का बढ़ाया जाना

१८—मूल अधिनियम की धारा ३७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

अपराधों के संबंध में समझौता

"३७—क—(१) धारा २२ या धारा २४ के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध को छोड़कर, धारा २२, धारा २३ धारा, २४ धारा २६ धारा २६—क, धारा २७, धारा २७—क, धारा ३१ या धारा ३३ के अधीन दन्डनीय किसी अपराध के संबंध में अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा पश्चात् ऐसी धनराशि का भुगतान किये जाने पर जो वह उचित समझे, नियंत्रक द्वारा समझौता किया जा सकता है।

(२) अपराधी द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने पर, अपराधी, यदि हिरासत में हो, तो छोड़ दिया जायगा और यदि अपराध के संबंध में अपराधी के विरुद्ध किसी फौजदारी न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित की गयी हो तो समझौता विमुक्ति समझा जायगा तथा ऐसे अपराध के लिये उसके विरुद्ध और कोई फौजदारी कार्यवाही नहीं की जायगी।"

धारा ३९ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ३९ की उपधारा (२) में जहां जहां भी शब्द "संचालक" आया हो उसके ठीक पूर्व शब्द तथा कामा "मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स, बढ़ा दिये जायें।

धारा ४३ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ४३ में—

(१) उपधारा (२) में,

(क) खन्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय अर्थात्:—

"रीति जिसके अनुसार बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों का धारा १० के अधीन परीक्षण, पुनः परीक्षण तथा मुद्रांकन किया जायगा;";

(ख) खन्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जाय—:

"(च) उन बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण जो व्यापार तथा वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होते हों अथवा जो ऐसे भू-गृहादि में रक्खे हुए हों जहां पर सामान्तया ऐसे व्यवहार किये जाते हों;

(ग) खन्ड (छ) में शब्द तथा कामा 'उन बाटों तथा मापों के जो इस अधिनियम द्वारा अनुगत नहीं हैं" के स्थान पर शब्द "धारा १६ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट बांटों, मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों और अन्य वस्तुओं का" "रख दिये जाये;"

(घ) खन्ड (ज) में शब्द तथा कामा "बहियों" निकाल दिये जायें;

(ङ) खन्ड (ञ) में शब्द "और उनका निर्माण तथा विक्रय" निकाल दिये जायं; और

(च) खन्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखितत नया खन्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(ञ—१) धारा ८—के अधीन अवधि जिसके भीतर निबन्धन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जायगा ब्यौरे जो उसमें दिये जायेंगे और प्रपत्र जिसमें निबन्धन का प्रमाण पत्र दिया जायगा;"; और

(२) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और तब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मन्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

नयी धारा ४४ का बढ़ाया जाना

२१—मूल अधिनियम की धारा ४३ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

अपवाद

"४४—इस अधिनियम की कोई बात संघ के सुरक्षा मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन किसी यूनिट या अधिष्ठान में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं बांटों या मापों अथवा तौलने या मापने के यंत्रों पर लागू न होगी।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की विभिन्न धाराओं में पद "सीलबन्द पैकेट या पात्र" आया हुआ है किन्तु इस पद को परिभाषा नहीं की गई है। इस पद के परिभाषित करने का प्रस्ताव है। अधिनियम में यह अपेक्षित है कि बिक्री के लिये प्रस्तुत प्रत्येक सीलबन्द पैकेट पर उसके अन्तर्वस्तुओं की शुद्ध तौल या माप अंकित हो। ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बहुत ही छोटे पकेटों पर अन्तर्वस्तुओं को अंकित करना अव्यावहारिक हो जाता है और शुद्ध तौल या माप का सत्यापन करने में भी कठिनाइयां होती हैं। यह अभिप्रेत है कि राज्य सरकार को ऐसे छोटे पैकेटों को विमुक्त करने का विवेकाधिकार हो। अब तक प्राप्त अनुभव से यह बात मालूम हुई है कि अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावकारी ढंग से तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इस बात का निषेध न कर दिया जाय कि किसी वस्तु का मूल्य या परिमाण केवल मानक बाट या तौल में ही बताया जाय और जब तक कि अपराधी पर शास्ति भी आरोपित न की जाय। यद्यपि नियम के अनुसार गैर मानक बाटों तथा मापों का प्रयोग करना निषिद्ध है, किन्तु उनको अपने कब्जे में रखना अपराध नहीं घोषित किया गया है। अतएव यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे बाटों तथा मापों को कब्जे में रखना भी अपराध घोषित कर दिया जाय और निरीक्षकों को यह अधिकार दे दिया जाय कि वे ऐसे बाटों तथा मापों को जब वे व्यापारिक भूगृहादि में पायें, जायें, जब्त कर लें।

अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि बाट तथा माप नियंत्रक को छोटे अपराधों के संबंध में समझौता करने का अधिकार दे देने की वस्तुतः आवश्यकता है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संघ के सुरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन किसी यूनिट या अधिष्ठान में प्रयुक्त होने वाली बाटों तथा मापों और तौलने तथा मापने के यंत्रों को इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त कर दिया जाय। कतिपय छोटे मोटे प्रकार के अन्य संशोधन करना भी इष्टकर समझा गया।

तदनुसार उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पुरःस्थापित किया जाता है।

जगमोहन सिंह नेगी,
खाद्य मंत्री॥

## मत्थी "ङ"

(देखिए पीछे पृष्ठ ४९९ पर )

एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह विज्ञापित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के लिए श्री अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की निम्नलिखित समितियों के लिए उनके नीचे लिखे सदस्यों को नाम निर्देशित किया गया है।

---

### कार्य मंत्रणा समिति

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा––पदेन सभापति, माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा–पदेन सदस्य

(१) श्री बनारसी दास ,
(२) श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा,
(३) श्री नवल किशोर,
(४) श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट,
(५) श्री रामायण राय,
(६) श्री कल्पनाथ सिंह,
(७) श्री टम्बेश्वर प्रसाद,
(८) श्री हरि नाथ तिवारी ,
(९) श्री केशरी प्रसाद पान्डेय,
(१०) श्री झारखन्डेराय,
(११) श्री चन्दन सिंह,
(१२) श्री बलवान सिंह,
(१३) कुमारी श्रद्धा देवी ।

---

### याचिका समिति

(१) श्री होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष (सभापति),
(२) श्री ओंकार नाथ द्विवेदी,
(३) श्री कल्याण चन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरू,
(४) श्री बाबू सिंह,
(५) श्री बनवारी लाल विप्र,
(६) श्री प्रेम सिंह,
(७) श्री बालोजी अग्रवाल,
(८) श्री दीपनारायण सिंह,
(९) श्री विश्वनाथ पान्डेय 'प्रणव'
(१०) श्री देवेन्द्र सिंह मेहरा,
(११) श्री महादेव (फैजाबाद),
(१२) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह,
(१३) श्रीमती शकुन्तला देवी (सहारनपुर)
(१४) श्री गणेशीलाल चौधरी ।

---

### विशेषाधिकार समिति

(१) श्री होती लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष (सभापति)
(२) श्री नवल किशोर,
(३) श्री मुमताज मोहम्मद खाँ,
(४) श्री ब्रज भूषण शरण,
(५) श्री दया राम शाक्य,
(६) श्री राधे श्याम शर्मा,
(७) श्री बेचम राम,
(८) श्री ऊदल,
(९) श्री राजनारायण मिश्र
(१०) श्री जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद)

## प्रतिनिहित विधायन समिति

(१) श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव (सभापति)
(२) श्री इर्तजा हुसैन,
(३) श्री शौकत हमीद खां
(४) श्री अर्जीज इमाम,
(५) श्री जगवीर सिंह
(६) श्री केशव गुप्त,
(७) श्री वसी नकवी,
(८) श्री गंगा प्रसाद सिंह,
(९) श्री माधो नारायण मुद्गल,
(१०) श्री कृष्णानन्द राय,
(११) श्री हरिनाथ तिवारी
(१२) श्री कुमार करुण कृष्ण नायर,
(१३) श्री पुरुशोत्तम लाल बधवार,
(१४) श्री भीखा लाल,
(१५) श्री कमला सिंह यादव।

## आश्वासन समिति

(१) श्री केशरी प्रसाद पान्डेय (सभापति)
(२) श्रीमती रामरती देवी,
(३) श्री अखन्ड प्रताप सिंह
(४) श्री हरी सिंह,
(५) श्री जगदीश नारायण सिन्हा,
(६) श्री अहमद बख्श,
(७) श्री कल्पनाथ सिंह,
(८) श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेई,
(९) श्री केशो सिंह (शाहजहांपुर)
(१०) श्री सईद अहमद अन्सारी
(११) श्री रघुवीर सिंह,
(१२) श्री हरीश कुमार गंगवार,
(१३) श्री इम्बेश्वर प्रसाद,
(१४) श्री रियासत हुसैन,
(१५) श्री शिवचरण ।

## विधान मंडल पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति

मा० अध्यक्ष, सभापति

(१) श्री होती लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष (सभापति)
(२) श्री ए० सी० ग्राइस,
(३) श्री बद्री प्रसाद पालीवाल
(४) श्री अयोध्या प्रसाद,
(५) श्री किशोरी लाल अग्रवाल
(६) डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेई,
(७) कुमारी श्रद्धा देवी,
(८) श्रीमती कलारानी मिश्रा,
(९) श्री बंशधर मिश्र,
(१०) श्री मुहम्मद हुसैन (बरेला)
(११) श्री महमूद हसन खां
(१२) श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर,
(१३) श्री खेम चन्द,
(१४) श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया,
(१५) श्री राजेन्द्र सिंह (एटा),
(१६) डा० रघुनाथ सिंह,
(१७) श्री उग्रसेन,
(१८) श्री भानु प्रताप सिंह,
(१९) श्री झारखन्डे राय,
(२०) श्री राज किशोर त्रिपाठी।

## नियम समिति

निम्नलिखित माननीय अध्यक्ष तथा माननीय उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे ।

(१) श्री बनारसी दास,
(२) श्री फूल सिंह,
(३) श्री जगदीश शरण अग्र
(४) श्री वीर सेन
(५) श्री बसन्तलाल शर्मा,
(६) श्री किशन सिंह,
(७) श्री काशीनाथ मिश्र,
(८) श्री गंगा धर मैठाणी,
(९) श्री राम सुन्दर पान्डेय,
(१०) कुंवर श्रीपाल सिंह,
(११) श्री राम सुन्दर शास्त्री,
(१२) श्री चन्द्रजीत यादव,
(१३) श्रीमती सुशीला रोहतगी, ।

## सदस्य, विधान परिषद्

(१) श्रीमती कुदसिया बेगम (बेगम एजाज रसूल)
(२) श्रीमती सावित्री श्याम
(३) डा० ईश्वरी प्रसाद,
(४) कुंवर गुरु नारायण,
(५) श्री हृदय नारायण सिंह।

## आवास मंत्रणा समिति

(१) श्री होती लाल अग्रवाल उपाध्यक्ष, (समाप्त हो)
(२) श्री हुकुम सिंह विसेन,
(३) श्री बनारसी दास,
(४) श्री विश्वनाथ प्रसाद (वाराणसी),
(५) श्री राजनारायण सिंह (मिर्जापुर),
(६) श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त,
(७) श्री मनसा राम,
(८) श्री विजय सिंह,
(९) श्री लखपतराम शर्मा,
(१०) श्री राम सूरत प्रसाद,
(११) श्री राम स्वरूप भारती,
(१२) श्री राम चन्द्र विकल,
(१३) श्री अब्दुल समी,
(१४) श्री कृष्ण पाल सिंह।

सी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४६ एल० ए०—१९६६—८६२।